राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ८] तृतीय विधान सभा के अष्टम् सत्र, १९६५ का चतुर्थ दिवस [संख्या ४

गुरुवार, दिनांक २३ सितम्बर, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. १०.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(खनिज, राजस्व, सिंचाई, गृह, स्वायत्त शासन, मुख्य मंत्री कार्यालय, खाद्य, सामान्य प्रशासन, नियुक्ति, पशुपालन एवं जन-स्वास्थ्य-विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री मोहरसिंह ।

बीरमसर की पहाड़ी के तांबे की खानों के सर्वे का परिणाम

५७. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बीरमसर, तहसील रतनगढ, जिला चूरू में स्थित पहाडी में अच्छी मात्रा में तांबा है ?

(२) क्या इसका सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं, तो अब कब कराया जायेगा ?

(३) क्या यह सत्य है कि इस पहाडी में तांबे का अंश खेतडी की खानों से ज्यादा प्रतिशत में है ?

(४) क्या यह सत्य है कि इस पहाडी के पत्थर तोड-तोड कर ठेकेदार सडक निर्माण कार्य में ले रहे हैं जिससे राष्ट्रीय धन का दुरूपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसके संरक्षण के लिये क्या कर रही है ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जियोलाजीकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस स्थान का जियोलाजीकल सर्वे समाप्त कर लिया है और उनकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जावेगी । इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर ही इस स्थान में तांबे के अच्छी मात्रा में होने अथवा न होने के संबंध में कुछ कहा जा सकेगा ।

(२) प्रश्न के भाग (१) के उतर में इसका जवाब दे दिया गया है ।

(३) सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकेगा ।

(४) इस पहाडी का इमारती पत्थर का रॉयल्टी का ठेका दिया गया था और वहां पर ठेकेदारों ने गिट्टी व खंडे तोडे थे । यह इमारती पत्थर पहाडी की ऊपरी सतह से

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
ही तोडा गया था, जिसमें तांबे के अंश का होना प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। अतः इसमें राष्ट्र-धन के दुरुपयोग होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस समय इस पहाडी पर पत्थर खोदने का कोई ठेका नहीं दिया हुआ है और न ही कोई काम चल रहा है।

श्री मोहरसिंह: क्या यह सही है कि बिना ठेके के लोग ले जा रहे हैं और तांबा भी नष्ट हो रहा है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह तो अलग प्रश्न है। ठेका नहीं दिया गया है। अगर कोई अनआथोराइज्ड काम करता है तो सूचना होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

श्री मोहरसिंह: मैंने लिखकर दिया है, इससे ज्यादा सूचना कैसे दी जाती है? मंत्री महोदय बतायें कि कैसे सूचना दें?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: आपने अपने प्रश्न में कहीं नही बताया कि अमुक आदमी नाजायज तौर से काम कर रहा है। पहले ठेका दिया हुआ था लेकिन ३१-३-६४ से वह ठेका बंद कर दिया गया। उसके बाद भी अगर कोई वर्क कर रहा है तो कार्यवाही करेंगे।

श्री मोहरसिंह: नेशनल हाइवे नंबर ११ है उस पर वहां का पत्थर काम में लिया जा रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: आपने सूचना दी, अब आवश्यक जानकारी प्राप्त की जायगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): केवल जानकारी ही प्राप्त करेंगे या और कुछ भी करेंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जानकारी का जो कुछ परिणाम होगा वह किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री रावतराम।

चूरू जिले की आराजी राज्य-भूमि का पुख्ता तौर पर अलॉटमेंट

५८. **श्री रावतराम** (सादूलपुर): क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चूरू जिले में जो भी आराजी राज्य-भूमि है उसका हर साल अलॉटमेंट होता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जो भूमिहीन किसान लगातार तीन साल तक संबंधित जमीन को नियमानुसार काश्त करते आ रहे हैं उन्हें वह जमीन पुख्ता तौर पर अलॉट कर दी जाय?

(२) क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि सरकार के पास जितनी भी आराजी राज्य जमीन है उसे नियमानुसार एक बार में ही भूमिहीन किसानों को पुख्ता तौर पर अलॉट कर दे?

(३) क्या सरकार ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रकार के कोई आदेश दिये हैं कि वे एक साल अलॉटमेंट न करके पुख्ता तौर से अलॉटमेंट कर दें?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां, चूरू जिले में पडत भूमि का प्रति वर्ष अलॉटमेन्ट ३ साल के लिये गैर-खातेदारी के रूप में किया जाता है परन्तु तीन साल गुजर जाने पर उनको उस भूमि से बेदखल नहीं किया जाता रहा है। मरू क्षेत्रों में भूमि के उपयोग पर विचार

Page No 3

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
करने के लिये गठित कमेटी की रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय होना है कि क्या वहां की भूमि काश्त के काम में ली जावे या चराई के लिये। इसके पश्चात् ही पुख्ता अलाटमेन्ट के बारे में विचार किया जा सकता है।

(२) इस वर्ष समस्त राजस्थान में बारानी पडत भूमि को अभियान के रूप में आवंटन करने के आदेश जारी किये गये थे जिसके तहत इस जिले में ५०६२८ एकड भूमि २६७९ भूमिहीनों को नियमानुसार आवंटन की गई है। शेष भूमि भी आवंटन की जा रही है।

(३) जी नहीं। मरू क्षेत्रों में ३ साल के लिये ही भूमि अलाट करने के आदेश हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कितनी भूमि आवटन होना बाकी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो भी बाकी है उसके आंकडे इस प्रश्न से संबंध नहीं रखते हैं।

श्री रावतराम : यह पुख्ता तौर से अलाटमेन्ट क्यों नहीं होता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने बताया कि राजस्थान सरकार ने एक लैंड युटिलाइजेशन कमेटी डाक्टर बसु की अध्यक्षता में बनाई थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है जिस पर यह निर्णय लिया गया है। कमेटी ने यह भी सिफारिश की थी कि वहां की जो जमीन डेजर्ट और सेमी-डेजर्ट एरिया में आती है वहां अलाटमेन्ट नहीं किया जाय, लेकिन सरकार ने बिल्कुल बन्द करने के बजाय तीन साल तक अलाटमेन्ट किया। अब तक बसु कमेटी की सिफारिशों पर गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया और राजस्थान सरकार के बीच लिखा-पढ़ी चल रही है और गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने सर्वे प्रोजेक्ट्स भी बनाये हैं। उसका जब तक अन्तिम निर्णय न हो जाये तब तक बसु कमेटी की जो सिफारिश राजस्थान सरकार ने मानी है उसके अनुसार व्यवस्था की गई है। इससे काश्तकार को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि तीन साल के बाद भी उसको बेदखल नहीं करते।

एक माननीय सदस्य : अलाटमेन्ट करते हैं तो उनको क्या मानते हैं ? खातेदार या गैर-खातेदार ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न के उत्तर में बता दिया गया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बाद में अलाटमेन्ट करते हैं तो पहले ही दस साला क्यों नहीं कर देते हैं ? काश्तकारों को तकलीफ न हो, इस कारण तो यह किया है। फिर आप क्यों नहीं करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डेजर्ट एरिया की जमीन किस तरह से डेवलप की जाय, बसु कमेटी का निर्णय विचाराधीन है। इस वजह से उस कमेटी ने यह कहा कि जब तक यह छोटे मामले फाइनेलाइज न हो जायें तब तक आप जमीन का वहां अलाटमेन्ट मत कीजिये, लेकिन हमने इस निर्णय के बावजूद भी इसमें देरी हो सकती है, इस संभावना को ध्यान में रखते हुए और साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमी न आये, तीन साल के लिये अलाटमेन्ट की व्यवस्था

Page No 4

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
की है । गैरखातेदार के रूप में वह काबिज है और काश्तकार काश्त कर रहा है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जिन लोगों ने काश्त कर ली है उस कमेटी के अनुसार वापिस आप उनको यह जमीन नहीं दे सकते हैं, यह मंशा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आज नहीं कर सकते हैं । सर्वे कमेटी के अनुसार पायलेट प्रोजेक्ट क्या आता है और सरकार क्या निर्णय लेती है और उसके अनुसार किस पर कितना प्रभाव पडता है, यह आज कहना मुश्किल है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : वसु कमेटी के सामने टर्म्स आफ रेफरेन्स यह है कि एनिमल हस्बेन्डरी और एग्रीकल्चर के लिये कितने ही राजस्थान केनाल और सब जगह अलाटमेन्ट के प्रोसीजर लगा रखे हैं । दस साला अलाटमेन्ट में कहां दिक्कत आती है ? एनिमल हस्बेन्डरी को शुरू करके ही आप करिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कमेटी की रिपोर्ट में इरिगेटेड एरिया, डेप्रिसियेशन के एरियाज, जिनमें पानी भरने की संभावना है और इस तरह दूसरे एरियाज हैं, वे तो अलाट किये जा सकते हैं यह उन्होंने कहा । लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट को दो जोन्स में विभक्त किया है । जिस क्षेत्र में जिस जमीन को अलाट नही करने के लिये कहा है उस जमीन को अलाट कर रहे हैं । राजस्थान केनाल इरिगेटेड एरियाज में आती है । उसका प्रश्न इसके प्रतिकूल जाने से प्रश्न नहीं उठता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वसु कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद, मान लीजिये एनिमल हस्बेन्डरी के लिये अलाट करते हैं तो पुराने कब्जे को तोडेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसीलिये हम टेम्पोरेरी अलाटमेन्ट कर रहे हैं । वसु कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पायलेट प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट बनती है तब ही कहा जा सकता है कि किस पर कितना असर पडेगा ।

श्री रावतराम : चरागाह के लिये पर-पशु आधा बीघा जमीन देते हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह चरागाह जो प्रति पशु के हिसाब से हर गांव में छोडा जाता है उस चरागाह से इस कमेटी का मतलब नहीं है । एनिमल हस्बेन्डरी को एक इन्डस्ट्री के रूप में डेवेलप करने से मतलब है । चरागाह तो आम तौर पर हैं । जब इस कमेटी की रिकमन्डेशन की बात करते है तो उस चरागाह से मेरा मतलब नहीं है जो आधा बीघा प्रति पशु छोडा जाता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

कनवास क्षेत्र को सिंचाई करने हेतु सावन भादवा सिंचाई योजना

५९. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील सांगोद, जिला कोटा के कनवास क्षेत्र को सिंचित करने के लिये क्या "सावन-भादवा" सिचाई योजना का जो सर्वे किया गया था और क्या उस स्कीम को अलाभपूर्ण स ी जाकर बन्द कर दिया गया ?

Page No 5

(श्री जुझारसिंह)

(२) सावन-भादवा सिंचाई योजना पर कितना रुपया खर्च किया जाने वाला था और उससे कितना क्षेत्र सिंचित किये जा सकने की संभावना थी व किस कारण उक्त स्कीम को अलाभपूर्ण समझा गया था ?

(३) क्या "सावन-भादवा" स्कीम को व्यवहारिक दृष्टि से परिवर्तित करके फिरसे योजना में लिया जा सकना संभव है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

(२) इस योजना पर ३६,८०,००० रुपया व्यय होने का अनुमान था तथा इससे २६११ एकड भूमि प्रति वर्ष सिंचित होना आंका गया था, मगर इस योजना से होने वाली आय अन्य सिंचाई योजनाओं से बहुत कम थी इस कारण इस योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है ।

(३) जी नहीं । किन्तु इस क्षेत्र में किसी अन्य स्थान पर वह योजना संभव हुई तो उसका सर्वे कराया जा सकेगा ।

श्री जुझारसिंह : कनवास क्षेत्र में "सावण-भादवा" योजना हो सकती है । नदियों में पानी है सिंचाई हो सकती है। कोई दूसरी योजना उस क्षेत्र के लिये बनाने की है ?

श्री दिनेशराय डांगी : जिस योजना के लिये पूछा है उस योजना को कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका रिटर्न का परसेन्टेज बहुत कम है । माइनर से भी कम आता है इसलिये मीडियम में उसको नही ले सकते ।

श्री जुझारसिंह : रिटर्न कितना मिलता है ?

श्री दिनेशराय डांगी : .५० जो माइनर इर्रिगेशन की स्कीम से बहुत कम है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : भारत सरकार के आदेश के अनुसार अब रिटर्न्स का परसेन्टेज किसी प्रोजेक्ट के लिये आवश्यक नहीं है ।

श्री दिनेशराय डांगी : जी नहीं, ऐसा नहीं है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : इस योजना का नाम "सावन-भादवा" आपके द्वारा रखा गया है ?

श्री जुझारसिंह : प्रोडक्शन की दृष्टि से यह आवश्यक है । इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना को फिर से ध्यान में रखने के लिये विचार करेंगे ?

श्री दिनेशराय डांगी : माइनर इर्रिगेशन की स्कीम होती तो ५० तक ले सकते थे । लेकिन यह मीडियम में स्कीम है और इसके रिटर्न की दृष्टि से नहीं ले सकते ।

श्री जुझारसिंह : एरिया कितना सिंचित होना आंका गया था ?

श्री दिनेशराय डांगी : २६११ एकड प्रति वर्ष ।

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : २६११ एकड इर्रिगेटेड होने का है इस योजना से । खर्चा इस पर ३६ लाख से अधिक है । अब प्राइसेज बढ गयी है इसलिये यह ४०-४२ लाख पर एस्टीमेट आवेगा । रिटर्न ५० आता था वह अब .३ ही के करीब होगा । यह मीडियम योजना है जिसका रिटर्न लो

Page No 6

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है और एरिया वह का वह ही रहता है, इसलिये योजनाओं में जो स्कीम्स ज्यादा रिटर्न देने वाली हैं उनको पहले प्रायोरिटी देते हैं। फोर्थ प्लान में इस प्रकार की अधिक रिटर्न देने वाली योजनाओं को ही प्रायोरिटी दी है। फिर इनको लेंगे। इर्रिगेशन के साधन और प्रोडक्शन को बढाना है।

श्री भैरोंसिंह : मीडियम प्रोजेक्ट के लिये कितने परसेन्ट रिटर्न की आवश्यकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आवश्यकता तो १ परसेन्ट से ऊपर है। उन्हीं स्कीम्स को लिया गया है, ६ परसेन्ट तक रिटर्न मिलने वाली स्कीम्स को लिया गया है। इसलिये प्रायोरिटी में पहले उनको लिया गया है और बाद में उनको भी लिया जावेगा जिनका कम रिटर्न मिलता है।

श्री भैरोंसिंह : किस तरह की इन्कम रिटर्न में लेते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बेटरमेन्ट लेवी क्या होगी ? सैल आफ लैंड क्या आयगी; मेन्टीनेन्स खर्चा क्या होगा और रेट्स क्या अवेलेबल होंगी ? यह फॉर्मूला जो है उसको लेकर किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : रिटर्न का पुराना फार्मूला है यह।

श्री नाथूराम मिर्धा : पुराना फॉर्मूला होते हुये भी इसके बारे में अभी बड़ा वाद-विवाद है। रिटर्न लेने का तरीका है। इन्डाइरेक्ट बेनीफिट को शरीक करना चाहिए। ये बहुत हाई लेवल बातें चल रही हैं। भारत सरकार भी विचार कर रही है। नया फार्मूला वर्क आउट हुआ तो उसको राजस्थान में भी एडाप्ट करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सेन्ट्रल वाटर पॉवर कमीशन ने यह स्ट्रेस किया है और नया फॉर्मूला क्रियेट कर दिया है कि बहुत बैकवर्ड एरिया में रिटर्न के क्वेश्चन को जोडा गया तो कभी उनका डेवलपमेन्ट नहीं होगा। कहीं कोस्ट ज्यादा आवेगी और कहीं पर कम आवेगी। यह आपका फॉर्मूला बहुत पुराना हो चुका है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इर्रिगेशन मिनिस्ट्री का ही अकेला व्यू नहीं हो सकता है। दूसरी मिनिस्ट्री भी तो इसमें है। सब की एक राय होकर कोई फॉर्मूला तैयार हो तो ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नये फॉर्मूले को प्लानिंग कमीशन ने एप्रूव कर लिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : आपने किया है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब तक भारत सरकार की तरफ से स्वीकृत नहीं हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सेन्ट्रल वाटर एन्ड पॉवर कमीशन की मेगेजीन्स पढ़ने की कोशिश कीजिये, उसमें आर्टीकल आये हैं। आप जो गेहूं बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं उसमें आपको काफी इन्वेस्टमेन्ट करना पड़ता है। इसलिये यह जो नया फार्मूला है वह भारत सरकार ने एप्रूव कर लिया है।

श्री जुझारसिंह : अब तक भारत सरकार ने मन्जूर नहीं किया है, तो इसका

Page No 7

(श्री जुझारसिंह)
मतलब यह तो नहीं उनके कन्सीडरेशन में नहीं है। उनके कन्सीडरेशन में है तो आप भी क्या उस स्कीम के बारे में कन्सीडर करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कन्सीडर करने के लिये हमने ना नहीं कहा। हाई प्रायोरिटी देने के बारे में मैंने कहा।

श्री भैरोंसिंह : डेवलपमेन्ट साइड में इर्रिगेशन के मामले में इस प्रकार से रीजनल इम्बेलेन्सेज क्रिएट नहीं होंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझता हूं जब एक तरफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का सवाल है, ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं तो रीजनल इम्बेलेन्सेज का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सब यह सोचते हैं कि यह नेशनल वेलफेयर का क्वेश्चन है। नेशनल मनी के इन्वेस्टमेन्ट का प्रश्न है, इसके सामने वह प्रश्न गौण हो जाता है रीजनल इम्बेलेन्स का।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यदि आप इसी आधार को मानते हैं तो सारी मीडियम और माइनर इर्रिगेशन योजनाओं को बन्द करके दो सौ करोड की जो राजस्थान नहर की योजना है उसी को आपको पहले पूरा करना चाहिये जिससे एक दम ३६ लाख एकड भूमि इर्रिगेट हो जाय। This will be one of the biggest irrigation areas in Asia. माइनर मीडियम इर्रिगेशन की योजनायें क्यों चला रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान केनाल की योजना भी चल रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दूसरी सब योजनायें बन्द कर दीजिये, केवल इसी को ही हाथ में ले लीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : जितने साधन अवेलेबल हैं उन साधनों का पूरा उपयोग करते हुए जो भी योजनायें ली जा सकती हैं वे लेते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह एस्टेब्लिस्ड फेक्ट है कि राजस्थान केनाल से जितने ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं उतने रिटर्न्स आपको किसी भी योजना से मिलने वाले नहीं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह भी आपका गलत ख्याल है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सारे फाइनेन्सेज को राजस्थान केनाल पर लगा दीजिये; झालावाड डिस्ट्रिक्ट, कोटा डिस्ट्रिक्ट जहां पहाडी इलाका है वहां विकास नहीं हो पायेगा।

श्री भैरोंसिंह : समाज कल्याण विभाग द्वारा जो भी प्रोजेक्ट्स बने हैं उनमें रिटर्न्स का सवाल नहीं, मीडियम प्रोजेक्ट्स बने हैं फाइनेन्स अकाउन्टस ऑडिट रिपोर्ट्स को आप पढ लीजिये जिसमें साफ है कि लाभ का परसेन्टेज बिल्कुल नहीं है, घाटे का ही सौदा है, फिर भी बनाये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने इसके लिये 'ना' नहीं कहा है। इस योजना के लिये जब साधन उपलब्ध होंगे प्रायोरिटी के आधार पर, जैसे नम्बर होगा, हम उसको लेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गुढा बांध पर जहां आपने ३० लाख रुपया खर्च किया

Page No 8

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
जिसके रिटर्न्स निल हैं, फिर भी आपने इन्वेस्टमेन्ट किया है · · · · ·

श्री नाथूराम मिर्धा: आप तो सब मसलों को एक साथ ले आते हैं। कभी तो राजस्थान केनाल पर जाते हैं कभी गुढा बांध पर कूदते हैं। इनका स्विच तो इतना तेज चलता है कि जवाब देना मुश्किल हो जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के प्लानिंग कमीशन ने इस प्रश्न पर जो सिद्धान्त प्रतिपादित कर रहे हैं उसमें रिटर्न्स का बेसिस नहीं होकर रीजनल डेवलपमेन्ट इक्वीटेबल होना चाहिये, इसको मानकर चल रही है? क्या राज्य सरकार इससे असहमति प्रकट कर रही है?

श्री नाथूराम मिर्धा: राजस्थान सरकार द्वारा असहमति प्रगट करने का सवाल ही नहीं है। यह सारा मसला जब उठाया गया भारत सरकार की ईरिगेशन मिनिस्ट्री द्वारा, जहां सब स्टेट्स के लोग मौजूद थे। उसमें यह कहा गया कि जो वर्तमान में रिटर्न्स के केलकुलेट करने का फार्मूला है उसको बदलने की आवश्यकता है। सारी स्टेट्स से सलाह मशविरा करके प्लानिंग कमीशन से चर्चा की। अभी फाइनेन्स मिनिस्ट्री से इस बारे में चर्चा करना है। केवल एक मिनिस्ट्री के तय करने से होता नहीं। अभी प्लानिंग कमीशन ने अपना मत बनाया है, वह मत फाइनल नही हुआ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): क्या राजस्थान सरकार की भी प्लानिंग कमीशन ने राय ली है? हमारी सरकार रिटर्न्स के असेसमेन्ट का जो फार्मूला है उसको रद्दोबदल करने का अनुभव करती है या नहीं?

श्री नाथूराम मिर्धा: सारी स्टेट्स मिनिस्ट्री ने ईरिगेशन मिनिस्ट्री से चर्चा की सब स्टेट्स का यह मत था कि रिटर्न्स के केलकुलेशन का जो तरीका है वह ठीक नहीं है, उसमें राजस्थान भी शामिल है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: प्लानिंग कमीशन द्वारा निर्णय नहीं हुआ और इस प्रकार से इस तरीके को रिवाइज करने का निश्चित मालूम नहीं और केवल इसी कारण सारे तरीके को खटास में डालना भी ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार को लिखना चाहिये कि यह जो पुराना तरीका असेसमेन्ट का है वह गलत है इसमें रिवीजन करने की गुंजाइश है।

श्री नाथूराम मिर्धा: इस बारे में हमारी स्टेट जागरूक है और इसी सवाल को एक्सपीडाइट करने के लिये खुद प्लानिंग कमीशन पर्टीक्यूलर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: नया फॉर्मूला जो रिटर्न्स के बारे में एडाप्ट करने जा रहे है उसमें केवल इकोनोमिक बेसिस को ही आधार नही माना गया है। उसमें रीजनल बेसिस और उस इलाके के डेवलपमेन्ट आदि को ध्यान में रख कर केलकुलेट किया जाय, क्या इस पर भी विचार कर रही है?

श्री नाथूराम मिर्धा: यह कन्सीडरेशन जरूर है कि अलग अलग इलाकों के अन्दर फेमीन जहां रेगुलर पडते रहते हैं, पहाडी इलाके हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं इनडाइरेक्ट बेनीफिट उस इलाके को होगा।

Page No 9

पैरोकारी के पद पर की गई नियुक्ति

६०. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि मोहम्मदखां एच. सी. पैरोकारी, रेलवे मजिस्ट्रेट, जयपुर को दिनांक १४-८-६४ को गिरफ्तार किया जाकर पाकिस्तान भेज दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) यदि यह व्यक्ति पाकिस्तानी नागरिक था तो उसकी यहां नियुक्ति किस की गफलत से हुई और उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, विधि (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां, क्योंकि यह पाक नागरिक था जो नवम्बर, ५३ के पश्चात् से अवैध एवं गुप्त रूप से भारत में रहना पाया गया था।

(२) नियुक्ति के आवेदन-पत्र में उसने अपना नाम मोहम्मद अली से बदलकर मोहम्मद खां दर्ज किया था तथा कोतवाली, जयपुर के हैड कांस्टेबल, श्री अशरफ खां ने उसके चरित्र की झूठी तस्दीक की थी, अतः उसकी नियुक्ति हो गई। जब इस झूठी तस्दीक का पता चला तो इससे पूर्व ही अशरफ खां के विरुद्ध मुकदमा नं. ५ दिनांक ८-१-६३ धारा १६१ भा. द. स. भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, जयपुर द्वारा दर्ज होकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जिस मुकदमे में श्री अशरफखां को न्यायालय से ३१-८-६४ को १॥ वर्ष की सजा दी गई। श्री अशरफखां ने इस दंड के विरुद्ध अपील कर रखी है। चूंकि अशरफखां इस झूठी तस्दीक का पता लगने से पहले ही गिरफ्तार हो चुका था व तारीख १०-१२-६४ को उसे कम्पलसरी रिटायर्ड कर दिया गया, इन कारणों से तत्कालीन अधिकारियों ने अशरफखां के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार झूठी तस्दीक करना आई. पी. सी. के अन्तर्गत ऑफेन्स है ?

श्री परसराम मदेरणा : पीनल कोड में ऑफेन्स है या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप अधिकारियों से पूछ लें, आपको जानकारी होते हुए भी आप अनभिज्ञता प्रगट कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : पीनल कोड की कौनसी सेक्शन के तहत ?

श्री भैरोंसिंह : इसमें सेक्शन का सवाल नहीं है, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की झूठी तस्दीक करना ऑफन्स है या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या जानते हुवे भी इन्कार कर देना, यह भी ऑफेन्स है या नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : पीनल कोड को स्टडी करके ही बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रकार से झूठी तस्दीक करने के मामले को ऑफेन्स नहीं मानते ?

श्री परसराम मदेरणा : जिस वक्त पता चला कि झूठी तस्दीक की है उस संबंधी एक्शन लेने से पहले कम्पल्सरी रिटायरमेन्ट कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : झूठी तस्दीक करने की बात को ऑफेन्स मानते हैं या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने निवेदन कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार के ऑफेन्स पर आपने प्रोसीक्यूशन क्यों नहीं किया ?

श्री परसराम मदेरणा : पुलिस अधिकारियों की यह राय थी, चूंकि इनके खिलाफ करप्शन का केस रजिस्टर हो चुका था, कोर्ट में चालान हो गया और उसमें डेढ़ साल की सजा हो गई। उसके बाद में रेलवे एस० पी० ने जोधपुर एस० पी० को लिखा कि इस बारे में कार्यवाही की जाय तब तक वह सर्विस में नहीं रहा, उसको कम्पलसरी रिटायर कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या रिटायर होने के बाद में इस प्रकार के ऑफेन्स करने पर प्रोसीक्यूशन नहीं हो सकता ?

श्री परसराम मदेरणा : रिटायर होने के बाद में एक्शन लिया जा सकता है या नहीं, इस बारे में मैं जांच करवा रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इस प्रकार से तो कोई किसी का मर्डर कर देगा और रिटायर हो जायगा, तो उसके बाद उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जायगी ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह ही आदेश दिये हैं कि जिसका कम्पलसरी रिटायरमेन्ट हो जाय उसके बाद उसके खिलाफ पेन्शन रूल्स के तहत या सर्विस रूल्स के तहत कोई एक्शन लिया जा सकता है या नहीं, यदि लिया जा सकता है, तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आप पेन्शन रूल्स के मातहत की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल ऑफेन्स के मातहत प्रोसीक्यूशन होता है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरे जवाब से केवल पेन्शन रूल्स के अनुसार ही कार्यवाही होगी, यह नहीं समझना चाहिये, उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्ज और सर्विस रूल्स के तहत जो भी एक्शन लिया जा सकता है वह सब शामिल है। जो कुछ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है की जायगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, रामसिंह हेड कान्सटेबल ने भी इस प्रकार के मामले में पांच साल की सजा काटी थी, उसके लिये भी यही कहा गया कि वह रिटायर हो गया, अब एक्शन का सवाल नहीं। इसका मतलब यह हुआ, कोई भी व्यक्ति रिटायर होने के बाद में झूठी तस्दीक कर करता है पाक नेशनल का और वह रिटायर हो जाता है तो वह सजा पाने से क्या महरूम रह जायगा ?

श्री परसराम मदेरणा : आप इस क्वेश्चन को दूसरे के साथ मत जोडिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके जवाब ही एक टाइप के होते हैं। एक आपने टाइप बना रखा है ऐसे सवालों के लिये; उसी टाइप का जवाब दे देते हैं। एक पाक नेशनल आपकी सर्विस में आता है, इतनी बड़ी बात होती है उस सम्बन्ध में जवाब देने का आपने एक फोर्म बना रखा है।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें किसी टाइप का सवाल नहीं। जिस प्रकार का सवाल होता है उसके लिये सही सूचना प्राप्त करके सही जवाब हम सदन में रखते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब उसने नाम बदलकर सर्विस हासिल की थी तो नाम बदलने के बारे में एक्शन क्यों नहीं लिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : पाक नेशनल था, पाकिस्तान भेज दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : नाम बदल कर सर्विस सिक्योर की, यह अलग से ऑफेन्स है; उसके मातहत प्रोसीक्यूशन क्यों नहीं किया ?

श्री परसराम मदेरणा : वह नाम बदलकर रह गया था इसका पता चलता है १४-८-६४ को और उसको पाक में दाखिल करा देते हैं १५-८-६४ को।

श्री भैरोंसिंह : आप यह किस इन्वेस्टीगेशन के आधार पर मानते हैं कि उसने नाम बदला था ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या नाम था, क्या रख दिया ? क्या आपकी यह नीति है कि कोई पाक नेशनल यहां आकर सर्विस में घुस जाय या और कोई ऑफेन्स करे तो उसका क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन न करके सिर्फ डिपोर्ट करने की आप की नीति है ?

श्री परसराम मदेरणा : आपने तो इसको जनरलाइज कर दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मोहम्मद अली ने ऑफेन्स किया ऑर्डिनरी ला का, वह क्रिमिनल ऑफेन्स बनता है। अगर वह इन्डियन नेशनल होता तो उसका क्रिमिनल ऑफेन्स की तहत चालान होता, लेकिन वह पाक नेशनल था इसलिये उसको डिपोर्ट कर दिया, पाक भेज दिया। तो क्या हम यह समझें कि गवर्नमेन्ट की यह जनरल पालिसी है कि पाक नेशनल को अपराध करने पर उसको वापिस भेज दिया जाय ? यदि नहीं, तो इस मामले में विशेष रियायत क्यों की गई ?

श्री परसराम मदेरणा : वह २६-११-५३ को भारत में आया और १८-८-५४ को उसने दर्ख्वास्त दी कि मैं भारत में रहना चाहता हूं, जिसको सरकार ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद वह ५७ के अन्दर कॉन्स्टेबल बन गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसी तरह का एक केस अभी नोटिस में आया है पंजाब में। एक आदमी पियोन की जगह पर रहा है १५ वर्ष तक, इस तरह से उसने भी भारत में नाम बदलकर यहां का नागरिक बनने की कोशिश की है। सरकार के नोटिस में आने के बावजूद भी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई, उसका प्रोसीक्यूशन नहीं किया गया और उसको डिपोर्ट कर दिया; मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेन्ट अब भी इस पॉलिसी पर स्टिक करना चाहती है या अपनी गलती अनुभव करती है और आयन्दा इस प्रकार की गलती नहीं करेगी, यह आश्वासन देंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : यह पुलिस में साफ दर्ज है कि पाक नेशनल बनकर वह यहां आया और उसने यहां रहने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया, उसको चला जाना चाहिये था। दर्ख्वास्त में गलत नाम लिख कर उसने कॉन्स्टेबल की जगह हासिल करली। उसके यहां रिश्तेदार भी थे, इस तरह से वह अन-डिजायरेबल आदमी नहीं था, लेकिन उसको इन्डियन सीटिजन के रूप में रहना स्वीकार नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय कहते हैं, उसके अनुसार उसको इन्डियन सिटिजन के रूप में मान्यता नहीं दी गई, तो यह सी०

(श्री अध्यक्ष)
आई० डी० के नोटिस में या तो उसको निकाल देना चाहिये। वह तो यहां पाकिस्तान नेशनल होकर रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : यहां रहने की परमिशन देना सी० आई० डी० का काम नहीं, लेकिन सी० आई० डी० के देखने की यह बात थी।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर कल विचार होगा।

श्री परसराम मदेरणा : जब कभी पाकिस्तानी नेशनल यहां प्रवेश करता है तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिये कोई अधिकारी नहीं, पुलिस थाने पर उसको आमद करवानी पडती है। जब इसका गवर्नमेन्ट ने नामन्जूर कर दिया उसके बाद में गवर्नमेन्ट के पास इन्फोमशन नहीं आयी कि वह पाक चला गया या नहीं। जब २८ मार्च, ६३ को सी० आई० डी० को लिखा, जिस पाक नेशनल की दरख्वास्त हिन्दुस्तान में रहने की अस्वीकार करादी थी वह पाक चला गया क्या ? उसका पता नहीं लगा....

श्री भैरोंसिंह : ये सब बातें मनगढन्त हैं। मैंने उस व्यक्ति को पकडवा कर भिजवाया है। आपका यह कहना कि दिल्ली से आया आदि गलत है।

श्री परसराम मदेरणा : इसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को कल ले लिया जाय। सरकार ने जब राज्य सरकार के पुलिस विभाग को लिखा कि हमने इसको भारत में रहने की इजाजत नहीं दी है, उसके बाद उस अधिकारी ने क्या कार्यवाही की ? यह सारा प्रोसीजर का मामला है। अगर इस प्रकार के प्रोसीजर में इतने डिटेल्स में स्क्रूटिनी हो तो यह बहुत ही राष्ट्रीय खतरे की चीज है।

राणाप्रताप सागर डैम के सम्बन्ध में आर्बिट्रेशन के पैनल में इन्जीनियर

६१. **श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि राणा प्रताप सागर डैम के सम्बन्ध में सरकार ने आर्बिट्रेशन के पैनल में राजस्थान के इन्जीनियर्स को नियुक्त किया था ? अगर हां, तो कब कब व किन किन को ?

(२) क्या यह सत्य है कि अब वर्तमान आर्बिट्रेटर बम्बई के रिटायर्ड चीफ इन्जीनियर हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के निजी इन्जीनियर्स में भी एक बम्बई के रिटायर्ड चीफ इन्जीनियर हैं ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): इसका उत्तर सदन की मेज पर रख दिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मुझे तो मिला नहीं। क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के आर्बिट्रेशन में राजस्थान के इन्जीनियर्स की दो बार लिस्ट प्रेषित की ?

श्री दौलतराम सारण : यह सब उत्तर में सूचना दे दी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरे पास तो उत्तर नहीं है। इसका उत्तर आना चाहिये।

Page No 13

श्री दौलतराम सारण : उत्तर जो मेरे पास हैं, मैं आपको दे दूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप पढ़ दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष : आपका विचार हो तो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह उनको आशा नहीं थी कि आप उनको पढ़ने की आज्ञा दे देंगे।

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) राजस्थान सरकार ने सर्वप्रथम ६ सितम्बर, सन् ६३ को निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम आर्बिट्रेशन पैनल बनाई थी:–

(१) श्री किशोरीलाल, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(२) श्री रामनारायण, मुख्य अभियन्ता, नहर योजना राजस्थान, जयपुर।

(३) श्री बी० डी० माथुर, मुख्य अभियन्ता, पी० डब्ल्यू० डी० (बी० एंड आर०)

परन्तु यह पैनल 'कम्पनी' से हुए एग्रीमेन्ट की धारा ३९ के अनुसार नहीं थी। इस धारा के अनुसार आर्बिट्रेशन पैनल में एक अवकाश प्राप्त मुख्य अभियन्ता होना चाहिए था। उस समय उक्त तीनों व्यक्ति राज्य सेवा में थे। अतः राज्य सरकार ने पुनः एक और पैनल दिनांक ४-१०-६३ को बनाया जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम थे :

(१) श्री किशोरीलाल, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान।

(२) श्री रामनारायण, मुख्य अभियन्ता, राजस्थान नहर योजना।

(३) श्री मोतीराम, अवकाश प्राप्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर।

कम्पनी ने उक्त पैनल का विरोध किया कि सर्व प्रथम श्री किशोरीलाल और रामनारायण अभी राजस्थान राज्य सेवा में और श्री मोतीराम उस समय राजस्थान राज्य सेवा में थे तथा चम्बल योजना से संबंधित थे, जब उनका ठेका स्वीकृत हुआ था। इस विरोध पर राज्य सरकार ने ११-६-६४ को निम्नलिखित व्यक्तियों का नया पैनल बनाया :

(१) श्री किशोरीलाल, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई।

(२) श्री रामनारायण, मुख्य अभियन्ता, राजस्थान कैनाल।

(३) श्री एम० एल० चम्पेकर, अवकाश प्राप्त मुख्य अभियन्ता, बम्बई राज्य।

(२) श्री एम० एल० चम्पेकर, वर्तमान आर्बिट्रेटर, भूतपूर्व बम्बई राज्य के रिटायर्ड चीफ इन्जीनियर हैं।

(३) मोडर्न कन्सट्रक्शन कम्पनी के मुख्य अभियन्ता श्री जी० के० पाटिल, गुजरात राज्य के अवकाश प्राप्त मुख्य अभियन्ता हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पैनल बनाने के सम्बन्ध में ऐसी कौनसी आपको आपत्ति आती थी कि राजस्थान सरकार के जो रिटायर्ड इन्जीनियर्स हैं वे उसमें नहीं आ सकते ?

श्री दौलतराम सारण : जो पैनल बनाया गया और जो तथ्य हैं वे आपके सामने मैंने रखे

Page No 14

(श्री दौलतराम सारण)

दिये। कोई को भी रखते तो किसी को भी आपत्ति हो सकती थी लेकिन जो पैनल बनाया गया उसकी सूचना आपको दे दी गई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या इस स्थिति में जो सोल आर्बिट्रेटर अभी हैं बम्बई के रिटायर्ड चीफ इन्जीनियर हैं और जो दूसरे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के चीफ इन्जीनियर हैं वे भी एक रिटायर्ड गुजरात राज्य के मुख्य अभियन्ता हैं, तो क्या सरकार उचित नहीं समझती कि राजस्थान राज्य के किसी रिटायर्ड इन्जीनियर की यहां पर नियुक्ति होनी चाहिए थी ?

श्री दौलतराम सारण : सरकार ने उचित समझ कर ही यह किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

नगर परिषद्, उदयपुर द्वारा बोट की खरीद

९२. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : [श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर नगर परिषद् के गत चुनाव के पूर्व तक प्रशासक कौन नियुक्त थे तथा वे कब से कब तक रहे ?

(२) क्या इस प्रशासन-काल में नगर परिषद् हेतु कोई बोट खरीदी गई ? यदि हां, तो कब तथा कितने में ?

(३) इस बोट को प्राप्त करने के पश्चात् कितनी बार उसका उपयोग हुआ ? यदि नहीं हुआ, तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) श्री देवीप्रसाद चतुर्वेदी दिनांक १९-८-६२ से २१-१-६४ तक प्रशासक रहे।

(२) खरीद की कार्यवाही कौंसिल के समय में ही हो चुकी थी। प्रशासक के काल में माह अक्टूबर, १९६२ में डिलीवरी ली गई थी। मूल्य १८,५५७ रु० है।

(३) यह बोट अब कार्य कर रही है।

श्री जोधसिंह चौहान : यह गलत है। मैं नगर परिषद् का सदस्य हूं और मैं जानता हूं। समिति की रिपोर्ट भी है कि ऐन्जिन बदल दिया गया और मैंने भी नगर परिषद् को कई बार लिखा। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था और मैं समझता हूं कि ठीक तरह से उत्तर दिया जाना चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैंने सूचना जो नगर परिषद् से मिली है उसके अनुसार उत्तर दिया है कि बोट कार्य कर रही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : बोट किस से खरीदी गई थी ?

श्री दौलतराम सारण : यह बॉम्बे से खरीदी गई थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह बोट नई खरीदी गई थी या सेकिण्ड हैंड ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह कम्पनी से खरीदी गई थी या यों ही खरीदी गई ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह बोट नई थी या पुरानी थी ?

श्री दौलतराम सारण : नगर परिषद् ने ठीक ही समझ कर, नई खरीदी गई होगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका भी क्या जवाब हैं ? पूछते हैं किस से खरीदी तो कहते हैं बम्बई से खरीदी, फिर पूछते हैं कि नई खरीदी या पुरानी, तो कहते हैं कि नगर परिषद् ने ठीक ही खरीदी होगी, नई ही खरीदी होगी ।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का ठीक जवाब मिलना चाहिए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर नई खरीदी गई थी तो काम में क्यों नहीं आ रही है ? वह काम क्यों नहीं कर रही है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने कहा है कि काम कर रही है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : क्या मंत्री महोदय यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि जो कुछ भी उनको सूचना दी गई है वह गलत है और तथ्यहीन है ?

श्री अध्यक्ष : किसी सरकारी इन्जीनियर से कहें कि इसको जाकर देख लें कि किस स्थिति में है और क्या बात है ।

श्री भैरोंसिंह : यह कह रहे हैं कि जवाब नगर परिषद् का है, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जवाब नगर परिषद् का है या वहां के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनका है ?

श्री दौलतराम सारण : जो ऑफिसर हैं वही ऑफिस का इन्चार्ज होता है और जो प्रश्न जवाब के लिए जाता है उसका भी वही जवाब देते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आप नगर परिषद् का नाम लेकर मुगालते में डाल रहे हैं, यह जवाब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का है ।

श्री दौलतराम सारण : नगर परिषद् की ओर से चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं और वही फंक्शन करते हैं, कमिश्नर फंक्शन करते हैं और जो सूचना चाही जाती है वह अपने कार्य के मुताबिक सूचना देते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मुझे चेयरमैन साहब कह रहे थे कि इसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए इसकी खरीद के लिए जांच होनी चाहिए ।

श्री जोधसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन ने रिपोर्ट की है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए । मैंने पूछा कि कितने मील चली या बोर्ड को कितनी आमदनी हुई, आप बता सकते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय जांच करा लें इसकी ।

(विराम)

श्री जयनारायण सालोदिया ।

पुलिस थाना, निवाई के भवन का निर्माण कार्य

६३. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि टोंक जिले के पुलिस थाना, निवाई के कार्यालय का भवन ऐसा है कि जिसमें किसी भी मौसम में बैठकर काम नहीं किया जा सकता ? यदि हां, तो क्या

Page No 16

(श्री जयनारायण सालोदिया)
सरकार इस पुलिस थाने के लिये भवन निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस थाने का भवन बनाने के लिये सरकार ने जमीन भी ले ली है और उसके कुछ भाग पर सिपाहियों के रहने के लिये कुछ मकान भी बना रखे हैं ? यदि हां, तो कौन से सन् में बनाये हैं और बाकी कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

उप-मंत्री, विधि (श्री परसराम मदेरणा) : (१) निवाई के पुलिस थाने का भवन काम चलाऊ है। इस इमारत को बढाने का प्रस्ताव पुलिस विभाग के विचाराधीन है। प्रस्ताव आने पर ही सरकारी स्तर पर कार्यवाही की जा सकेगी।

(२) जी नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दिया है, "जी नहीं", मैं सही सूचना दे रहा हूं कि वहां मकान एक्वायर कर रखे हैं और उसका चौथाई पोर्शन है उसमें मकान बने हुए हैं और आप कह रहे हैं, "जी नहीं।"

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न यह है कि जो आज वहां पुलिस का थाना बना हुआ है या कॉन्सटेबल्स के बैरेक्स बने हुए हैं या हेड कान्सटेबल्स के मकान बने हुए हैं वह जमीन तो है ही हमारे पास और हमारी ही है।

श्री जयनारायण सालोदिया : वही जमीन थाने के लिए ली गई है और उसके चारों तरफ पत्थर गडे हुए हैं और उसके चौथाई हिस्से में मकान बने हुए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : वह जमीन तो हमारी ही है। और डी० आई० जी०, अजमेर ने टौंक को पूछा है कि जो जमीन आपके पास है वह पर्याप्त है या नहीं या दूसरी जमीन की आवश्यकता पडेगी। जो जमीन है वह हमने किसी से भी नहीं है वह तो हमारी ही है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने यह भी कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं तो यह विचार कब तक पूरा होगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरिप्रसाद शर्मा।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : और भी जरूरी प्रश्न हैं; उन्होंने कह दिया कि विचार कर रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : वे तो पांच साल से बने हुए हैं.......

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरिप्रसाद शर्मा।

केशवराय पाटन तहसील के गांवों को भूमि और फसलों का मुआवजा

६४. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चम्बल परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत केशवराय पाटन तहसील के गांवों की जो भूमि अवाप्त की गई थी उसके मालिकों को भूमि तथा फसलों का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया जाना बाकी है ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) केशवराय पाटन तहसील में ३००० एकड भूमि नहरों के बनाने के लिए काम में आई जिसमें ३०० एकड सरकारी थी और शेष २७०० एकड किसानों की थी। २७०० एकड में से लगभग २००० एकड का करीब ५ लाख रुपया सम्बन्धित काश्तकारों को मुआवजे के रूप में दिया जा चुका है, शेष किसानों की ७०० एकड भूमि के मुआवजा देने व तय करने की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी चम्बल परियोजना, कोटा के यहां की जा रही है, अवार्ड आते ही चुकारा कर दिया जावेगा। उसकी रकम का अनुमान, बिना अवार्ड के प्राप्त हुए, नहीं लगाया जा सकता।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि बाकी के जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है उनकी भी फसल को खुदे हुए ७-८ साल हो गए ? आपके अधिकारी लोगों को तारीखों पर बुलाते हैं और फिर वे वहां होते भी नहीं और उनको मुआवजा नहीं मिलता, क्या यह सही है ?

श्री दौलतराम सारण : किन को नहीं मिला ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : बाकी के किसानों को।

श्री दौलतराम सारण : जिन लोगों की जमीन ली गई है और जिनकी फसल नहर बनाने के काम में आई है उनकी जो स्थिति है वह मैंने निवेदन की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ७०० एकड ली है, इनको ६ साल हो गए हैं भूमि अवाप्त हुए, यह सही है क्या ?

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यह सही नहीं है, क्योंकि जो ७०० एकड जमीन बाकी रह गई है वह पिछले २ साल के अन्दर ही अवाप्त की गई है और माइनर्स के लिए जो जमीन ली गई है उनका मुआवजा नहीं दिया गया है। उनके मुआवजे के लिए गवर्नमेन्ट की तरफ से जल्दी देने की ताकीद कर दी गई है। ३५(६) के अन्दर लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर को चिट्ठी लिखी गई है कि वह मुआवजों के मामलों को जल्दी से जल्दी तय कर दे और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ७०० एकड का मुआवजा बाकी है उनकी पेशियां भी इसी महीने में फाइनल हो जायेंगी और ज्यों ही अवार्ड फाइनल हो जायेगा हम चुका देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लिया है कि भविष्य में जो भी काश्तकार की जमीन है या जो अवाप्ति की कार्यवाही की जाये उसका कब्जा लिए जाने के पूर्व उसके कम्पेन्सेशन का भुगतान कर दिया जाये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कम्पन्सेशन का मुआवजा हर केस में पहले भुगतान करना और पूरा मुआवजा हो जाये उसके पहले देना, यह तो राज्य सरकार के लिए सम्भव नहीं होगा और न हो सकता है। इस मुआवजे को जैसा आप कह रहे हैं उसको राज्य सरकार लागू नहीं कर सकती है और न ही उसको करना उचित ही होगा। बल्कि मुआवजा जल्दी चुका दिया जाये इसके बारे में राज्य सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह सही है कि आपने केबिनेट डिसीजन लिया है कि जो भी भूमि ली जायेगी उसका

Page No 18

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
भुगतान जल्दी से जल्दी कम से कम अवधि के अन्दर कर दिया जायेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कह चुका हूं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह सही है कि पाटन तहसील के अन्दर फसलों का भी मुआवजा नहीं मिला है और आपके अधिकारी तारीख देते हैं और वे ५०० किसान ९-४-६४ को आये और आफिसर साहब नहीं आये, फिर एक बार और आये और फिर आफिसर नहीं आये, फिर ११-९-६५ को वे सारे किसान फिर आये लेकिन आफिसर साहब नहीं आये; तीनों तारीखों पर हाकिम साहब नहीं आये। इस तरह से किसानों को परेशान होना पड़ता है और उनकी फसल का मुआवजा ५ साल का बाकी है।

श्री दौलतराम सारण : केवल २१६ किसानों का ७०० एकड़ जमीन का मुआवजा बाकी है और उस मुआवजे के लिए ये तारीखें निश्चित् की गई हैं जिनके ऊपर उम्मीद है कि फैसला हो जायगा :

१७-९-६५ थी, २०-९-६५ थी और २८-९-६५ है। इन तारीखों में उम्मीद है कि फैसला हो जावेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि पहले भी इसके अन्दर तारीखें निश्चित की गई थीं ; पहले ९-७-६५, फिर ७-८-६५ और फिर १७-९-६५ तय की गई थी। लेकिन हाकिम लोग उन तारीखों पर पहुंचते नहीं हैं और किसानों को वापस जाना पड़ता है, इसमें उनका खर्चा लगता है, तारीखें बदल जाती हैं।

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार ने पहले ही एक सर्क्यूलर निकाल दिया था। उन सर्क्यूलर्स का हवाला देते हुए एक नया आदेश जारी किया गया है। उसके आदेश के अनुसार कलेक्टर और लैण्ड एक्वीजीशन ऑफिसर को यह हिदायत दी गई है कि मुआवजे की कार्यवाही शीघ्रता के साथ निपटाई जावे, इनके प्रति उपेक्षा नहीं बर्ती जावे और उसमें सदन की भावनाओं का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रकार के जितने भी केसेज हैं और जिनमें किसानों की जमीन ली जाती है उनके फैसले शीघ्र किये जायं, ऐसे आदेश दिये जा चुके हैं। माननीय मंत्रीजी ने भी आपको इस बारे में अभी बता दिया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : केवल आदेशों को दोहराने से क्या होता है? इन्होंने (श्री हरिप्रसादजी ने) जो तारीखों का हवाला दिया है उन तारीखों पर हाकिम लोग पहुंचे या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : मैं आपको बता रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप क्या बता रहे हैं जबरदस्ती रिपिटीशन कर रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : थोडी तसल्ली रखिए, मैं आपको बताता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जहां तक सरकार के निर्देश हैं; सरकार के इन्टेन्शन्स बिल्कुल पवित्र और साफ हैं लेकिन यह एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू है और प्रशासनिक कार्यों के सम्बन्ध में जब आपके इन्टेन्शन्स, आपके इरादे कार्य रूप में परिणत नहीं कर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
सकते तो मेरे ख्याल से आपकी सारी व्यवस्था खामी से भरपूर है। मुआवजे का प्रश्न वैधानिक प्रश्न है, एक बुनियादी हुकूकों से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न है, एक एलिमेन्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू है, इसका हल सुचारु ढंग से निकलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि सदन के समक्ष यह कम्पन्सेशन का, मुआवजे का प्रश्न बार बार आया है और सरकार ने बार बार आश्वासन दिया है कि इसके बारे में उचित व्यवस्था कर दी जावेगी। क्या फायदा है इससे अगर आपके इन्टेन्शन्स कार्य रूप में परिणत नहीं होते हैं। आप सर्क्यूलर इश्यू करते हैं और सरकार उनको इम्पलीमेन्ट नहीं कर पाती तो यह बिल्कुल कागजी कार्यवाही है, बिल्कुल थोथी बात है, इससे क्या होता है? कुछ न कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए ......

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य ने ....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपके इन्टेन्शन्स् का पालन नहीं होता है तो यह तो रद्दी की टोकरी का कागज हो जाता है, यह बड़े खेद की बात है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता ने एवं विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने मुआवजे के मामले में काफी कहा है और हमेशा से कहते रहे हैं। इसके बारे में राज्य सरकार ने भी समय समय पर आदेश निकाले हैं। एक सर्क्यूलर, एक हुक्म इस प्रकार का और जारी किया गया है कि छः महीने के अन्दर जितने भी पुराने केसेज हैं उनको फाइनल किया जावे और अगर फाइनल नहीं किए गए तो गवर्नमेन्ट इस बात को सीरियसली लेगी और इसके लिए कुछ न कुछ सजा तजवीज करेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : "सीरियसली लेगी" से क्या होता है?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सुनिए तो सही। आपने तो अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। मैं आपकी भावना को समझ गया। मैं आपको निवेदन कर चुका हूं कि हमने छः महीने की सीमा निश्चित् करदी है। इसमें कई तरह की कठिनाइयां हैं, कई प्रोसीजरल बातें हैं, जिनके बारे में तफसील से जांच करना आवश्यक है। जो प्रोसीजर ठीक नहीं होने से देरी होती है तो उसको ठीक करने के लिए फोलो करना पड़ता है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में जागरूक है।

आपने जिन अफसर लोगों के तारीख पर नहीं पहुंचने की बात कही है तो इस बारे में मैं निवेदन करूं कि इन दिनों परिस्थितियां दूसरी हैं ....

श्री भैरोंसिंह : आप तो उन डेट्स के बारे में बताइए जो इन्होंने अभी बताई।

श्री नाथूराम मिर्धा : इन दिनों में आफिसर्स दूसरे दूसरे कामों में भी लगे रहे हैं, उनकी एमर्जेन्सी में ड्यूटीज लगी हुई थीं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप आफिसर्स की एडवोकेसी करते हैं (without making any enquiry) इससे आपका इन्टेन्शन यह नजर नहीं आता कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करें।

Page No 20

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बहस की तो कोई जरूरत नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: This is advocacy in advance.

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत से अधिकारियों को अलग अलग ड्यूटी पर लगाया गया है।

श्री अध्यक्ष : सम्भवतः उस दिन एमर्जेन्सी ड्यूटी पर न हों, आप बगैर जांच के तो न कहें। आप कहदें कि उसकी जांच करा ली जायगी। यहीं खत्म हो जाता है सारा मामला।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो तारीखें फिक्स की गई·····

श्री अध्यक्ष : छः महीने कब खत्म होते हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : दो महीने हुए हैं इस सर्क्यूलर को निकले। माउन्ट आबू की मीटिंग में फैसला लिया गया था, उसके बाद सर्क्यूलर जारी करने में १५-२० दिन लग गए होंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री हांडा।

रायसिंहनगर नगरपालिका के कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला

६५. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सन् १९६१ में नगरपालिका रायसिंहनगर तथा हनुमानगढ ने तृतीय से द्वितीय श्रेणी की वेतन श्रृंखलायें अपने कर्मचारियों को दिए जाने की निर्देशक, स्थानीय निकाय से स्वीकृति चाही थी?

(२) क्या यह सही है कि हनुमानगढ नगरपालिका के कर्मचरियों की वेतन श्रृंखलायें तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में बदलने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी?

(३) क्या यह सही है कि रायसिंहनगर नगरपालिका को तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में वेतन श्रृंखलायें बदलने की स्वीकृति नहीं दी गई थी?

(४) यदि भाग (३) का उत्तर "हां" में है, तो हनुमानगढ नगरपालिका को स्वीकृति किस आधार पर दी गई थी तथा रायसिंहनगर नगरपालिका को किस आधार पर स्वीकृति नहीं दी थी?

(५) क्या यह सही है कि रायसिंहनगर नगरपालिका ने सन् ६४ में अपने कर्मचारियों की वेतन श्रृंखलायें तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में करने का प्रस्ताव पारित किया है?

(६) क्या यह सही है कि रायसिंहनगर नगरपालिका ने निर्देशक, स्थानीय निकाय से तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में वेतन श्रृंखलायें बदलने की स्वीकृति चाही है?

(७) यदि भाग (६) का उत्तर "हां" में है, तो क्या स्वीकृति प्रदान कर दी गई है?

(८) यदि भाग (७) का उत्तर "ना" में है, तो स्वीकृति प्रदान क्यों नहीं की गई है?

उप-मंत्री स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) हनुमानगढ नगरपालिका के कर्मचारियों को द्वितीय श्रेणी की वेतन श्रृंखला स्वीकृत होने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया कि जब तक वर्तमान वेतन क्रमों की श्रेणी विभाजन से लागू न किया जाय तब तक किसी भी नगरपालिका कर्मचारी को वर्तमान श्रेणी का वेतन स्तर न दिया जाय। इस कारण से रायसिंहनगर नगरपालिका कर्मचारियों को वेतन देने सम्बन्धी स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

(५) जी हां।

(६) जी हां।

(७) जी नहीं।

(८) इसका उत्तर आइटम नं० ४ के उत्तर में दे दिया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अध्यक्ष महोदय, पहले कौन सी नगरपालिका घोषित की गई? पहले हनुमानगढ नगरपालिका द्वितीय श्रेणी घोषित की गई या रायसिंहनगर नगरपालिका द्वितीय श्रेणी घोषित की गई? इन दोनों में से पहले किसको द्वितीय श्रेणी में घोषित किया गया?

श्री दौलतराम सारण: रायसिंहनगर नगरपालिका पहले घोषित की गई, हनुमानगढ को बाद में घोषित किया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: जब हनुमानगढ नगरपालिका को बाद में द्वितीय श्रेणी नगरपालिका घोषित किया गया तो उनके कर्मचारियों को तो पहले इसकी वेतन श्रृंखला दे दी गई और रायसिंहनगर की नगरपालिका के कर्मचारियों को इसकी स्वीकृति नहीं देने का क्या कारण है?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): इस डिस्क्रिमिनेशन का क्या कारण है?

श्री दौलतराम सारण: हनुमानगढ को या रायसिंहनगर को पहले स्वीकृति दी, इसकी सूचना तो इस समय मेरे पास नहीं है। लेकिन जो स्थिति है वह मैंने आपसे अर्ज कर दी। हनुमानगढ का निर्णय होने के बाद जैसा मैंने प्रश्न (४) में निवेदन किया है निर्णय लिया गया और उसके बाद में नियम वहां लागू हो गए। नये नियमों के अनुसार श्रेणी विभाग का सवाल नहीं आता है। अब तो नियमानुसार योग्यता को देखते हुए, स्टाफ पैटर्न के अनुसार वेतन श्रृंखलाएं निर्धारित हो जायेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री तेजाराम गहलोत।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि हनुमानगढ का जब निर्णय लिया गया तो उस समय रायसिंहनगर के पेपर्स भी पेंडिंग थे और दोनों का मामला कामन था?

श्री दौलतराम सारण: ये तारीखें तो मेरे पास नहीं हैं कि जिस समय हनुमानगढ का फैसला हुआ उस समय रायसिंहनगर के पेपर कहां थे या रायसिंहनगर का फैसला पहले हुआ या हनुमानगढ का पहले हुआ, लेकिन जो स्थिति थी वह मैंने आपको बतादी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि दो म्युनिसिपैलिटीज साइमल्टेनियसली 'बी' श्रेणी की डिक्लेअर होती है। एक म्युनिसिपैलिटी को तो अपने स्टाफ की पे अपग्रेड करने की इजाजत मिल जाती है और दूसरी को नहीं मिलती है, इसमें तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इसके लिए गवर्नमेन्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : मैं इसकी जानकारी करूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं. ६६।

मौजा शिवपुरा, तहसील सोजत में भूमि अतिक्रमण के मामलों में हुई वृद्धि

६६. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि मौजा शिवपुरा, तहसील सोजत, जिला पाली में सं. २०१७ से लगातार भूमि अतिक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है ? सं. २०१७ से प्रति वर्ष कितने कितने मामलों की वृद्धि हुई है ?

(२) क्या यह भी सच है कि कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें अभी तक धारा ९१, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही सम्पूर्ण नहीं हुई ?

राजस्व मंत्री (श्री कुम्भाराम आर्य): (१) जी हां। ग्राम शिवपुरा, तहसील सोजत, जिला पाली में सम्वत् २०१७ में अतिक्रमणकारियों के ७ मुकदमे दर्ज हुए थे जो फैसले हो चुके हैं। सम्वत् २०१८ से २०२० तक केवल ६१ अतिक्रमण हुए हैं व सम्वत् २०२१ में १३५ अतिक्रमण हुए हैं।

(२) जी हां।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ये कब तक फैसले हो जायेंगे ? जो पैण्डिग केसेज हैं, ९१ में, उनमें बहुत समय हो गया है।

श्री कुम्भाराम आर्य : जल्दी ही होंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जल्दी कब तक ? ९१ केसेज में तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए; उनका जवाब लेकर गिरदावरी के आदेश देकर पेमेन्ट करना है।

श्री कुम्भाराम आर्य : आपके विचार से करेंगे।

(११ म. पू.)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इनके विचार से काम करेंगे तो राजस्थान डूब जायेगा।

प्रश्न संख्या ६७

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६८

श्री विट्ठल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६९

श्री माणिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्रीमती गौरी पूनिया।

Page No 23

ग्राम आलनियावास के पास लूनी नदी का कटाव

७०. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम आलनियावास के पास जो लूनी नदी बहती है उसने अपना मार्ग बदल दिया है और अब वह गांव से दो सौ गज दूर ही रह गई है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस नदी के कटाव में गांव वालों के १० या १२ कूए बह गये हैं और उनकी चाही की जमीन भी बरबाद हो गई है, पर फिर भी उनसे लगान वसूल किया जाता है ?

(३) क्या सरकार इस नदी को बांध कर गांव को डूब से बचाने का विचार रखती है और क्या इसका सर्वे करवा लिया गया है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर के स्थगन के लिए प्रार्थना करता हूं एक हफ्ते के लिए ?

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

जिला जालोर में जागीर पुनर्ग्रहण के मुआवजे की रकम

७१. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला जालोर में जागीर पुनर्ग्रहण के मुआवजे की कुल कितनी रकम सरकार द्वारा भूतपूर्व जागीरदारान को तकसीम अब तक की गई है और कुल कितनी धनराशि मुआवजे पेटे भुगतान करनी बाकी है ?

(२) बाकी मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ? क्या यह सच है कि अब ज्यादातर ऐसे छोटे जागीरदारान या पसायतेदारान के मुआवजों का भुगतान करना बाकी है, जिनका मुआवजा सिर्फ मालगुजारी के आंक पर ही किया जावेगा ? अगर हां, तो उनके मुआवजे इतनी देरी तक न देने के क्या क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर में आथोरिटीज के जरिये जागीर मुआवजों की उठाई हुई रकमें संबंधित व्यक्तियों द्वारा पूरी जागीरदारों को तकसीम नहीं की गई? अगर हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई विस्तृत जांच करने को तैयार है ? उपरोक्त हरकतों के रोकने के लिए भविष्य में सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री कुम्भाराम आर्य) : (१) अब तक करीब रु. ३,१४,४८,७०० की धनराशि मुआवजा में जागीरदारान को तकसीम की गई है व करीब रु. ७०,७१,३०० की धनराशि चुकाना शेष है।

(२) शेष मुआवजे की रकम का भुगतान सम्भवतः फरवरी, १९६६ के अन्त तक हो जायेगा।

जी हां, पसायतेदारान को जागीरदार मानने का निर्णय सन् १९५८ में लिया गया इसलिए उनके दावे बाद में आये।

(३) आथोरिटीज द्वारा मुआवजा लेने के बाद जागीरदार मुसालिका के पास पहुंचे या न पहुंचे इसके लिए सरकार की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है।

Page No 24

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इतने महीनों के बाद तो सरकार को जानकारी करना चाहिए।

श्री कुम्भाराम आर्य : कोई ऐसी बात सामने आयेगी तो जांच की जायेगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : दावे फाइनल होकर जो बोण्ड्स तहसीलों में पहुंच गये हैं और वहां पड़े हैं उनके वितरण करने के बारे में ढिलाई क्यों की जा रही है।

श्री कुम्भाराम आर्य : इसके लिए पूछ लिया जायेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैंने यह जानकारी चाही थी कि डिप्टी कलेक्टर, जालौर में कितने ऐसे पसायतेदारान के बोण्ड्स ट्रेजरी में पड़े हुए हैं जिनका कि वितरण करना बाकी है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : इस प्रश्न में ऐसी बात नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : राज्य सरकार में इन्कम की बात फाइनल हो चुकी है और बोण्ड्स ट्रेजरी में पड़े हैं; बड़ी छोटी छोटी रकमें हैं इनका वितरण क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री कुम्भाराम आर्य :पड़े हैं यह तो इस प्रश्न में नहीं हैं।

श्री गंगासिंह (जायल) : इन पसायतेदारान को जागीरदार मान लिया है तो इनकी जागीर की डेट आफ रिजम्प्शन जागीर की आय के हिसाब से रखी जायगी या मुख्य जागीरदार की जो जागीर रिज्यूम हुई थी उसके साथ माना जायेगा ?

श्री कुम्भाराम आर्य: इसके लिए कानून स्पष्ट है।

श्री गंगासिंह: कानून स्पष्ट नहीं है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। इसीलिए तो सरकार की पालिसी के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि इनकी डेट आफ रिजम्प्शन पहले से मानी जायेगी या चूंकि इनको स्वतन्त्र रूप से जागीरदार मान लिया है तो जागीर की आय के हिसाब से उनकी डेट आफ रिजम्पृशन मानी जायेगी, जैसे किसी की जागीर की आय ५००) रु. से कम है तो उसकी डेट आफ रिजम्पृशन उनकी आय के हिसाब से मानी जायेगी या मुख्य जागीरदार की डेट आफ रिजम्पृशन है १-१-५४, उसके हिसाब से उसकी डेट आफ रिजम्पृशन मानी जायेगी ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसके लिए कानून देख लिया जाय।

श्री कुम्भाराम आर्य : सदस्य महोदय कानून के साथ में इस सम्बन्ध में मेरे से बात कर लें

श्री रघुनाथ बिश्नोई: पसायतेदारान के डिप्टी कलेक्टर के यहां जो बोण्ड्स पड़े हुए हैं काफी अर्से से, तो तहसीलदारों के मार्फत क्या सरकार का विचार है कि उनको शीघ्र ही बंटवा दिया जायेगा ?

श्री कुम्भाराम आर्य : जी हां।

श्री गंगासिंह: डट आफ रिजम्पृशन का सवाल तय नहीं हुआ है कि वह कौन सी होनी चाहिए, इसके लिए क्या सरकार तय करेगी ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): कानून के मुताबिक तय कर दिया जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार की यह आम नीति है कि बड़े जागीरदारों का मुआवजा पहले चुका दिया जाय और जो छोटे पसायतेदारान हैं उनका देरी से ?

श्री कुम्भाराम आर्य : ऐसा नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसा इसी जिले में हुआ है या सारे राजस्थान में हुआ है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : यह मामला बाद में लिया गया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं आपकी मार्फत जानकारी देना चाहता हूं कि पसायतेदारान के मामले डिप्टी कलेक्टर के यहां काफी अर्से से पड़े हुए हैं और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वे इतनी छोटी-छोटी रकमों के हैं कि बार बार वहां नहीं जाया जा सकता है। अगर तीन बार इसके लिए कोई जाय तो मुआवजा ही खत्म हो जाय। इस बारे में राज्य सरकार ध्यान दे।

श्री कुम्भाराम आर्य : इसकी तरफ ध्यान दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री चन्द्रसिंह वर्मा (बिलाड़ा) : इसके मामले पहले हो चुके हैं या विचाराधीन हैं ? क्या सरकार की यह आज्ञा थी कि जब तक केसेज तय न हों तब तक कार्यवाही नहीं की जाय ?

श्री कुम्भाराम आर्य : यह इस बात से सम्बन्धित नहीं है।

श्री चन्द्रसिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, वे केसेज डिसाइड नहीं हुए हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य : कानून के खिलाफ बात हो रही हो तो आपको बताना चाहिये।

प्रश्न संख्या ७२

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

राजस्थान फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग आर्डर, १९६४ में किये संशोधनों की संख्या।

७३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग आर्डर, १९६४ में अब तक किये गये संशोधनों की संख्या क्या है ?

(२) राज्य भर में उक्त आदेश के आधीन कितने लाइसेन्स होल्डर्स हैं ? १५-१०-६४ को अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा घोषित किया गया गेहूं का भण्डार कितना था ?

(३) उक्त आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

(४) अब तक चलाये गये मुकदमों की संख्या क्या है तथा उनका क्या परिणाम रहा ?

(५) क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती है कि इतने विलम्ब से किये गये संशोधन खाद्यान्न संकट को हल करने में बिल्कुल सहायक नहीं हुए हैं ?

Page No 26

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(६) इस संकट के समाधान हेतु सरकार ने और क्या कदम उठाये हैं ? इस विषय में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं तथा आदेशों की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) संख्या ८ है।

(२) १४ जिलों में १२७२४ होल्डर्स हैं। ३,२४,९६९ क्विन्टल गेहूं का भंडार था।

(३) १,०७१ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(४) अब तक चलाये गये मुकदमे की संख्या ५९६ है, जिनमें से २११ में सजा, ६० में बरी व ३२५ न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(५) जी नहीं।

(६) समय समय पर जो आदेश (विज्ञप्तियां) प्रचलित की गई हैं उनकी एक एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो समय समय पर संशोधन जारी किये गये हैं इनसे राज्य में खाद्य-संकट को हल करने में क्या सहायता मिली है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, जो इसमें संशोधन किये गये हैं उनमें कुछ प्रशासन की दिक्कतों को हल करने के बाबत किये गये और कुछ छोटे व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए किये गये हैं। कुछ प्रशासनिक आथोरिटी जो अपीलेट आथोरिटी हैं उनके काम करने के बाबत हैं, कुछ कोआपरेटिव सोसाइटीज को रियायत देने के बाबत में हैं। इस प्रकार से जो दिक्कतें काम के दौरान में महसूस हुई हैं उनको हल करने के लिए संशोधन किये गये हैं। उनसे कुछ रियायत और सहूलियत पैदा हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न यह है कि राज्य में जो खाद्य-संकट है उसको हल करने में राज्य सरकार के फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग आर्डर जारी करने के बाद ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिससे कि राज्य के लोगों को खाद्यान्न आसानी से उपलब्ध हो सके, उस दृष्टि से क्या किया गया है ? यह तो प्रशासन का ताल्लुक है कि लोगों को गिरफतार कर लिया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपने जो फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग आर्डर बनाया है उसके सम्बन्ध में नहीं पूछा है। इसमें यह पूछ रहे हैं कि संशोधन जो किये गये हैं उनसे क्या फर्क पड़ा है, तो फर्क मैंने निवेदन कर दिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो इसमें मुकद्दमों के बारे में कहा है कि इस सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं, तो इतनी संख्या भारी संख्या में लोग बरी हुए हैं तो, या तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाये या वे मुकदमें सही थे तो उनका प्रोसीक्यूशन सही नहीं हुआ है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कोई विशेष मुकदमा बतायें कि किस मामले में फर्जी

Page No 27

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
बनाया गया है तो जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: कोटा में सभी व्यापारियों पर झूठे मुकदमे बनाये गये थे उस सम्बन्ध में जांच की गई ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: यह प्रश्न अलग है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, ये संशोधन हुए हैं वे तहसीलों में क्रियान्वित कराने के लिए पहुंचे कि नहीं। इस बात के जानने की जरूरत है कि उनके पास सारे संशोधन पहुंच भी गये और पहुंचने से पहले जो विद्ड्रा आपने किये हैं तो वापिस उन पर चलाये गये या नहीं या जितने विद्ड्रा हुए हैं उस अवधि में वे तहसीलों में भी पहुंचे या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: समझा तो यही जाता है कि समय के अन्दर वे पहुंचे होंगे। अगर नहीं पहुंचे हैं तो व्यापारियों को खुद प्राप्त करने चाहिए थे। सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: पहुंचने के पहले ही विद्ड्रा हो गये। विद्ड्रा होने से पहले तहसीलों में वे पहुंचे भी कि नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: आप खास बात बतायेंगे कि फलां तहसील में नहीं पहुंचे और विद्ड्रा करने की एप्लीकेशन्स हो गई तो जांच करेंगे।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: आपके पास क्या एजेन्सी है कि कहीं पहुंचे भी हैं कि नहीं और अगर पहुंचे हैं तो कितने समय में पहुंचे हैं और विद्ड्रा कितने दिनों पहले कर लिये गये हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन्स हैं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: हाइपोथेटिकल नहीं, सही हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: आप कहते हैं कि नहीं पहुंचे हैं तो बताइये कि कहां कहां नहीं पहुंचे हैं और केसेज को विद्ड्रा कर लिया है। आप बहस हवा में कर रहे हैं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: यह बिल्कुल गलत है, अध्यक्ष महोदय। यह बताइये कि आपकी तहसीलों में जितने आपके संशोधन हैं वे हैं या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा: सब तहसीलों में मौजूदा होने चाहिए और सब जगह मौजूद हैं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: नहीं हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: किसने कहा ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: मैं कह रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा: आप कैसे कह रहे हैं ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: नहीं हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: किसने कहा है, नहीं हैं ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: मैं कह रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा: आप कैसे कह रहे हैं ? तहसीलदार को कहिये कि वह हमको

Page No 28

(श्री नाथूराम मिर्धा)
लिखे कि हमारे यहां नहीं पहुंचे । इसीलिये में कह रहा हूं कि आप हवा में बात कर रहे हैं ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : हवा में बात आप कर रहे हैं कुर्सी पर बैठ कर । हम वहां पर एडवाइजरी कमेटी में बैठते हैं, वहां पर सर्क्यूलर नहीं मिलता ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कौनसा सर्क्यूलर नहीं मिला यह बताइये ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मैं अपने सब-डिविजन की बात कह रहा हूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब आप तहसील से सब-डिविजन पर आ गये । आप सर्क्यूलर के नम्बर बताइये कि कौनसा नहीं मिला ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मैं नंबर भी बताऊंगा । आप यह कहिये कि जांच की जायगी और यदि नहीं पहुंचा है तो एक्शन लिया जायगा, यह भी कमिट कीजिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सर्क्यूलर डाक से भेजे जाते हैं । यदि किसी को डाक से नहीं मिला है और वे हमसे कहते हैं कि फलां नहीं मिला है तो हम दुबारा भेज सकते हैं । लेकिन आपका यह कहना कि पहुंचा नहीं, हवा में बातें करना है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि फूड लाइसेन्सिंग ऑर्डर २६ जिलों में लागू है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो आपने १४ जिलों के ही फिगर्स क्यों दिये हैं ? आपने बताया है कि १४ जिलों में १२,७२४ लाइसेन्स होल्डर्स हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिन जिलों से सूचना हमारे पास आई है वह आपको दी है, दूसरे जिलों की सूचना अभी नहीं आई है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार को आज तक जानकारी नहीं है कि कुल कितने लाइसेन्स होल्डर्स हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लाइसेन्सिग ऑथोरिटी तहसीलदार है और यह सूचना उनके पास रहती है । आप प्रश्न पूछते हैं तब इफोर्मेशन हम मंगाते हैं, वर्ना काहे को मंगावें ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने सवाल सारे राजस्थान के बारे में पूछा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जितने जिलों की सूचना हमारे पास आई है वह पेश कर दी ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : प्रश्न अभी बहस का था । कौन सा सर्क्यूलर पहुंचा या नहीं, क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल जो चना बाहर न जाना तय किया, सरकार के इस सर्क्यूलर के नहीं पहुंचने से बहुत से लोगों का चना पिछले ऑर्डर की मातहत खरीद लिया और उनके गोदामों में पड़ा है, इसके बाद आपके अधिकारियों ने इस सर्क्यूलर की बगैर परवाह किये पुराने सर्क्यूलर के मातहत चना ले लिया और नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया; क्या यह सही है जिसका जिक्र अखबारों में भी आया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बिल्कुल गलत है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह बिल्कुल सही है। किशनगढ में तुलवाया है १३ तारीख को और आपका सर्क्यूलर ११ तारीख का है। आज तक रसीद नहीं दे रहे हैं। नोटिस देते हैं, नाज तौल कर ले जाओ और आप कहते हैं कि यह गलत है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जो कुछ कह रहे हैं ११ तारीख से पहले जिस प्रोसीजर से खरीद रहे थे उसको ११ तारीख से बन्द करने के ऑर्डर्स इश्यू किये गये और सब को वायरलैस से, टेलीग्राम से और दूसरे तरीकों से हरेक पर्चेज ऑफिसर जो यह काम कर रहे थे उनको सूचना पहुंचा दी है। इसके बावजूद भी बहुत सो ने प्रीवियस डेट में एन्टरीज करके १४-१५ तारीख तक खरीदना जारी रखा और कहने लगे कि हमको जानकारी नहीं थी इसलिये खरीदा। ऐसे लोगों की जांच की गई, इन्क्वायरी की गई, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया जिनके खिलाफ सीरियस चार्ज हैं उनके मामले एन्टीकरप्शन को सौंपे गये हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि ११ तारीख के बाद किसी को भी एन. ओ. सी. नहीं दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ११ तारीख के बाद नये चने बेचने का सवाल नहीं है, फिर भी जो बोनाफाइड ट्रान्जेक्शन ११ तारीख से पहले हो चुके हैं और जिसके नीचे कलेक्टर ने एक एक केस को स्क्रूटिनाइज करके तस्दीक किया है उनका बोनाफाइड खरीदना मान लिया है। बाकी जिनको नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है ऐसे लोगों का चना प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में एक्सपोर्ट नहीं हो पाया है तो कलेक्टर ने १५ दिन की अवधि एन. ओ. सी. की और बढ़ा दी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जयपुर के व्यापारी जिनका ११ तारीख से पहले ट्रान्जेक्शन हो गया था उनको ११ तारीख के बाद एन. ओ. सी. नहीं दिया, जबकि ट्रान्जेक्शन इस डेट से पहले हुआ था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जयपुर के व्यापारियों के केसेज को भी स्क्रूटिनाइज कर लिया है। एक एक केस कलेक्टर ने स्क्रूटिनाइज किया है और जिनको बोनाफाइड पाया गया उनको एन. ओ. सी. इश्यू कर दिया गया है, लेकिन जो ट्रान्जेक्शन समय के बाद हुए हैं और कलेक्टर ने तस्दीक नहीं किये हैं उनको नहीं माना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप तस्लीम कर चुके हैं कि एन्टी डेट ट्रान्जेक्शन्स् हुए हैं और बहुत से ऑफिसर्स को, ए. डी. एम. तक को सस्पेन्ड भी किया है। जो चना एन्टी डेटेड दर्ज किया है और इस बिना पर जिसने चने का एक्सपोर्ट किया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह अब तक पड़ा है, बाहर नहीं जा सका है। वह चना अब तक इन्क्वायरी के तहत पड़ा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : निश्चित सूचना गंगानगर की ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे प्रश्न का जवाब जब तक नहीं देंगे तब तक प्रश्न अधूरा रहेगा। २६ जिलों की सूचना आपके पास नहीं है। असल बात यह है कि सारे राजस्थान में लाइसेन्स होल्डर्स कितने हैं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
और उन सबके पास उस तारीख को कितना स्टॉक था, जब तक इसका पता नहीं चलेगा तब तक स्टॉक की पोजीशन का पता कैसे चलेगा और फूड पालिसी कैसे डिसाइड होगी। आपने केवल १४ डिस्ट्रिक्ट्स की सूचना दी है। This question should be postponed

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों से कहा गया था खाद्य सिचुएशन पर बहस होगी। खाद्य मंत्रीजी जानकारी कर रहे हैं। जो जो बातें रह गई हैं उनका समावेश करके नोट तैयार करवा कर माननीय सदस्यों के पास भेजेंगे। सारी प्रक्रिया के बारे में उस समय बहस की जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

(विराम)

प्रश्न समाप्त हुए

(शेष प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सैनिकों के परिवारों को दी गई आर्थिक सहायता

६७. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने आदेश जारी किया था कि कश्मीर और चीन के युद्ध में वीरगति प्राप्त या अपंग हो जाने वाले सैनिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जायगी, जैसे अफसर को ५००) रु० और जे. सी. ओ. को तीन सौ रुपये ?

(२) यदि हां, तो आज तक कुल कितने सैनिकों को आर्थिक सहायता दी गई।

उत्तर

(१) यह सही है कि राजस्थान सरकार ने नेफा और लद्दाख में और पाकिस्तान की फौजों से लड़ते हुए अपंग हो जाने वालों को या वीरगति को प्राप्त होने वालों के आश्रितों को इस समय नकद सहायता निम्न प्रकार स्वीकृत की है :—

(अ) आफिसर या जे. सी. ओ. को १०००) रु० नकद और १५००) रु० का सुरक्षा बोंड या सर्टिफिकेट।

(आ) अन्य श्रेणी के जवानों को १०००) रु० नकद और १०००) रु० का सुरक्षा बोंड या सर्टिफिकेट।

(२) अब तक २२६ को आर्थिक सहायता मिल चुकी है।

जिला बांसवाड़ा को प्रतिमाह दिये जाने वाला शक्कर का कोटा

६८. **श्री विट्ठल** (बांसवाड़ा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला बांसवाड़ा को प्रति माह के लिये कितनी शक्कर दी जाती है और प्रत्येक पंचायत समिति को कितनी कितनी और पंचायत समिति क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कितनी कितनी ?

(२) बांसवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में कितनी शक्कर प्रति व्यक्ति दी जाती है ?

(३) क्या यह सही है कि चीनी का स्पेशल कोटा भी दिया जाता है ? यदि हां,

(श्री विट्ठल)
तो वह किन किन व्यक्तियों को कितना कितना दिया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) बांसवाड़ा जिले को माह मई, जून, १९६५ तक १३०.५ टन दी जाती थी ? इसके पश्चात् जून, जुलाई में १४५ टन दी गई। प्रत्येक पंचायत समिति को निम्न लिखित शक्कर प्रति माह दी गई :—

१.	पं स. बांसवाड़ा		१०० बोरी
२.	,,	गढी	१८० ,,
३.	,,	घाटोल	११५ ,,
४.	,,	पीपलखूट	७५ ,,
५.	,,	बागीदोरा	१०० ,,
६.	,,	सज्जनगढ	७५ ,,
७.	,,	कुशलगढ	७० ,,
८.	,,	भुखिया	७५ ,,
			७९० बोरी

उस समय जिले की ग्रामीण जनता में २००० से अधिक आबादी में ७५० ग्राम व २००० से कम आबादी वाले गांव में ५०० ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दी जाती रही है। माह सितम्बर से प्रति व्यक्ति प्रति माह ३०० ग्राम देने के आदेश दिये गये हैं।

(२) बांसवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में १ किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह शक्कर दी जाती है।

(३) जी हां, जापा, शादी, विवाह व धार्मिक उत्सव आदि के लिये शक्कर का स्पेशल कोटा दिया जाता है, जो कोटा विभिन्न पंचायत समितियों को माहवारी माह मार्च सन् ६५ से पूर्व दिया उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

मंत्रियों के चिकित्सा संबंधी नियमों में किये गये परिवर्तन

६९. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या मंत्रियों के चिकित्सा संबंधी नियमों में राज्यपाल के आदेश से कोई परिवर्तन किये गये हैं ? यदि हां, तो उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि जिस तारीख को यह नियम परिवर्तित किये गये उससे पूर्व की तारीख से इन नियमों को प्रभावशाली बनाने का आदेश दिया गया ?

(३) उक्त नियम किन सिद्धांतों के आधार पर बनाये गये हैं ? कृपया इसका स्पष्टीकरण करें।

(४) क्या राज्य सरकार उक्त सिद्धांतों को राज्य कर्मचारियों व जन प्रतिनिधियों के लिये लागू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

सूची संलग्न है।

(२) यद्यपि परिवर्तन संबंधी विज्ञप्ति ३० अप्रेल, १९६५ को प्रचलित की गई, तथापि परिवर्तन को ८ मार्च, १९६५ से प्रभावशील बनाया गया क्योंकि इसी दिन

Page No 32

(श्री मुख्य मंत्री)
राज्यपाल महोदय ने इस परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की थी।

(३) यह नियम मुख्य रूप से अखिल भारतीय सेवाओं के चिकित्सा नियमों पर आधारित हैं तथा राजस्थान मंत्रियों के वेतन अधिनियम, १६५६ की धारा ७ के अन्तर्गत बनाये गये हैं। ऐसे नियम भारत के अन्य राज्यों में भी प्रचलित हैं।

(४) राज्य कर्मचारियों तथा जन प्रतिनिधियों दोनों के लिए चिकित्सा संबंधी नियम पहले से ही प्रचलित हैं। जहां तक मंत्रियों संबंधी चिकित्सा नियमों में किये गये परिवर्तनों के अनुरूप इनमें फेर-बदल का प्रश्न है, इस पर आवश्यकतानुसार समय आने पर विचार किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सवाई मानसिंह हाई वे जयपुर का पुलिस स्मारक

७२. **श्री दिग्विजयसिंह** (उणियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि जयपुर में सवाई मानसिंह हाई-वे पर कोई पुलिस स्मारक का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो कब और उसके निर्माण में कितनी लागत लगी?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस स्मारक के लिए कोई मशीनरी खरीदी गई थी जो कि पेन्ट के कार्य के लिये थी? यदि हां, तो कितनी लागत की?

(ग) क्या यह सत्य है कि वह मशीनरी लेने के बाद खराब हो गई और सारा पेन्ट का कार्य हाथ से करना पड़ा? यदि हां, तो यह मशीनरी कहां से और किसने दी थी?

(घ) क्या यह सत्य है कि इस स्मारक की मूर्तियों का ठेका दिया गया था? यदि हां, तो क्या उसके लिए टेन्डर लिये गये थे? यह ठेका किसको दिया गया था और कितने की धनराशि का था?

(ङ) क्या यह सही है कि उक्त स्मारक के बनने के बाद उसकी कोई मरम्मत नहीं की गई और उसके चारों ओर जिन शहीदों के नाम थे वे सब मिट गए और अभी तक दुबारा नहीं लिखे गये?

उत्तर

(क) जी हां, यह कार्य जुलाई, १६६२ में प्रारंभ हुआ था व अक्टूबर, १६६३ में समाप्त हुआ उस पर २६१४३ रुपये ४५ पैसे खर्च हुआ है।

(ख) जी नहीं।

(ग) 'ख' के उत्तर के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी हां, यह ठेका राज्य सरकार द्वारा मिसेज ऊषारानी हूजा को २०,०००) रु. में दिया गया था, उसके कोई टेन्डर नहीं लिये गये थे वरन दो कोटेशन प्राप्त हुए थे।

(ङ) जी हां, शहीदों के नाम फिर लिखवाये जा रहे हैं।

Page No 33

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विज्ञापन हेतु सरकार द्वारा समाचार पत्रों को मान्यता

२५. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अप्रेल, १६५७ से लेकर अब तक राजस्थान सरकार से विज्ञापन हेतु किन किन समाचार-पत्रों को मान्यता प्राप्त रही है ? इसमें राजस्थान व राजस्थान के बाहर से निकलने वाले कौन कौन से हैं ?

(२) इन पत्रों में इस अवधि में किन किन समाचार-पत्रों को कितना कितना डिसप्ले तथा अन्य प्रकार का विज्ञापन दिया गया ?

(३) प्रेस रजिस्ट्रार की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार इन समाचार-पत्रों की प्रकाशन संख्या कितनी कितनी है ?

(४) इस अवधि में किन किन नियमों के आधार पर यह विज्ञापन दिये गये ? इन नियमों की प्रकाशन तिथि बताने की कृपा करें ।

(५) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की आज्ञा होम: बी. डिपार्टमेन्ट एफ. ८ (२) (२३) जी. आर. २ एच. बी.-६२ जयपुर, दिनांक २६ सितम्बर, १६६२ की अवहेलना के कारण कई समाचार-पत्रों में प्रकाशित सरकारी विज्ञापनों का भुगतान रोक लिया गया था ? यदि हां, तो किन किन का, कब कब और कितने कितने रुपयों का ?

(६) क्या यह भुगतान बाद में कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(७) क्या यह सही है कि कुछ समाचार-पत्रों को भुगतान राज्य सरकार की स्वीकृति से हुआ ? यदि हां, तो किन किन को कितना कितना और कब ? यह स्वीकृति लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

उत्तर

(१) परिशिष्ट 'क' संलग्न है ।

(२) परिशिष्ट 'ख' संलग्न है ।

(३) परिशिष्ट 'ग' में अंकित है ।

(४) सन् १६६३ से पहले कोई नियम नहीं थे । १६५६ की राजाज्ञा से ८००) रु० तक के विज्ञापनों का भुगतान संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय कर सकता था और इससे उपरान्त राजाज्ञा लेना जरूरी था ।

(५) काम्पीटेंट स्वीकृति के अभाव में निम्नलिखित बिलों का पेमेंट नहीं हुआ था:—

पत्र का नाम	धन-राशि	रोके जाने के दिनांक
१. विशाल राजस्थान, कलकत्ता	रु० ३६१०)	२८-८-६२
२. नवजीवन, उदयपुर	रु० ६१४०)	३०-१-६३
३. पुकार, उदयपुर	रु० २१५४)	१६-१२-६२

Page No 34

(श्री जन सम्पर्क मंत्री)

१	२	३
४. राजस्थान, उदयपुर	रु० २८४४)	१९-१२-६३
५. लोकजीवन, भीलवाड़ा	रु० ५६७६)	२१-६-६३
६. कोलाहल, उदयपुर	रु० २५३८)	९-८-६२
७. अधिकार, जयपुर	-	

(६) जी हां। जहां जहां नियमानुसार पेमेन्ट किया जा सकता था कर दिया गया है।

(७) यह सही है कि भुगतान सरकार की निम्न स्वीकृतियों से हुआ है :—

स्वीकृति	पत्र का नाम	रकम	भुगतान की तिथि
१. एफ. ९(२) (४३) एच बी।२।६४, दिनाक १-१०-६४ और ३१-१२-६४	लोकजीवन, भीलवाडा	रु० ५६७६)	एफ. वी. सी. नं० १६६, दि० ८-१०-६४
२. एफ. ६ (२) (७१) एच बी २।६२, दि० २०-११-६३	विशाल राजस्थान, कलकत्ता।	रु० ३६१०)	३३२/११-३-६४
३. एफ. ६ (२) (२) एच बी २।६३, दि० १७-७-६४	पुकार, उदयपुर	रु० २१८४)	११४/३१-७-६४
४. एफ. ६ (२) (३७) एच बी।६४, दिनांक १६-६-६४	नवजीवन, उदयपुर	रु० ६१४०)	८०/२७-६-६४
५. एफ. ६ (२) (७) एच बी २।६४, दि० ६-५-६४	राजस्थान, उदयपुर	रु० १४२२)	२८/१२-५-६४
६. एफ. ६ (२) (७) एच बी २।६४, दि० ६-५-६४	,,	रु० १४२२)	,,
७. एफ. ६ (२) (५७) एच बी २।६३, दि० ३-१०-६३	कोलाहल, उदयपुर	रु० २५३८)	२३०/२८-२-६४

स्वीकृति नियमानुसार कॉम्पीटेन्ट आॅथोरिटी की लेनी ही पड़ती है। डाइरेक्टर उस वक्त के नियमों के अनुसार राजाज्ञा बिना पेमेन्ट नहीं कर सकते थे।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

निवाई तहसील में मुकदमें

२६. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

निवाई तहसील कार्यालय में गत तीन सालों में विभिन्न प्रकार के कितने मुकदमें दायर हुए और उनमें से कितनों का फैसला तहसीलदार द्वारा किया गया ?

उत्तर

तहसील निवाई में गत तीन सालों में विभिन्न प्रकार के मुकदमात निम्नानुसार रजू व फैसल हुए:—

सन्	सा० बाकी	रजू	योग	फैसल	बाकी
१९६२	१९	३१०९	३१२८	२१३८	९९०
१९६३	९९०	९९७	१९८७	५८०	१४०७
१९६४	१४०७	१८५५	३२६२	१६०	३१०२

भीमसागर बांध का निर्माण और लागत धन-राशि

२७. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा—सु.) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भीम सागर बांध, जिला झालावाड का निर्माण कार्य कब चालू हुआ और अब तक इसके निर्माण कार्य पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

(२) इस बांध के अन्तर्गत नहरों की खुदाई में कुल कितने किसानों को मुआवजा दिया गया और कितने किसानों को मुआवजा देना बाकी है ?

(३) क्या यह सही है कि इस बांध के बनाने में असनावर कस्बा डूब में आवेगा ?

उत्तर

(१) इस बांध का निर्माण कार्य नवम्बर, १९५४ में आरम्भ हुआ और अब तक इस पर १३,०७,८९६ रुपये खर्च हो चुके हैं।

(२) अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया, अब प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त हो गया है और जिलाधीश, झालावाड़ को लिखा गया है कि मुआवजे संबंधी कार्यवाही को शीघ्र कार्यान्वित करें।

(३) जी हां।

हलवाइयों को चीनी

२८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपल्दा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम मांगरोल, पंचायत समिति अन्ता के हलवाइयों को चीनी नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No 36

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(२) क्या यह सही है कि हलवाइयों ने तहसीलदार मांगरोल व एस. डी. ओ. बारां को इस संबंध में प्रार्थना-पत्र दिये हैं ?

(३) क्या सरकार इन हलवाइयों को चीनी का माहवारी कोटा मिल सके, इसकी व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) हलवाइयों द्वारा तहसीलदार मांगरोल के सम्मुख प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें शक्कर उपलब्ध कराई जाती है।

(३) हलवाइयों को माहवारी कोटा नियुक्त करने के संबंध में व्यवस्था करने को लिख दिया गया है।

सिद्धमुख कैनाल का सर्वे

२९. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सिद्धमुख कैनाल का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो उससे चूरू जिले के किन किन गांवों की भूमि सिंचित हो सकेगी ? कृपया सर्वे की क्षप्त रिपोर्ट व गांवों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त कैनाल का कार्य कब प्रारम्भ होगा और कहां से ? क्या यह सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में कार्य आरम्भ हो जायगा ? यदि हां, तो कृपया तत्संबंधी पूरी जानकारी

उत्तर

(१) नहीं, अभी पूर्ण रूप से कोई सर्वे नहीं हो पाई है और इस बात पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है कि इससे किन किन गांवों की भूमि सिंचित की जावेगी।

(२) यह कार्य शायद अगली पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रारंभ हो सकेगा। इस वर्ष कोई इस काम के लिये प्रावधान नहीं है।

नागोर जिले के थाने

३०. **श्री गंगासिंह** (जायल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नागोर जिले में कितने थाने हैं ?

(२) इस जिले में १९६० से आज दिन तक कितनी चोरियां हुई ? हर साल की अलग अलग थानेवार संख्या बतायें।

(३) इन चोरियों में कितनी चोरियां बरामद हुई हैं ?

उत्तर

(१) २३ थाने हैं।

(२) सन् १९६० से १९६५ तक इस जिले में अन्त तक कुल १०९८ चोरियां दर्ज हुई। थानेवार तथा वर्षवार सूची संलग्न है।

(३) इनमें से ६७८ बरामद हुई।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 37

जिला सवाई-माधोपुर में चोरियां

३१. **श्री श्रवणलाल** (हिंडौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला सवाई-माधोपुर में सन् १९६२ से दिसम्बर, १९६४ तक कितनी चोरियां हुई हैं ?

(२) ये चोरियां कितनी धन-राशि की हैं ? कितनी चोरियों का माल बरामद किया गया ?

(३) कितनी चोरियों का माल मालिकों को लौटाया गया ?

उत्तर

(१) जिला सवाई-माधोपुर में सन् १९६२ से सन् १९६४ तक ५३५ चोरियां एवं ६१६ नकबजनी हुई है ।

(२) उपरोक्त चोरियों में रु० ३,५६,६०७.३० पै. के मूल्य की तथा नकबजनियों में रु० ३,९१,८६१.५४ पै. के मूल्य की सम्पत्ति चोरी गई । इनमें से १९३ चोरियों की एवं १२० नकबजनियों की सम्पत्ति बरामद हुई ।

(३) ११८ चोरियां एवं ७५ नकबजनियों की सम्पत्ति मालिकों को लौटा दी गई है ।

भूमिहीन काश्तकारों द्वारा भूमि के लिए अर्जियां

३२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कोटा जिला की तहसील पीपल्दा में कितने काश्तकार भूमिहीन हैं ? कितने भूमिहीन काश्तकारों ने भूमि के लिये तहसील में तें दी हैं ?

उत्तर

९१२ भूमिहीन तहसील पीपल्दा में हैं । ८८१ भूमिहीन काश्तकारान ने भूमि के लिये दरख्वास्ते तहसील में दी हैं ।

श्री अध्यक्ष : अधिक अनुदानों की मांगें ।

(११.१५ म.पू.)

अधिक अनुदानों की मांगें १९६१-६२ पर विचार एवं उन पर मतदान

अधिक अनुदानों की मांग संख्या ६३—लेखन सामग्री तथा मुद्रण

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदानों की मांग संख्या ६३, मुख्य शीर्षक ५६, लेखन सामग्री तथा मुद्रण के संबंध में संघनित निधि में से, ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,५५,०३८) रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । श्री दुर्गालाल बाढदार ।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) :

१. मांग संख्या ६३, मुख्य शीर्षक ५६—लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कागज जो राज्य कार्यालयों को दिया जाता है वह निम्न कोटि के रहे हैं और उपादेयता नहीं रही है इस पर बहस करने के लिये) ।

श्री चोसरसिंह बावेल (बैंगू) :

२. मांग संख्या ९३, मुख्य शीर्षक ५९-लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कागज जो खरीदे गये वे दिये गये नमूने के मुताबिक नहीं थे, इस पर बहस करने के लिये)।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, लेखन और मुद्रण सामग्री के संबंध में जो राज्य सरकार की ओर से मांग प्रस्तुत की गई है उस पर मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

आज के जमाने में मुझे तो केवल दो ही बातें नजर आती हैं। इस राज्य सरकार की ओर से जो बातें होती हैं उनमें दो बातें प्रधान हैं, लेखन और मुद्रण में कोई सब्स्टेंसिव काम करते नजर नहीं आते हैं। यह आपको स्पष्ट विदित हुआ है कि प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं उनमें कोई ऐसा उत्तर प्रतीत नहीं होता जिसके द्वारा हम कह सकें कि कोई महत्वपूर्ण कार्य किया है।

अब तो यह जमाना रह गया है---केवल हुक्म लिख दीजिये, उसको छाप दीजिये, अपना प्रचार कर दीजिये और ये सारी बातें कर दीजिये। मैं यह अन्दाज लगा कर चलता हूं कि यह लेखन और मुद्रण विभाग एक महत्व पूर्ण अंग बन गया है राज्य सरकार के लिए और उसके लिये अधिक मांग की जाती है कागजों के सिलसिले में। अब कागजों का नमूना कैसा है? मैं पूछना चाहता हूं, आखिर यह मांग क्यों की गई? किस प्रकार का कागज खरीदा गया है? इसका एक सिद्धांत होना चाहिये। जितने विभाग हैं सरकार के उनको कागज सप्लाई करने का काम यह विभाग करता है। अब यह कागज सप्लाई किस तरह किया जाता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी विभाग में आप देखियेगा, जो कागज लिखने को दिया जाता है उस पर संभवतः यदि कोई अच्छे फाउन्टेन पैन का निब चलाना चाहेगा तो उसका निब टूट जायगा, उसका निब खराब हो जायगा। लेकिन उस कागज पर लिख कर सही मायने में उससे मतलब हल हो सकता हो, इस प्रकार का कागज सप्लाई नहीं किया जाता है। मैं यह कहूंगा कि कागज का नमूना एक प्रकार का आता है, दिखाया दूसरी प्रकार का कागज जाता है और खरीदा और तरह का जाता है। साथ ही कोटेशन्स में भी चेंजेज हो जाती हैं। आखिर यह क्यों होता है? और फिर जहां तक मुद्रण का प्रश्न है, उसके अन्दर भी कोई अच्छी प्रिन्टिंग होती हो, यह बात नहीं है।

हमारे यहां पर लाखों रुपयों की प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी विभाग में मशीनरी मंगाई गई है। लाखों रुपयों की मशीनरी राज्य सरकार ने खरीदी है और उसकी व्यवस्था के लिए अच्छे ऑफिसर्स रखे हैं, लेकिन वक्त पर जो महत्वपूर्ण चीजें छप कर निकलनी चाहिए और उसके लिये जिस प्रकार के कागज का उपयोग होना चाहिये, वह उपलब्ध नहीं होता है।

हाल ही के दो तीन नमूने मैं आपको बताता हूं। जयपुर में ही नहीं, राजस्थान में स्टाम्प्स का अभाव हो गया, कोर्ट फीस स्टाम्प्स और नकल स्टाम्प्स नहीं मिले। माननीय मंत्रीजी इस बात को मजाक में लेना चाहते हैं, लेकिन इनके पास एक बार नहीं हजार बार शिकायतें पहुंचीं। उनका उ

(श्री दुर्गालाल वाढदार)

क्या आता है कि कोई नासिक के मुद्रणालय से स्टाम्प छपवाने की व्यवस्था करने के लिए इनका ऑफिसर वहां जा रहा है। इसमें उस ऑफिसर का टी. ए. बनता है, डी. ए. भी बनता है और राज्य सरकार का बहुतसा और खर्चा होता है। मैं पूछना चाहता हूं, श्रीमान् आप कागज के लिए और अधिक मांग करना चाहते हैं और रुपया हमसे पास कराना चाहते हैं, लेकिन आप दो महीने से कागज की व्यवस्था क्यों नहीं कर सके जिससे आप यहां पर अपने ही विभाग के अन्दर स्टाम्प्स छपवा लेते? जनता की मांग आती है, उसको आप पूरा कर सकते थे। इसके अलावा आप लाखों रुपये की मशीनरी की बात कहते हैं और उसके अप-टू-डेट और फर्स्ट क्लास होने का दावा करते हैं। इस सम्बन्ध में सवालों के जवाब में यह सूचना मिलती है कि हमारे यहां के मुकाबले की मशीनरी और कहीं नहीं मिलेगी। हम उस पर एक रंग में नहीं, दो रंग में नहीं, तीन रंग में भी चित्र छाप सकते हैं। यह बात दूसरी है कि आप रंग की छपाई करते हैं या छपाई को बरबाद करते हैं, यह आप जानें। लेकिन जहां स्टाम्प्स छपवाने का सवाल आता है तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो नये स्टाम्प्स का नमूना, कोर्ट फीस स्टाम्प्स का नमूना निकाल कर रखा है, मैं वह अभी लाया नहीं, अगर लाता तो आप को दिखाता। अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी पर्ची है, सिर्फ सवा इन्च में वह पर्ची आ जाती है। इस प्रकार की पर्चियों पर स्टाम्प्स छपवाये हैं। इसके अलावा स्थिति यह है कि यदि किसी आदमी को दस पैसे का स्टाम्प लगाना है तो उसको दस पैसे का स्टाम्प नहीं मिलेगा और मजबूरन उसको पच्चीस पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कानून में यह व्यवस्था है कि हर दर्ख्वास्त पर आठ आने, चार आने का स्टाम्प लगाना पड़ेगा, यह रकम मकर्रर कर दी गई है और इसी आधार पर स्टाम्प लगाना चाहिए। लेकिन आपके इन्तजाम की बदौलत, कागज नहीं खरीदने की वजह से, और कागज सप्लाई नहीं करने की वजह से जहां पर लोगों को आठ आने का टिकट लगाना चाहिये वहां उसे दो रुपये, ढाई रुपये का कोर्ट फीस स्टाम्प लगाना पड़ता है। तो यह आपकी व्यवस्था है। इसके बावजूद भी आप अधिक मांग मांगने के लिये तैयार हो जाते हैं। मैं समझता हूं, इससे अधिक और कोई आशा आपसे करने में लाभ नहीं है। मन्त्री महोदय, इससे इन्कार नहीं कर सकते कि इन बातों का आपको इल्म नहीं था, आपको ज्ञान नहीं था। यह बातें लिखित रूप में, रिप्रजेंटेशन के रूप में आप तक पहुंची हैं और इसके अलावा जुबानी भी लोगों ने जाकर आपको कहा है लेकिन इसकी व्यवस्था आपने समय पर नहीं की। आप समय पर व्यवस्था कर नहीं सके ऐसी स्थिति में आपको यह अधिकार नहीं है कि आप सदन से इस मांग को पास करायें। आपको मांग को पास कराने का अधिकार तभी प्राप्त हो सकता है, मंत्री महोदय जब आपका इस ओर ध्यान हो।

आप जनता से टैक्स वसूल करते हैं, जो जनता की कड़ी कमाई का पैसा, जो जनता दिन-रात खून और पसीना बहा कर

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

रुपया कमाती है, उस कमाई का पैसा वह आपको देती है और वह पैसा पब्लिक एक्स-चैकर में जमा होता है। वह पैसा इसलिये नहीं है कि आप उसे जनता की आवश्यकता के लिए खर्च नही करें, समय पर उनकी मांग को पूरा करने के लिए खर्च नहीं करें और उस रुपये का आप दुरुपयोग करते रहें, उसको इस प्रकार खर्च करें कि अपने अपने मन्त्रियों और अन्य व्यक्तियों, जो मन्त्रियों की निगाह में अच्छे समझे जाते हैं, की आवश्यकता को पूरा करने के लिये मनमाने तरीके से खर्च हो। ऐसी स्थिति में जनता आपकी इस प्रकार की मांग को किसी प्रकार भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है। इस सदन में जो लोग आपकी मांगों का विरोध करने के लिए आते हैं, वे स्वतः अपनी इच्छा से आपकी मांग का विरोध करते हों, यह मान कर नहीं चलना चाहिये। वे जनता के प्रतिनिधि हैं और जो जनता के दुःख-दर्द की आवाज होती हैं उसी को वे यहां बुलन्द करने के लिए आते हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं और आप पर भी उतना ही दायित्व है। हम यह मान कर चलते हैं कि और जितने भी यहां पर चुने हुए सदस्य हैं उनको ही जनता के दुःख-दर्द का ख्याल हो यह बात नहीं है, हम यह भावना रखते हैं कि आपको जनता का दुःख-दर्द का ख्याल उनसे ज्यादा होना चाहिये क्योंकि आपका उत्तरदायित्व अधिक बढ़ा हुआ है। एक तरफ आप जनता के प्रतिनिधि हैं और उसके साथ ही जनता के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि के रूप में आप इन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। आपको अपने दोनों अधिकार ध्यान में रखते हुए जो छोटी-छोटी बातें और छोटे-छोटे सवाल सामने आते हैं उन पर ध्यान देना चाहिये। इस विभाग का जहां तक प्रश्न है मैं उसके सम्बन्ध में इस मांग के अन्तर्गत ज्यादा कह कर समय नहीं लूंगा। जब इस विभाग का प्रश्न आयेगा तब मैं उन प्रश्नों को रखने की चेष्टा करूंगा और बताऊंगा कि जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सही रूप में, सही मायने के अन्दर जनता के हित के लिए इस विभाग को चलाने में कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं, कई शिकायतें होती हैं। मैं समझता हूं कि आपका प्रथम और पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि आप जनता की तकलीफों को सही मायने में समझें और उन तकलीफों को दूर करने की चेष्टा करें। आप उन तकलीफों को दूर करने की और उनका निराकरण करने की चेष्टा नहीं करते हैं और उनको नजरअन्दाज करते हैं, इस कान से सुन कर उस कान से निकालने की चेष्टा करते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो जाते हैं। यह इस प्रजातन्त्र में, जनतन्त्र में सबसे बड़ा अपराध है कि आप जनता की आवाज को नहीं सुनें और उनकी मांगों को पूरा करने की चेष्टा नहीं करें। मैं निवेदन करूंगा कि आप जनता की मांग को पूरी करने की चेष्टा करियेगा। मैं जानता हूं कि मैं इस मांग का विरोध करूंगा तो भी यह मांग पास होगी। मैंने अपने अब तक के अनुभव के आधार पर यह जाना है कि आपकी मांग रुकने वाली नहीं है, वह तो पूरी होकर रहेगी। फिर भी मैं कहता हूं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाय तो हम कहते हैं कि वह भूला हुआ नहीं है क्योंकि घर तो आ गया है। इसी प्रकार जो आप गलतियां करते आये हैं उनको आप भूल जाय और यह समझ लें कि हमें सही तरह से काम करना है तो आप

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

इन समस्याओं का निराकरण करने की चेष्टा कीजिये। अब भी आप यह सात लीजिये।

ये छोटे-छोटे मसले हैं, जो कागज सप्लाई किया जाता है कोर्ट में और ऑफिसेज में वह अच्छी प्रकार [illegible] नहीं करें। इसके अलावा जो दूसरा [illegible] सप्लाई की जाती है; होल्डर, पैन्सिल, निब आदि उनकी क्वालिटी के बारे में आप विचार करके देखिये। एक आदमी एक-दो आने की कोई चीज खरीदने जाता है तो वह हमेशा अच्छी खरीदेगा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि आपके जो खरीदने वाले हैं वे क्या खरीदते हैं? मैं आपको कहूंगा कि जो ऑर्डिनरी स्टेशनरी सप्लाई करते हैं उससे आप लिख कर देखिये तो आपको मालूम पडेगा कि कैसे निब आप देते हैं। आप तो बहुत वढिया फाउन्टेन पैन से लिखते हैं इसलिये आपको मालूम नहीं पडता है। जैसे जिसके बिवाई नहीं फटी है वह नहीं जानता कि घाव का दर्द कैसा होता है, या कैसा अनुभव होता है। आप देखिये, आप मेरे साथ चलिये, आप अपने इस रूप को बदल कर चलिये, आप गोपनीय ढंग से चल कर दफ्तरों में देखिये कि किस प्रकार का आप कागज देते हैं, किस तरह की स्टेशनरी देते हैं, किस तरह की पैन्सिल देते हैं और किस तरह का निब देते हैं। ऐसी व्यवस्था है और ऐसी स्थिति में आप ऑफिस के क्लर्क से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जो क्लर्क है वह ऐसी स्थिति में नोटिंग-ड्राफ्टिंग क्या खाक करेगा, वह क्या अपना माथा करेगा, जब उसके पास में ठीक तरह का कागज नहीं है, न अच्छा पैन है, न अच्छी पैन्सिल है और [illegible] है [illegible] नोटिंग-ड्राफ्टिंग करता है, लेकिन इस स्टेशनरी के सबब से उसके सामने दिक्कतें पैदा होती हैं। उसका ऑफिसर उसको परेशान करता है। मैं कोई उन लोगों की वकालत नहीं करता। मैं तो कहता हूं कि ऑफिस के कर्मचारी अव्वल तो वैसे ही एफीशियेन्ट नहीं होते और फिर [illegible] किस प्रकार का [illegible] है [illegible] जो आदत होती है, उसका जो स्वभाव होता है, जिस प्रकार की वह अपनी दिनचर्या रखता है उसका निश्चित रूप से प्रभाव उसके मातहतों पर पडता है। जब जिस प्रकार को उदासीन प्रवृत्ति [illegible] उदासीन [illegible] जाती है। और आज इनएफीशियेन्सी का एक कारण यह है। इसमें भी आपका ही दायित्व है। आप जो उनको मैटीरियल सप्लाई करते हैं वह इस प्रकार का मैटीरियल सप्लाई करते हैं कि सही मायने में वे लिख नहीं सकते हैं और काम बनने के बजाय बिगडता चला जाता है। इसलिए आप इस पर पूरा ध्यान दीजिये और इस प्रकार की जो छोटी-छोटी तकलीफें हैं इनको आप दूर कीजिये। यह कोई बडी बात नहीं है। इससे आपका विभाग भी सुधरेगा और आपको सही मायने में इस मांग को पास कराने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा, तब आप अपनी मांग को पूरा [illegible]।

जब इस विभाग के [illegible] करने का मौका आयेगा तो मैं बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आपके सामने [illegible] मैं विस्तार में नहीं [illegible] सिलसिले में [illegible] चाहता हूं कि इन स्टाम्प्स के लिये उचि

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

प्रकार का कागज सप्लाई करने की व्यवस्था आप कीजिये तब आपको सही मायने में अधिकार प्राप्त हो सकता है इस मांग को पूरा कराने का, वरना आप अपनी ताकत के जोम में, शक्ति के जोम में, अपने बहुमत के जोम में कितनी ही मांग पास करा लीजिये, लेकिन सही मायने में जनता आपका साथ देने के लयेतैयार नहीं होगी।

श्री ओ.रसिंह बाबेल (बेगूं) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ९३, मुख्य शीर्षक ५६-लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय, इस आशय का मेरा प्रस्ताव है। इसमें ३ लाख ५६ हजार की धनराशि को, ६१-६२ के लिये, मांग की गई है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि रेलभाडा बढ़ा या कागज ज्यादा तादाद में आने से यह राशि बढ़ी। इसका डिटेल नहीं दिया गया है। इसका सारा डिटेल सरकार को देना चाहिए था कि रेलवे भाडा बढ़ा या ज्यादा कागज खरीदा गया। चूंकि डिटेल्स नही दिये गये हैं इसलिये, जो कुछ मेरे पूर्व वक्ता ने बताया है कि लेखन सामग्री खरीदने में बहुत गडबडियां रहती हैं, मैं भी कहना चाहता हू कि लेखन सामग्री आदि खरीदने में बहुत अनियमितताए हुई हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आज तीन-चार साल बाद इस प्रकार की धन-राशि की मांग विधान सभा के सामने रखी जाती है, यह उचित नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस प्रकार की मांग को इसके पूर्व रखे और उसको जल्दी पास करा कर उसका इन्तजाम कराना चाहिये। इसमें डिटेल्स नहीं दिये हुए हैं, इसलिये ज्यादा अर्ज करना उचित नहीं समझता। ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि कागज अच्छा सप्लाई नहीं किया गया। अच्छे कागज सप्लाई करने चाहिए और फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक्सेस डिमान्ड रखी गई है और इसमें जिस धनराशि की स्वीकृति के लिये यह मांग प्रस्तुत है इस धन-राशि का संबंध उस कागज से है जो कागज इस विधान सभा में काफी विवाद का विषय बना। अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि आज से लगभग दो साल पूर्व राजस्थान सरकार द्वारा इस विभाग के माध्यम से जो कागज खरीदा गया था उसके संबन्ध में विधान सभा में काफी प्रश्न पूछे गये और काफी वाद-विवाद भी हुआ था। उस वाद-विवाद के सिलसिले में मंत्री महोदय ने रेवेन्यू बोर्ड के चेअरमैन, मैनन, को कागज की खरीद की जांच के लिये नियुक्त किया था और जहां तक मुझे स्मरण है कि माननीय मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया था कि मैनन रिपोर्ट तीन महीने में सरकार को प्रस्तुत कर दी जावेगी और इस रिपोर्ट के आधार पर यदि उस कागज की खरीद में कुछ अनियमितताएं पाई जावेंगी तो उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। लेकिन आज लगभग २ वर्ष का समय निकल गया, मैनन रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई, लेकिन सदन को जानकारी नहीं हुई कि उस कागज को खरीदने में गडबडी करने में किन किन का हाथ था और कौन अधिकारी दोषी थे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। यह प्रेस का मामला और प्रेस की खरीद के संबन्ध में विधान सभा में कई बार चर्चा हुई है।

(श्री भैरोंसिंह)

यहां पर जिन कागजों का भुगतान कराया गया है वे कागज प्रेस को जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक खरीदे गये। जो कीमत कागजों के लिये भुगतान की गई है वह कीमत लोएस्ट नहीं थी। जिस जगह से हमें कागज खरीदना था उस स्थान से यह कागज नहीं खरीदा गया, बल्कि एक दिन तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि राजस्थान के मुद्रणालय में इतने कागज जमा हो गये कि वहां के स्टोर में रखने की जगह नहीं रही। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य सरकार को मजबूर होकर भुगतान बन्द करने के आदेश देने पड़े। लेकिन कुछ समय बाद तत्कालीन डाइरेक्टर ने उसका भुगतान कर दिया। इसके पीछे क्या राज था यह तो इन्क्वायरी का विषय है, इसके बारे में मुझे जानकारी मिली है कि उसकी भी जांच की गई है। आज उसकी डिमान्ड सरकार प्रस्तुत कर रही है, लेकिन इससे पहले सरकार की ओर से यह स्पष्ट होना चाहिए था कि आखिर इस कागज की इतनी देर क्यों हुई, जितने लाख का कागज खरीदना था उससे ज्यादा कागज क्यों खरीदा गया? उसकी कीमत अधिक क्यों दी गई? कागज की क्वालिटी क्यों गिरी हुई पाई गई? यह सब प्रश्न ऐसे हैं जिनको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और इनका स्पष्टीकरण करने के बाद सरकार को यह मांग प्रस्तुत करनी चाहिए थी। मगर खेद का विषय तो यह है कि मंत्री महोदय जो जानकारी रखते हैं, जिन्होंने मैनन की रिपोर्ट को पढ़ा है और जो आश्वासन दे चुके हैं कि कुछ लोगों को मैनन रिपोर्ट के अनुसार चार्जशीट दी जा रही है, वे मंत्री महोदय यहां उपस्थित नहीं हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि संबंधित मंत्री महोदय इस बात की जानकारी करके इसका उत्तर देने की कृपा करेंगे।

या तो सरकार यह मान कर चले कि जो कुछ गवर्नमेंन्ट को फाइनेन्शियल लोस हो गया, हम वह लोस उस व्यक्ति से वसूल नहीं कर सकते जिसके कारण से यह लोस हुआ है और उस कारण से कन्सोलिडेटेड फन्ड्स से भुगतान करना होगा। यदि सरकार अधिकारियों को दोषी मानती है, जैसा मेरी जानकारी के अनुसार मैनन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कागज की खरीद में गड़बड़ी बताई गई है और कुछ व्यक्तियों को दोषी बताया गया है, उनसे भुगतान नहीं कराया जावे और उल्टा उनको इनाम दिया जावे, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की अतिरिक्त मांग का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सदन को निवेदन करूंगा कि राजस्थान के फाइनेन्शियल लोसेज के केसेज रखे हैं और सरकार ने जांच भी की है, लेकिन आज यह प्रश्न आया है कि आज हम सब एक होकर सरकार पर यह दबाव डालें कि इस प्रकार के भुगतान के लिये सरकार विधान सभा की मोहर के द्वारा लिगेलाइज करा रही है, और विधान सभा के सभी लोग विरोध करें तो सरकार यह तीन लाख की मांग को नहीं रखेगी। पुराने मामले बना कर, लोगों की मेमोरी से निकल जाने के बाद उसको आप विधान सभा में लाकर विधान सभा की मोहर लगवा कर . . . .

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विधि) : आप मिल मेड के बारे में कह रहे हैं या लोकल पर्चेजेज के बारे में कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अगर आपको किसी ने लोकल पर्चेजेज का कहा है तो गलत कहा है। मिल मेड पेपर है।

श्री परसराम मदेरणा : आप लोकल [illegible] कह रहे हैं या मिल मेड [illegible] रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं जो बात कह रहा हूं यह लोकल पर्चेजेज की नहीं है। अगर है तो आपने इसमें कहीं यह नहीं कहा है कि यह लोकल है। आपकी यह ड्यूटी थी कि आप बताते कि कौनसा आइटम खरीदा गया। अगर आप लोकल पर्चेजेज के बारे में कहना चाहते हैं तो आपने कागज पर्चेज किया उसमें घोटाला था, आप इंक ले लें, इसमें भी घोटाले हैं। मिल के पर्चेजेज में भी घोटाले हुए हैं।

इतना बडा घोटाला होने के बाद और रेवेन्यू बोर्ड के चैयरमैन के द्वारा इन्क्वायरी कराने के बाद और मैनन रिपोर्ट आ जाने के बाद भी आप उसको दबाये हुए बैठे हैं जैसे कोई सांप [illegible] दबाकर उसके ऊपर [illegible] है। मुझे मालूम नहीं कि इसमें आपका कहां और क्या इन्ट्रेस्ट है। राजस्थान की जनता अपनी खून की कमाई का एक-एक पैसा टैक्स के रूप में जमा कराती है, तो जिन लोगों ने अनियमितताएं की हैं उनके खिलाफ आप [illegible] हैं। आप [illegible] प्रो [illegible]

[illegible] है [illegible] उनके [illegible] कई बार प्रेस किये गये, यह मुझे बडा दुःख है। यदि आप बुरा न मानें तो मैं यह कहूंगा कि इसके लिये अधि- [illegible] कागजों को दबा कर बैठे हैं। अगर उनका हाथ नहीं होता तो वे कागजों को दबा कर नहीं बैठते।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने एक्सेस डिमान्ड रखी है, आइटम्स जिनकी एन्क्वायरी हो गई, जिन लोगों को दोषी ठहराया गया वे लोग राज्य सरकार की सर्विसेज में हैं, उनको दण्ड देने की व्यवस्था क्यों नहीं करते, उनको क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? उन्हीं लोगों के हाथों में पर्चेजेज सौंप कर क्यों राज्य सरकार को घाटा पहुंचाते हैं? पिछले साल भी पर्चेजेज हुईं, उनमें राज्य सरकार को घाटा हुआ, सरकार ने इमीजियेट एक्शन लिया, यह खुशी की बात है, पर पहले जो घोटाले हुए हैं उनको इस प्रकार दबाना कतई उचित नहीं है, उनको दबाने का मतलब तो यह हुआ कि खूब घोटाले करते जावो, उनको दबाकर समय निकाल दो, विधान सभा के सदस्य उन घोटालों को भूल जायेंगे और फिर इस प्रकार एक्सेस डिमाण्ड की मांगें रख कर पारित करवा लेंगे।

इसलिये मैं मन्त्री महोदय को जानकारी दिलाना चाहता हूं कि आपको जानकारी नहीं है, माथुर साहब ने सारी रिपोर्ट पढी है। अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया था कि विधान सभा के पटल पर वह सारी जांच कार्यवाही रखी जायगी। पिछले टाइम मन्त्री महोदय ने कहा था कि रिपोर्ट बहुत मोटी है [illegible] रखा दी जाय ताकि लोगों को पता चल जाय कि किस प्रकार से घोटाले होते हैं, कोई सम्हालने वाला नहीं है, न कन्ट्रोलर है। जिस रेट से चाहा खरीद लेते हैं। भारत सरकार द्वारा जो रेट्स निर्धारित की हुई हैं, उससे ज्यादा रेट्स में खरीद लेते हैं। ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फाइनेंशियल लोस की हमेशा बातें करते हैं, इस समय यह मौका

(श्री भैरोंसिंह)
आया हूं कि हम इस डिमान्ड को मंजूर नहीं करें और हमेशा के लिये सरकार को सबक दे दें कि आयन्दा इस प्रकार ढिलाई कर के राज्य सरकार को फाइनेन्शियल लोस न पहुंचा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके द्वारा सरकार के ध्यान में कुछ अजमेर की वाटर वर्क्स योजना के अन्दर ६१ का रुपया मांगा गया है, उसके बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह तो प्रेस का मामला चल रहा है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : अभी पहला ही है ?

श्री अध्यक्ष : जी हां।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस मांग के बारे में जो एक्सेस है उसके लिये जो मैंने प्रस्ताव मूव किया उसमें इस मांग की डिटेल्स को अगर आप गौर फरमायें तो बजट का प्रोवीजन ३०.२१ लाख तो कागजों की खरीद करने के लिये था, १२.१४ लाख दूसरे स्टोर आइटम्स के खरीदने के लिये था। यह कुल ४२ लाख का प्रोवीजन इस सदन ने पास किया वह था। साल के दौरान में कुछ कागज और खरीदने की जरूरत पडी और इस वजह से उनका किराया-भाडा चुकाने के बाद ४५.३५ लाख हुआ, ३.० लाख ज्यादा खर्च हुआ जो ए. जी. से हिसाब प्राप्त होने पर एक्सेस डिमान्ड सदन में हमने प्रस्तुत की है। दो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखे हैं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात पर जोर दिया था कि कागज खरीदे जाते हैं, बडे इन्फीरियर क्वालिटी के खरीदे जाते हैं जिन पर चलते चलते निब भी अटक जाता है। मैं आपके जरिये माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे कागज की खरीद, कन्ट्रोलर भारत सरकार के हैं, उनकी मार्फत इस सारे कागज की खरीद की जाती है। क्वालिटी के बारे में, जो कागज प्रेस ने खरीद कर दिया, उसके सम्बन्ध में आज तक किसी विभाग की शिकायत नहीं रही, हालांकि अलग अलग क्वालिटी के कागज रहते हैं; जैसे कागज की जिस विभाग को आवश्यकता रहती है उसको वैसा ही कागज दे देते हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इनसे जवाब नहीं दिलाया जाय तो ठीक है, क्योंकि इनको जानकारी नहीं है। कन्ट्रोलर से खरीदा जाता है, वे मिल का नाम और डेट प्रेस्क्राइब करते हैं, पर्चेजेज सब प्रेस अधिकारियों द्वारा की जाती है। मैंने स्वयं कोई बात नहीं कही, गवर्नमेन्ट प्रेस ने स्वयं ने एतराज किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो कोई तरीका नहीं है, जवाब देने के बारे में आप नहीं कह सकते.....

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूं आपको जानकारी नहीं है.....

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने पूरा सुना ही नहीं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं,

(श्री नाथूराम मिर्धा)
आप सारे जवाब को सुनें। यह आप नहीं कह सकते कि अमुक से जवाब नहीं सुनेंगे, आप प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। जो मिनिस्टर हैं, जरूरी काम से जोधपुर गये हुए हैं, आज सदन में नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : नहीं हैं, पर आज उनको रहना चाहिये था।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई जरूरी काम से गये हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं विधान सभा से अधिक जिम्मेदारी का कोई काम नहीं हो सकता ।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं हो सकता पर अध्यक्ष महोदय को पूछ कर जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो डिप्टी मिनिस्टर होने चाहिये।

एक माननीय सदस्य : यह तो कोई तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री महोदय की बात सुनें, आपको संतोष हो जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनको संतोष कभी नहीं हुआ और न होगा। मुझको जो मालूम है, वह मैं निवेदन करूंगा। क्वालिटी की कोई शिकायत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कैसे नहीं है, मिनिस्टर ने एडमिट किया है इस विधान सभा में कि कागज खराब है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं जितना कह रहा हूं वह आप सुनिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (रायसिंहनगर) आपने इस रिपोर्ट को पढने का कष्ट किया है या नहीं? चौथे प्रतिवेदन को, मुद्रण एवं लेखन सामग्री का, इसे सदन ने स्वीकार कर लिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप पढ दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसे जवाब की आवश्यकता क्या है कि सदन में जिस बात को स्वीकार किया है उसे खारिज कर रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : रिपोर्ट में क्या है, आप बताइये न ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कागज की खरीद की गई है, उस गडबडी को बिल्कुल स्वीकार किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कौनसा पैराग्राफ है? हवा में ही बातें कर रहे हैं। मालूम खुद को नहीं है और दूसरों को कह रहे हैं कि मालूम नहीं है।

मैं निवेदन कर रहा था····

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य ने पढा या नहीं; मैंने पढा है, दावे से कहता हूं कि एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट में हवाला है कि कागज की क्वालिटी ठीक नहीं थी, प्रेस की व्यवस्था ठीक नहीं, पर्चेजेज की व्यवस्था ठीक नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह रिपोर्ट मेरे सामने है····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : निकालिये पैरा।

श्री अध्यक्ष: उस रिपोर्ट तक आने दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: कितने कागज चाहिये थे, कौनसी क्वालिटी के चाहिये थे, कौनसे खरीदे, यह सब इसमें दिया हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस रिपोर्ट में लिखा है वह मेरे सामने है, क्वालिटी के बारे में नहीं है ......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं पढ़ कर सुनाऊं, सारा का सारा देखिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्वालिटी के बारे में जो लाइन है, वह पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप इस रिपोर्ट को पूरा देखलें। आवश्यकता हुई तो आपको बोलने का मौका दिया जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां तक क्वालिटी का प्रश्न है, जैसे श्री बाढ़दार ने कहा कि कागज इतना खराब है कि निब भी खराब हो जाता है, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि जिस जिस प्रकार के कागजों की क्वालिटी की विभाग को जरूरत होती है, उसी प्रकार की क्वालिटी हम विभाग को खरीद कर देते हैं। सब क्वालिटीज एकसी नहीं होतीं। इस संबंध में विभाग की ओर से हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट प्रेस, जोधपुर और गवर्नमेन्ट प्रेस, अलवर दोनों ने शिकायत की है कि कागज खराब है।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विधि) : वे तो कोर्स होने की शिकायत कर रहे थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : कागज के खरीदने का प्रोसीजर है। दूसरे माननीय सदस्य श्री चौसरसिंह ने कोई खास बात नहीं कही। खास तौर से श्री भैरोंसिंह ने रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया कि इन कागजों के खरीदने में अनियमितताएं हुई। उसके बारे में जांच-पड़ताल हुई। वह रिपोर्ट आज भी सरकार के विचाराधीन है और उस मामले में जिसका कुसूर पाया जायगा, सरकार उसे सजा देगी। वह चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज नहीं हुआ है। वह सरकार के विचाराधीन है और मैं आपके मार्फत सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार किसी भी आदमी को, जिन्होंने कानून के खिलाफ, नियमों के खिलाफ खरीद करने में जो कुछ गड़बड़ी की है उनको सजा मिलनी चाहिए और इस बात की व्यवस्था उस रिपोर्ट को फाइनलाइज करने के समय राज्य सरकार करेगी। वह रिपोर्ट डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है, सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : यह कोई जवाब नहीं है। ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट फाइनल करने के समय ध्यान दिया जायगा। आप बताएं कि उन आदमियों को चार्जशीट दे दी गई जो दोषी हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे डिटेल्स की जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर जवाब क्यों दे रहे हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो उस समय डाइरेक्टर थे उनकी डैथ हो चुकी है। दूसरे मामलों में क्या चार्ज देना है, उनकी डिटेल्ड कार्यवाही क्या हो रही है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है।

धक भैरोंसिंह : इसलिए तो मैं निवेदन कर रहा था कि आपको जानकारी नहीं है आप जान-बूझ कर किसी चीज को छिपा नहीं रहे हैं, यह तथ्य है। ऐसी समस्याओं पर संबंधित मंत्री महोदय उपस्थित होते तो डिटेल्स सामने आ जाते और विधान सभा कुछ एक्शन लेती। लेकिन आप तो ऐसे ही खड़े हो गए। शायद जान-बूझ कर इस डिबेट को एवोइड करने के लिए मंत्री महोदय आज उपस्थित नहीं हैं क्योंकि उनको पता था कि इस के मामले को लेकर हम पूरी तैयारी से आए थे और श्री नाथूराम को खड़ा कर देंगे तो वह जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक तो इस मांग का उस रिपोर्ट से संबंध नहीं है। वह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। इतना कहने के बाद भी मैं समझता हूं ......

श्री भैरोंसिंह : कब से विचाराधीन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एग्जेक्ट डेट मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कितने वर्षों से है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे पता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर खड़े क्यों हो गए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ३,५५,०००) रु० जो विभाग ने बजट प्रोवीजन से ज्यादा खर्च किए उसको रेग्यूलराइज करने के लिए यह मांग रखी। यहां पी०ए०सी० की रिपोर्ट का जिक्र किया उसमें लिखा है कि अधिकतर मामलों में अनफोर्सीन कारणों से अतिरिक्त व्यय हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं पढ़ कर बता दूं, यदि आप सुनना चाहें तो ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मतलब है जो एक्सेस खर्चा हुआ है जिसका शुरू में बजट बनाने के समय अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था और जो खर्चा बाद में करना पड़ा। इसलिए एक्सेस मांग आ जाती है जो सदन को स्वीकार करनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट पर आपकी रूलिंग होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट के संबंध में या प्रेस के संबंध में जरूरत हुई तो बहस रख लेंगे। मंत्री महोदय आ जायेंगे तो उनसे बात करके स्पष्ट रूप से उसी विषय पर बहस की व्यवस्था की जायगी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ९३, मुख्य शीर्षक ५६-लेखन सामग्री तथा मुद्रण के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,५५,०३८) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

(११.५६ म० प०)

Page No 49

मांग संख्या ६४- भूमीधर इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप हानि-पूर्ति देय ।

श्री कुम्भाराम आर्य (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदानों की मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक ६५-भूमिधर इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप हानि-पूर्ति देय के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३४,५२,६८१) रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

श्री रामकिशन (वैर) :

१. मांग संख्या ९४, मुख्य शीर्षक ६५–भूमिधर इत्यादि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जागीरदारों को मुआवजा दिये जाने पर बहस करने के लिये)।

श्री चौसरसिंह बाबल (बैगू) :

२. मांग संख्या ९४, मुख्य शीर्षक ६५–भूमिधर इत्यादि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (छोटे जागीरदारों को कम मुआवजा दिया गया है, इस पर बहस करने के लिये) ।

श्री गंगासिंह (जायल) :

३. मांग संख्या ९४, मुख्य शीर्षक ६५–भूमिधर इत्यादि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा जागीरदारों को इतने समय तक मुआवजा नहीं दिया गया है, इस पर बहस करने के लिये) ।

४. मांग संख्या ९४, मुख्य शीर्षक ६५–भूमिधर इत्यादि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नागौर जिले में जागीरों के मुआवजा देने में सरकार द्वारा देरी की जा रही है, इस पर बहस करने के लिये) ।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) :

५. मांग संख्या ९४, मुख्य शीर्षक ६५–भूमिधर इत्यादि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लघु जागीरदारों को मुआवजा देने में राज्य सरकार ने ढील की है, इस पर बहस करने के लिये)]

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस संबंध में कटौती का प्रस्ताव है । इस प्रस्ताव का महत्व इस समय और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब हमारी सीमा पर चीन की सेनाएं खड़ी हैं । इस सदन में और देश में बराबर कुछ बातों को तय करने के प्रश्न उठ रहे हैं । एक तरफ हमारी सरकार जब भी मौका आता है तब लोकतंत्र और समाजवाद की बात कहती है और कोई भी अवसर ऐसा नहीं छोड़ने दिया जाता जब समाजवाद का समावेश न हो । अभी भी जब हिन्दुस्तान का पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था तो सारी दुनिया जानती है कि उसका कारण केवल इतना था कि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था, लेकिन भारत सरकार के सारे प्रवक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि हमारा युद्ध समाजवाद, लोकतंत्र और धर्म-निरपेक्षता के लिए है । जो सरकार समाजवाद का लगातार जिक्र करती हो, समाजवाद को किसी भी मामले में घसीटने के लिए तैयार हो, उस सरकार का आचरण भी समाजवादी होना चाहिए । हमारे राजस्व मंत्री छोटे किसानों में से हैं । मेरी मांग है कि हमेशा के लिए यह तय हो जाना चाहिए कि मुआवजा देने के बारे में राज्य सरकार की नीति क्या

(श्री रामकिशन)

है ? इस संबंध में मैं विवाद नहीं करना चाहता। जब देश में आंतरिक मामलों में विरोध हो और विदेशी आक्रमण हो तो उस समय सरकार का पराजित होना अवश्यम्भावी है। तो जो इस समय मुआवजे का प्रश्न है, चाहे आइ० ए० एस० वालों की तनख्वाह बढ़ाने का सवाल हो, चाहे बड़े आदमियों को पैसा देने का सवाल हो, उन सब का नई पृष्ठभूमि में विचार हो सकता है। विधान की कुछ मर्यादाएं हैं, लेकिन विधान मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य विधान के लिए। अगर परिस्थितियों के कारण स्वीकार किया गया कि मुआवजा देंगे, नरेशों को भत्ता देंगे, लेकिन जिस पृष्ठभूमि में चीन आक्रमण के लिए तैयार है और उसका राजनैतिक प्रेशर निरंतर एशिया-अफ्रीका के देशों पर बढ़ता जा रहा है, उस समय हिन्दुस्तान को उसके मुकाबले में खड़ा होने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने देश में समानता की व्यवस्था कायम करें। आज चीन का आक्रमण केवल शस्त्रों से नहीं हो सकता। जब जब मौका आया उस समय एशिया-अफ्रीका किसी देश ने साथ नहीं दिया, उसका कारण चीन का आतंक, हमारी विदेशी नीति में स्पष्टता नहीं थी।

(१२.०० मध्यान्ह)

हम किसलिये युद्ध करते हैं ? हम किसलिये एशिया के देशों को साथ ले सकते हैं ? किस लिये अफ्रीका के देशों को सहयोग देते हैं ? क्यों एशिया के लोगों का और अफ्रीका के लोगों का सहयोग चाहते हैं, इस सम्बन्ध में हमारी नीति स्पष्ट नहीं है इसलिये चीन के दबाव के कारण वे हमारी मदद नहीं करते हैं। हमने अफ्रीका की आजादी में सहयोग दिया, हमने इन्डोनेशिया को उसकी आजादी में मदद दी और बांडूंग कॉन्फरेन्स में सक्रिय सहयोग दिया, लेकिन आज इन्डोनेशिया भी हमारे प्रभाव से अलग हो गया। आज चीन का आतंक उस पर छा गया। इसके साथ साथ, मैं समझता हूं कि पूंजीवाद और सामन्ती व्यवस्था भी एक कारण है। एक तरफ चीन फासिस्ट तरीकों से दुनिया पर अपनी व्यवस्था लादना चाहता है और दूसरी तरफ एक वह देश है हिन्दुस्तान जो शान्त रूप से प्रकाश दे सकता है। जब तक हमारे प्रधान मंत्री के भाषण का भी असर नहीं होता है, जब तक देश में समानता की व्यवस्था नहीं है, देश में आवाज नहीं है इस माने में। आज दुनिया के लोग इसी बात से हमको आंकते हैं कि हमारे यहां समाजवादी व्यवस्था कैसी है ? बड़े बड़े पूंजीपतियों का और सामन्ती लोगों का शोषण करके समाजवाद की बात करना केवल एक दम्भ मात्र है। देश के लोग गत १७ वर्ष से इस व्यवस्था को उठाते चल रहे हैं। इसलिये जितने मुआवजे के प्रश्न हैं, जितने गैर बराबरी के प्रश्न हैं, ये सब समाप्त हो जाने चाहिये और एक बराबर की समाजवादी व्यवस्था देश में आनी चाहिये। यदि आज हिन्दुस्तान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं आती है तो हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। सीमा के लोगों को हटा दें वहां से भले ही, लेकिन केरल में लोग रहते हैं, दूसरी जगह लोग रहते हैं उनको कैसे आप रोक सकते हैं, आपको यह प्रमाण देना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान की व्यवस्था चीन से अधिक अच्छी है। आपको केरल के मजदूरों को बताना पड़ेगा, कलकत्ते के मजदूरों को बताना पड़ेगा, हमें आपको यह बताना पड़ेगा कि राजस्थान का किसान चीन के किसान के मुकाबले में कहीं ज्यादा खुश है।

(श्री रामकिशन)

मैं ज्यादा विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। नयी नयी परिस्थितियों में जिस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नये नये गुट बन रहे हैं, चीन ने जिस तरीके से भी हो एक प्रकार से अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया है, चाहे आज हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध बन्द करके सफलता प्राप्त कर ली हो, लेकिन आज भी चीन का प्रभाव कई माने में बढ़ रहा है, वह इन्डोनेशिया और दूसरे देशों को अपने साथ लिये है, उसका मुकाबला हमें राजनैतिक दृष्टिकोण से भी करना है। सैनिक दृष्टि से जो भी सरकार करेगी उसमें हमारा पूरा पूरा सहयोग होगा। राजनैतिक क्षेत्र पर हर मुद्दे पर सरकार के साथ मतभेद है। उस मतभेद को सरकार खत्म करने की कोशिश करेगी। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारी मदद करो लेकिन दूसरी तरफ सरकार के अपने ये ही दृष्टिकोण वैसे ही बने हुए हैं। इन दिनों में हम सरकार को तंग नहीं करना चाहते ? लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार गरीबों की बने। भूखे और नंगे लोगों को ये दिन न देखने पड़ें। नाम लेती है यह सरकार गरीबों का और काम करती है बड़े आदमियों का एक तरफ महल और दूसरी तरफ गरीब की झोंपडी, यह सरकार की समाजवादी व्यवस्था है। मुआवजे की रकम जितने भी जागीर दारों को, बड़े आदमियों को दी जा रही है उसको बन्द कर देना चाहिए। जो छोटे जागीरदार हैं और जमींदार हैं उनकी पुनर्व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। जो लोग जागीर प्रथा से बेरोजगार हो गये हैं, जिनका धन्धा मारा गया है उनको जमीन दे सकते हैं, उनको सरकारी उद्योगों में और दूसरी जगह, जगह दे सकते हैं। लेकिन पूंजीवादी चीज हम खड़ी नहीं कर सकते, जो आज सरकार करती है और करती जा रही है, लेकिन यदि सरकार ने फिर उसी प्रकार की गलती की तो सरकार किसी भी प्रकार से चीन का मुकाबला नहीं कर सकती। सैनिकों की बात अलग है। वे अपना कर्तव्य करते ही हैं। लेकिन सम्पूर्ण रूप से देश की रक्षा जब होगी, जब करोड़ों लोग चीन से मुकालबा करने के लिये तैयार हो जावेंगे और वे तब ही तैयार होंगे जब वे यह समझेंगे कि यह देश हमारा है, इस जमीन पर हमारा हक है, इस पानी पर हमारा हक है, इस भूमि पर और इस कारखाने पर हमारा अधिकार है। जब तक यह बात स्पष्ट नहीं कर देंगे तब तक किसी ऐसी शक्ति से लड़ नहीं सकते जिसके पास राक्षसी और शस्त्र शक्ति है।

राजस्थान के मंत्रिमंडल में आप काफी समय के पश्चात् आये हैं। मैं इसे मंत्रि-मंडल नहीं कहूंगा, यह तो एक लिमिटेड कम्पनी है; कोई एक सिद्धान्त नहीं है। कोई स्टेट ट्रेडिंग चाहता है तो कोई स्टेट ट्रेडिंग के खिलाफ है। आप भी इसी में न दब जांय। इसलिए आप पहली दफा यहां यह घोषणा करें कि सम्पन्न लोगों को और अधिक सम्पन्न बनाने की और उनको मुआवजा आदि इस प्रकार देने की नीति है उसको बदलने के लिये तैयार हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको करोड़ों लोगों का सहयोग मिलेगा। दबे हुए लोगों की आपको प्रसन्नता मिलेगी। हो सकता है कि दो-चार बड़े लोग नाराज हो जांय, उनको तसल्ली से समझा देंगे। उनको समझाने के लिये तरीके हैं। जो छोटे २ जागीरदार और जमींदार हैं उनको आप मुआवजा दें, उनसे उनका पुनर्वास हो सके, आप उनको दूसरा रास्ता

(श्री रामकिशन)
अपनाने के लिये सहयोग दीजिये । वे भी समझ जायेंगे और आपसे नाराज नहीं होंगे । मंत्रिमंडल पूंजीवाद की प्रथा का समर्थन करने वाला है, वे उन गरीब लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं, लम्बे-चौड़े भाषण होते रहते हैं; रोज सुनते हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप कोई क्रान्तिकारी कदम उठायें । मुख्य मंत्रीजी से यह चलना नहीं है, वे तो परम्परागत घिसे सिक्के हो गये जिनको राज्य चलाने का शौक हो गया है, किसी प्रकार राज्य चलाना है । क्रान्तिकारी और एक चेतना रूप वृत्ति को लेकर आये हैं आप, तो मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से चाहूंगा कि वे इस पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय, एक पक्ष तो इसमें यह है । दूसरा पक्ष यह है कि चीनी आक्रमण के बाद हिन्दुस्तान की आन्तरिक स्थिति क्या है ? आपने मुआवजे की बात रख दी । राजस्व मंत्रीजी जांच करें कि भरतपुर के छोटे छोटे जागीरदार, बिस्वेदार हैं, उनके चार–चार साल के क्लेम पड़े हुए हैं और उनको पैसा नहीं मिलता है । एक दफ्तर की यह हालत है कि बोंड ले जाओ और दस परसेन्ट दे जाओ । यदि राजस्व मंत्रीजी, श्री कुम्भाराम आर्य, यह लिख कर दे देंगे तो जरूर कुछ हो जावेगा लेकिन एक किसान की तरह से आप लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा । मेरी ज्यादा हैसियत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको १५) रु० दे दूंगा । दस परसेन्ट देकर ले जाओ कोई भी, मुफ्त का बौंड मिल रहा है । छोटे जागीरदार हैं, जमींदार हैं, बिस्वेदार हैं उनको २० परसेन्ट मुआवजे का मिला, १० तो अफसर साहब ने ले लिया और ५ रु० क्लर्क ने ले लिया और पांच रुपया बौंड के भुनने वाले ने ले लिया । उसको तो आने-जाने का किराया ही गांठ का लगा । जब छोटे २ जागीरदार और जमींदार लोग दफ्तरों में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि बिना मांगे शिकार आ गया है, कुछ न कुछ देगा । बहस करने की जरूरत नहीं ।

मैं कहूंगा कि चीनी व्यवस्था में जो स्थिति थी और जिस कारण से चांग-काई-शेक को हटना पड़ा, जो वहां उस समय अन्दुरूनी हालात थे और जो गैर बराबरी की स्थिति थी वही आज हिन्दुस्तान की स्थिति है । हिन्दुस्तान में जगह जगह भ्रष्टाचार पल रहा है । हिन्दुस्तान की सरकार की समाजवाद की कोई नीति नहीं है । जो समाजवादी व्यवस्था इस समय है वह सड़ चुकी है। उसकी कोई नीति नहीं है । बिना नीति के कोई व्यवस्था बनी नहीं रह सकती । पहले नीति बनाइये और फिर मन बनाइये । इन दोनों के बाद कर्तव्य को निभाते हुए चाहे पूंजीवादी देश अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, कोई हो और चाहे कोई फासिस्ट देश हो, जो भी हमारे विरोध में आवेगा हम उसका मुकाबला कर सकते हैं ।

अगर हमारे देश में भ्रष्टाचार और गैर बराबरी रहती है तो केवल हमारे ये बहादुर जवान अपना खून बहाकर भी अधिक दिनों तक इस देश को नहीं बचा सकेंगे । देश को देश समझ कर एक नीति कायम करें और उस पर चलें तभी देश बच सकेगा । इस दृष्टि से हमारा देश पांच-दस साल तक संकट में रहेगा । अगर आज आप यह समझते हैं कि युद्धबन्दी हो गई तो सारी हमारी समस्याएं हल हो गई ? बिलकुल नहीं । चीन हमारे तथाकथित सैनिक निर्माण-कार्य को तोड़ कर भाग गया है वह पुनः हमला नहीं करेगा, यह गलत है ।

(श्री रामकिशन)

तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए यह निश्चित धारणा है हमारी कि हमें अपनी देश की अन्दरूनी अर्थ-व्यवस्था को इस तरह से खड़ा करना होगा जिससे अस्त्रों का भी उत्पादन बढ़े और दूसरी तरफ गरीबी और अविद्या को भी मिटा सकें, जन-साधारण को सन्तोष और सुख दे सकें, बराबरी का दर्जा दे सकें, भ्रष्टाचार का जड से उन्मूलन हो सके। यह अगर हमारी अन्दरूनी स्थिति इस दृष्टि से स्थिर और सुदृढ़ होगी तो हम बाहरी आक्रमणों से भी बच सकते हैं, अन्यथा हमारी आपकी इच्छा ही रह सकती है। जिन महापुरुषों ने अपनी मेहनत और त्याग-तपस्या से आजादी ले ली थी, उनके जीवन-काल में ही वह आजादी खत्म हो सकती है। मुझे यह डर है। मुझे किसी वर्ग विशेष से द्वेष नहीं है। पर दुनिया की जो स्थिति है वह मैंने आपसे निवेदन की है। कोई सरकार अपने देश में इन वर्तमान परिस्थितियों में किस तरह से आचरण करे, जिससे हम बच सकते हैं, यह मैंने निवेदन किया है।

आप अधिक दिनों तक बाहरी शक्ति के भरोसे नहीं रह सकते, बहुत अधिक दिनों तक अमेरीका की मदद पर खड़े नहीं रह सकते। आपने देखा नहीं कि जहां थोड़ी लड़ाई चली नाज की सप्लाई भी बन्द करने की धमकी दे दी थी अमेरीका ने। तो आपके मुल्क में अनाज की पैदावार बढ़ेगी कैसे? सीलिंग का कानून आपने बनाया। उसे बने दस साल हो गये। आज उसका कुछ अर्थ रहा नहीं। आपने उसे लागू नहीं किया। फिर भी मैंने सुना है कि गंगानगर के किसानों की मीटिंग हुई थी, जिसमें कहा गया है कि इसको लागू करने की मयाद बढ़ा दें। अगर आप एक पूंजीवादी प्रथा के प्रतीक हैं तो उसे ही सम्पादित करिये हिम्मत से। स्पष्ट कहिये। पर दोहरी नीति पर न चलें। बाहर से समाजवाद की बात बोलते हैं और भीतर से आचरण पूंजीवादों जैसा है। इस दोहरी नीति से तो भ्रष्ट-व्यवस्था ही पैदा होगी जो आन्तरिक स्थिति के लिये खतरनाक होगी।

इन शब्दों के साथ में अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। नई परिस्थितियों में आप नई व्यवस्था पर ध्यान दें और मुआवजा देने वाले महकमे में जो भंयकर भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके लिये मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे अधिक को नहीं तो एक-दो को तो ऐसा दण्ड दे ही दें ताकि दूसरों को कुछ सबक मिल सके, नहीं तो अगर वे भी दावोदबाव और सिफारिशों में आ गये और इसको यों ही बर्दाश्त करते चले गये दूसरों की तरह तो राजस्थान का तो कल्याण नहीं होना है। मन्त्री लोग या उप-मन्त्रियों की फौज भले ही बढती रहे, ज्यादा मन्त्रियों-उप मंत्रियों की अगर आप संख्या बढ़ाना ही चाहते हैं तो प्रशासन में कुशलता लाएं, दक्षता और दृढता लावें, भ्रष्टाचार का उन्मूलन करें और जो काम जिस दिन आवे, उसका उसी दिन निपटारा हो जावे। आप भी अगर इनके प्रवाह में बह गये तो केवल यह मन्त्रि-पद, तनख्वाह, दैनिक भत्ता, आदि का लाभ ही दे सकेगा। यह लाभ तो और तरीकों से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्र और देश के लिये तो यही जरूरी है कि आप स्पष्ट रूप से बाहर और अन्दर से समाजवादी दृष्टिकोण को अपनावें, जैसा कहें उसको आचरण में भी उसी तरह से लावें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

Page No 54

श्री चौसरसिंह बाबेल (बैंगूं) : अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी धनराशि मांगी जा रही है, पर यह किनमें बांटी जावेगी, उनकी सूची नहीं दी गई है। इससे शंका होती है। जिनके लिये यह ३४ लाख की राशि दी जा रही है, कम से कम यह तो मालूम पड़े कि यह किस किस को कितना कितना दिया जा रहा है?

मैंने जहां तक देखा है छोटों को कुछ नहीं मिलता है। वे बेचारे मारे-मारे फिरते हैं। उनके चार-चार और पांच-पांच सालों में भी मामले तय नहीं होते। इस रकम में से उनको भी कुछ मिलना चाहिये था। लिस्ट नहीं दी गई। यह दी जानी चाहिये थी। शर्म की बात है यह। विशेष में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जिन गरीबों को देरी से मिल रहा है, उनको जल्दी मिलना चाहिये। हमारा संविधान जो बना है उसके अनुसार सब काम ठीक तरह से चलना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : जागीरदारों को मुआवजा देने के प्रति आपके क्या विचार हैं, यह बता दीजिये।

श्री गंगासिंह (जायल) : अध्यक्ष महोदय, सन् ५४ में जागीरदारों और सरकार के बीच समझौता हुआ और फिर कानून का स्वरूप उसे दिया गया। इसके साथ ही कुछ आश्वासन थे जो जागीरदारों को दिये गये थे। सबसे बडा आश्वासन यह था कि जल्दी से जल्दी इस कानून को क्रियान्वित करके मुआवजे की रकम का चुकारा कर दिया जावेगा। बड़े बड़े जागीरदारों को तो करीब करीब निपटा दिया है। वे सरकार के पास पहुंच सकते थे, साधन थे उनके पास। पर अभी बहुत बडी तादाद में छोटे जागीरदार हैं जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिनमें कानूनी अड़चनें भी हैं। कुछ समय पहले प्रश्न संख्या ७१ के समय जो सवाल का जवाब दिया जा रहा था तो उसमें एक प्रश्न आया था पसायतेदारों के बारे में। इनका मुआवजा मुख्य जागीरदार को भी नहीं दिया गया। पसायते की आय इसके मुआवजे में ही कट गई। पर आज के सवाल के जवाब में घोषणा की है सरकार ने कि पसायतेदारों को भी जागीरदार मान लिया गया है। यह ठीक ही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : वह तो रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला किया तब माना है।

श्री गंगासिंह : अब इनकी डेट ऑफ रिजम्पशन मुख्य जागीरदारों के साथ मानने में उन्होंने कौनसा कुसूर किया है। जब उनको अलग से जागीरदार मान लिया है तो उनकी डेट ऑफ रिज्म्पशन मुख्य जागीरदारों के साथ कैसे हो सकती है। फिर यह कानून के खिलाफ तो है ही। जहां तक कानून का सवाल है वह साफ कहता है कि आय-समूह के हिसाब से डेट ऑफ रिज्म्पशन रहेगी। और इस आय-समूह के हिसाब से सेपरेट नोटिफिकेशन किया जाता है। तो मेरा निवेदन यही करना है कि इनकी डेट ऑफ रिज्म्पशन भी इसी तरह होनी चाहिये जिससे कि उनको भी राहत पहुंच सके।

इसके साथ साथ बडे बडे जागीरदारों को मुआवजा मिल चुका है, पर काफी तादाद में छोटे जागीरदार आज भी बाकी हैं जिनके क्लेम भी तस्दीक नहीं हुए हैं। इस हालत में जो आपने डिप्टी कलेक्टर जागीर की पोस्ट तोडी है और जो स्टाफ

(श्री गंगासिंह)

कम किया है उससे तो मुआवजा जो जल्दी मिलना चाहिये था वह और देर से मिलेगा। मेरा अनुरोध है कि डिप्टी कलेक्टर जैसे नागोर में है, जालौर में है पहले उनके पास कितना काम है इसको असैस किया जाय, फिर देखें कि जो आपने स्टाफ दिया है वह एक महीने में कितना काम कर सकता है, उस हिसाब से अगर आज आप देखेंगे तो नागोर में जो मामले बाकी हैं वे तीस साल में भी समाप्त नहीं हो सकेंगे। तो जब आप सिद्धान्ततया तय कर चुके हैं, साल-छः महीने में सबको कम्पेन्सेशन देना है, पर इस स्टाफ में बढोत्तरी नहीं करेंगे तब तक न हो सकेगा। मौजूदा हालात में तीन-चार साल से पहले काम समाप्त नहीं होने वाला है।

इसके साथ कम्पन्सेशन केसों में दिक्कत आ रही है। जागीरदारों को खातेदारी व खुद काश्त की रकम सही दी जा रही है। जागीर मकबूजा भूमि है। इस आइटम पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। काबिले काश्त जमीन सौ बीघा है। सत्तर बीघा काश्त कर ली है तो कहीं तो सौ बीघा का मुआवजा दे दिया गया और कहीं काश्त जमीन पर; कम से कम मारवाड में खसरा नम्बर सारा पूरा का पूरा अलॉट किया जाता है, पार्ट में अलाट नहीं किया जाता। तो काबिले काश्त जमीन को खसरा नम्बर के हिसाब से अगर काश्त हुआ है तो भी काश्तकार को उसका कब्जा और काश्त पर मानकर मुआवजा पूरा दिया जाना चाहिए। कहीं पर तो कानून के इस पोर्शन को अमल में लाया गया और कहीं नहीं लाया गया। तो यह कानून का जो इन्टरप्रिटेशन हो रहा है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये।

इसके साथ साथ मेरा अनुभव है कि जो छोटे छोटे जागीरदार रहे हैं जिनकी आय २५० रु०-३०० रु० से ज्यादा नहीं है उनको डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर के बजाय तहसील हैड क्वार्टर पर कम्पेन्सेशन देना जरूरी है, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर आने-जाने में ही बहुत सा उनका खर्चा हो जाता है। इसके अलावा रकम का किस तरह से भुगतान किया जावे, इसका भी कुछ विचार नहीं किया गया। पचास रुपये तक का कम रकम का भुगतान नकद में होता है। अगर इसे भी डिप्टी कलेक्टर करता है तो इसमें दो-तीन साल निकल जाते हैं। तो इस तरह की नकद में देय रकम जागीरदारों की रहती है, वह उसके खुदकाश्त की देय रकम में एडजस्ट कर दीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसके बारे में तो एक सर्क्यूलर निकला हुआ है, एडजस्टमेन्ट होता है।

श्री गंगासिंह : होता नहीं है। छोटे जागीरदारों के लिये चालीस रुपये की रकम लेने के लिये हैड क्वार्टर पर जाने में और दस दस दिन में यह रकम प्राप्त होती है जिसमें जागीरदारों को दिक्कत होती है। वह सब रकम खर्च में ही समाप्त हो जाती है। तो सारी रकम खुदकाश्त में एडजस्ट फरमा लीजिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि राजस्व मंत्रीजी उस पर ध्यान देंगे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मुआवजा

(श्री विजयसिंह झाला)
लेने में छोटों को अधिक तकलीफें और असुविधाएं हुई हैं, बडों को नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। सबसे अधिक संख्या भी छोटों की है।

नेहरू अवार्ड में १५ लाख रुपया मिला था। वह सारा पैसा छोटों को देना चाहिये था जिनकी आमदनी पांच हजार से कम थी। उसमें से वास्तव में कितना छोटों को मिला, यह जानना है। ४०० के लगभग आवेदन-पत्र सरकार के पास आये हैं। आपने ९ लाख रुपया दिया इसमें से केवल चार जागीरदारों को और अध्यक्ष महोदय, ऐसा सुना जाता है अब इसमें कहां तक सत्यता है मैं नहीं कह सकता, चूंकि चुनाव समझौता हुआ इसलिये ९ लाख चार को ही दे दिया।

श्री अध्यक्ष : सारा मामला ही आप इस पर न लावें।

श्री विजयसिंह झाला : ३४ लाख में वह रकम तो नहीं है इसलिए कहा है मैंने।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में भी बहस हो चुकी है। आप ऐसे मुद्दे उठावें जिनका तत्काल उत्तर मिल सके।

श्री विजयसिंह झाला : मैं तो सामान्य नीति की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : सामान्य नीति की बात और है। पर इससे आगे बढ कर विशेष स्थिति के बारे में अगर आप कहेंगे तो न आपका इसके लिये नोटिस है न और कुछ है।

श्री विजयसिंह झाला : यह प्रश्न मुआवजे से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष : यों तो सभी चीजें सभी से संबंधित हैं।

श्री विजयसिंह झाला : जो अवैधानिक कार्यवाही मुआवजा देने में होती है मैं उसके लिये भी निवेदन करना चाहता हूं। जिनके लिये मुआवजे की रकम रखी जाती है वह अवैधानिक ढंग से कुछ में वितरित कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहूंगा कि जो रकम जिनको मिलनी चाहिये वह रकम उनको उसी प्रकार से मिलनी चाहिये। चार सौ एप्लीकेशनें पेण्डिंग में पडी हैं। उनकी तरफ भी सरकार गौर करे।

मैं इस सारी समस्या का इससे संबंध नहीं जोडना चाहता। पर यह बात जरूर है कि जिस प्रकार की कठिनाइयां हैं उनको उससे वे सारी रकम समय पर नहीं दे पाते और वह रकम सरकार के पास पडी रह जाती है, जिस पर फालतू में ब्याज का भार बढता है।

(१२.२९ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आप लम्बा प्रोसीजर एडोप्ट करते हैं इसलिये यह स्थिति बनती है। जिस प्रकार एक जागीरदार की मृत्यु हो जाती है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पडता है और वह तहसीलदार से तस्दीक होने के बाद में उसका बौण्ड लडके को मिल जाता था पर आज दावा करना पडता है, लम्बा प्रोसीजर इसके लिये पार करना पडता है

(श्री विजयसिंह झाला)
इससे करीबन दो-दो, तीन-तीन सालों तक केस डिसाइड नहीं हो पाते। मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अगर आप इनका जल्दी से निपटारा कर दें तो आपको रकम का बडा भारी ब्याज जो देना पडता है वह भी न देना पडेगा। मैं यही कह कर आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): उपाध्यक्ष महोदय, जो जागीरदारों को मुआवजा देने के संबंध में मांग प्रस्तुत की गई है वैसे तो जो व्यवस्था हमने कायम की है अपने देश में उसके बिलकुल प्रतिकूल पडता है क्योंकि समाजवादी व्यवस्था में किन्हीं मोटे लोगों को, जिन्होंने जागीरों का सैंकडों वर्षों तक उपभोग किया और ज्यादा से ज्याद लाभ उठाया ऐसे लोगों को किस बात का मुआवजा दिया जाये, यह उचित प्रतीता नहीं होता, लेकिन जब कि हमारी सरकार ने एक प्रकार का समझौता कर लिया है और उसके तहत में जो व्यवस्था वे चलाना चाहते हैं उसमें भी, जिन लोगों को कठिनाइयां आती हैं उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं · · · ·

श्री रामकिशन (वैर): आप बोलते हैं शेर के मुंह की तरह और निकलते हैं बिल्ली की तरह।

श्री गिरधारीलाल व्यास: मेरे निवेदन का मतलब यह है······

श्री रामकिशन (वैर): निवेदन क्या करते हैं, आप तो बिराज ही जाओ।

श्री गिरधारीलाल व्यास: आप कहते हैं तो बैठ जाता हूं।

श्री रामकिशन: मेरा मतलब यह है कि आप विराजें नहीं, अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास: उपाध्यक्ष महोदय, इस कम्पेन्सेशन के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन बडे बडे लोगों को जिनकी बडी बडी जागीरें थीं और जिनको कि करीब करीब भुगतान हो चुका है, लेकिन मैं उन लोगों के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि जिनकी दो-दो सौ और तीन-तीन सौ रुपयों की जागीरें थीं और जिनकी हालत छोटे से छोटे किसान से भी बदतर है ऐसे बहुत-से आदमियों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है और उनको इस संबंध में जगह जगह तहसीलों में मारा मारा फिरना पडता है, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के दफ्तरों में मारे मारे फिरना पडता है और उनके बौण्ड्स देने के संबंध में जो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए वह पूर्णतया ठीक नहीं है। उसके संबंध में यह निवेदन है कि आज से दस-बारह साल, जब से ५४ और ५८ में जागीरें बडी और छोटी रिज्यूम हुई और उसके बाद में जो व्यवस्था कायम की उसमें बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि गांव के गांव जिनमें दो-दो और चार-चार बीघा के माफीदार और जागीरदार हैं उनकी व्यवस्था अब तक हो जानी चाहिए थी, वह अभी तक नहीं हो पाई है।

जैसा अभी रघुनाथजी ने कहा था कि सरकार ने उनसे लगान लेने की व्यवस्था के बारे में एक सर्क्यूलर निकाल दिया है, लेकिन उस सर्क्यूलर का पालन कहीं नहीं हुआ है। यह एडजस्टमेंट का सवाल जहां पैदा होता है वहां पर किसानों से जो लगान है

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

वह वसूल कर लिया जाता है लेकिन उनके मुआवजों का फैसला आज तक नहीं हुआ।

मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे भीलवाडा में एक गांव जोदरास है जिसमें दो-चार बीघा के कई माफीदार और जागीरदार हैं और आज वे १०-१२ साल से प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिला दिया जाये। उसके विपरीत में राजस्व विभाग के कर्मचारी उनके घरों पर जाकर उनके बैलों पर और दूसरे सामानों पर कुर्की करते हैं और इसलिए करते हैं कि उन्होंने लगान अदा नहीं किया। एक तरफ तो मुआवजा नही दिया जाता है और दूसरी तरफ लगान की वसूली करते हैं उसके लिए इतनी परेशानियां पैदा होती हैं कि जिससे वे लोग बहुत परेशान है। तो जिन लोगों का मुआवजा नहीं दिया गया है उनसे लगान वसूल किया जा रहा है और जब कि सरकार का सर्क्यूलर है कि वह एडजस्ट कर दिया जाय, तो ऐसी व्यवस्था नही करके जो लोगों को परेशान किया जाता है उससे बहुत व्यवस्था खराब पैदा होती है, इसलिए मैं मंत्री महोदय जो यहां पर विराजे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे छोटे-छोटे जागीरदारों के प्रश्न हैं जहां मुआवजे का प्रश्न है, लगान का प्रश्न है, वह जल्दी से जल्दी तय होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वे परेशानियों से बच जायेंगे और इसी प्रकार से जो नेहरू अवार्ड के तहत में चार गुना मुआवजा देने का तय हुआ था वह भी अभी तक हल नहीं हो पाया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

छोटे-छोटे जागीरदारों को कम्पेन्सेशन अभी तक नही दिया गया है।

दूसरा एक प्रश्न और है कि मन्दिरों के संबंध में जो माफी थीं उनका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। आज राजस्थान के अन्दर बहुत से ऐसे मन्दिर हैं कि जिनको पैसा नहीं मिलने की वजह से सेवा-पूजन में बडी बाधा उपस्थित हो रही है और जगह २ से ऐसी शिकायतें आ रही हैं और हमको देखने को मिला है कि हमारे धार्मिक स्थानों में पूजन की व्यवस्था ठीक तरह से नहीं हो रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा एक ऐसा भी प्रश्न सामने आता है कि जो बडी बडी जागीरें थीं और जो रिज्यूम हो गईं उनके कर्मचारियों के पेन्शन के केसेज दस-बारह साल हो जाने के बाद भी तय नहीं हो पाये हैं और वे गरीब लोग जो कि पुरानी रियासतों के कर्मचारी थे उन जागीरदारों के राज्य में पिसते रहे और अब यह राज्य आया तो इसमें भी पिस रहे हैं और जिन्होंने टाइम पर पेन्शन के लिए एप्लाई कर दिया उनके भी पेन्शन केसेज आज तक तय नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि हमारे यहां एक बदनोर ठिकाना है उसके अन्दर ५०-६० आदमियों के पेन्शन के केसेज हैं और उन्होंने इसके लिए एप्लाई भी कर रखा है और उनके कागज दस-बारह साल से फिरते फिर रहे हैं। उनके पेन्शन केसेज जल्दी तय होने

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
चाहिए। ऐसे लोग जो कि ठिकानों के अन्दर कर्मचारी थे और जो इस चीज के लिए हकदार हैं उनको जल्दी से जल्दी पेन्शन दिलाई जाये, इसके संबंध में मेरा यह निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, जागीरदार और बिस्वेदारों को मुआवजा देने के संबंध में अतिरिक्त मांगे हमारे सम्मुख पेश हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब कि हम पाकिस्तान से एक युद्ध में से निकले हैं और चीन की ओर से हमें धमकी दी जा रही है, एक कडी परीक्षा में से हमारा तमाम राष्ट्र निकला है तो हमारे देश के सामने राजनैतिक और आर्थिक प्रश्न नये तौर से खडे हुए हैं और अगर इस नयी परिस्थिति में इन प्रश्नों को इन परिस्थितियों के अनुकूल दुबारा सोचने का हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमारे राष्ट्र के सामने जो हालात पैदा हुए हैं, जिनके जरिये हम उनको मीट कर सकते हैं हम संभवतः अपने देश की जरूरियात को पूरा नहीं कर पायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर हम अपने राजस्थान में जो मुआवजे का बोझ है..........

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : मेरे ख्याल से नया बजट आये तब भाषण देना; यह तो खर्चा हो चुका है, उसको रेग्युलराइज करने की बात है और वह चुका चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अगर चुका चुके हैं तो वापिस वसूल कर लिया जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मेरा विचार है बोलने का।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनकी मार्फत आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि जो दिया जा चुका है उसकी पॉलिसी कहां से लायेंगे? जो नई परिस्थितियां आप बता रहे हैं आप नया भाषण तो तब दें जब कि वक्त आये। मौके पर अच्छा लगेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मौके पर जैसा आप बढ़िया भाषण देते हैं वैसा तो हमको आता नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अच्छा देते हैं, लेकिन आपको याद दिलाया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि यह पैसा तो दे चुके हैं और इसलिए इसको तो पास करना है। यह समस्या सरकार के सामने हो सकती है लेकिन जिन दिनों का १९६१-६२ का आप देने को कहते हैं अगर उस पृष्ठभूमि में और उस इतिहास में आप आज १९६१-६२ में जब चुनावों के लिये और केसेज जागीरदारों के मुआवजों के आये हुए थे इसी सदन के अन्दर कांग्रेस की बैन्चेज से पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने उस क्वेश्चन को रेज किया था कि ऐसे केसेज जिनमें जागीरदारों को मुआवजा दे दिया गया उस बेसिस पर जो पुराना रेन्ट, पुरानी बंटाई के वसूल कर सकते थे उस बेसिस के ऊपर उसकी इन्कम मान कर उसका कितना मल्टीपल करके उनका मुआवजा दे दिया जाय। गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनकी अपील करते लेकिन पोलिटीकल कन्सीडरेशन्स की वजह से, इलेक्शन के अन्दर लोगों से एग्रीमेंट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किया गया, समझौता किया गया और इस बनियाद पर वह अपील नहीं की गई और अपील नहीं किये जाने के कारण जो मुआवजा ज्यादा देना पड़ा उसको सरकार ने इतने दिनों दबाये रखा और पुरानी करके उस बात को आज सदन के सामने लाया गया है और उसका पेमेन्ट दिलाना चाहते हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हम हर्गिज मन्जूर नहीं करें, यह केवल रेग्युलराइजेशन का ही प्रश्न नहीं है अतिरिक्त खर्चा होगा, सामान्य खर्चा हो उनके पेमेन्ट करने की बात नहीं है, इस प्रकार के पेमेन्ट होते तो उससे हमें ऐतराज नहीं होता। दरअसल यह कांग्रेस की बेन्चेज की तरफ से जो भ्रष्टाचार किया गया, जो पोलिटिकल भ्रष्टाचार किया गया, सामन्ती तत्वों के साथ जो सौदेबाजी की गई राजस्थान के कोष से और उसके एक्सचेकर की परवाह नहीं करके जो मुआवजा दिया गया उसका आज पेमेन्ट करने की बात की जा रही है और इसलिए मैं इस मांग का सख्त विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम देखें तमाम मुआवजे के मामलों को तो मालूम होगा कि जिस समय सरकार ने मुआवजा देने की बात की थी उस समय अन्दाजा था करीब चालीस करोड, पैंतालीस करोड का या कुल मिला कर पचास करोड का मुआवजा देने की बात थी। लेकिन सरकार जो फीगर्स अब बता रही है अलग अलग निकाल कर उससे सत्तर करोड, पचहत्तर करोड या अस्सी करोड से अधिक यह कन्सोलिडेटेड फीगर मुआवजे का पहुंच गया है। इसकी वजह है कि एक तो सरकार ने बुनियादी तौर पर नेहरू अवार्ड का समझौता किया। मैं समझता हूं कि जागीर कमिश्नर जो जागीरदारों का मुकर्रर किया हुआ है, नियुक्त हुआ। सरकार ने भी अपने रेवेन्यू बोर्ड में जागीरदार बैठा रखे हैं। इसी तरह से जो सिस्टम, जो प्रोसीजर लागू किया, मैं कहना चाहता हूं कि उसको बुनियादी तौर पर बदलने की आवश्यकता है। आपने जागीरदारों के नुमाइन्दे अपने यहां पर बैठा रखे हैं, जो हाईएस्ट अपीलेट आॅथोरिटी है वहां पर आपने जागीरदारों को बैठा दिया है। फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि केस के फैसले आपके हक में होंगे? यही वजह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस तरीके के एडवोकेट्स खडे किए जाते हैं सरकार की तरफ से भी अनमने तरीके से अपील करते हैं। या तो अपील की ही नहीं जाती और कहीं अगर करते हैं तो अनमने तौर पर करते हैं। जागीरदार लोग अपने इन्फ्लुएन्स से एडवोकेट्स पर असर डाल कर उस केस को खराब करा देते हैं।

मैं आपके जरिए, उपाध्यक्षजी, एक केस जो मेरे नोटिस में लाया गया है बाडमेर जिले का वह यहां रखना चाहता हूं। उस जिले के अन्दर एक जागीर है चकलानी चौसरिया कलुना नाम की। इसी नाम का इसी से मिलता-जुलता एक और गांव है। इस गांव में किसी प्रकार की माइन्स या जिप्सम की कोई सेल पहले नहीं रही है लेकिन उस गांव का सुबूत दिला कर कुछ आपस में इसकी सेल की आमदनी उसके अन्दर दिखला दी। गांव के लोगों ने इलाके के लोग इस फैक्ट को गवर्नमेंट एडवोकेट के नोटिस में लाये कि वे इसे उठाएं, लेकिन गवर्नमेंट एडवोकेट ने अपनी बहस में इस बात को नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उठाया । जहां तक मैं जानता हूं असरदार जागीरदार ने उस गवर्नमेंट एडवोकेट को अनड्यू तरीके से इन्फलुएन्स किया और उस गवर्नमेंट एडवोकेट ने इन रीजनेबल आर्ग्युमेंट्स को भी नहीं उठाया और उसका नतीजा यह हुआ कि रेवेन्यू बोर्ड में गवर्नमेंट उस केस में हार गई और इसके लिये कई हजार का ज्यादा मुआवजा दिया गया । जो मुआवजा कुछ हजार का दिया जाता उसकी जगह ढाई लाख के करीब मुआवजा देना पड़ा है । इस तरह से सरकार को दो लाख का नुकसान हुआ है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह तो एक केस मेरे नोटिस में आया है । इसी तरीके के कितने ही केसेज और भी हो सकते हैं जिसके अन्दर सरकार ने काफी ज्यादा मुआवजा दिया है, जिस में सरकार के ऑफिसर्स का भी हाथ रहा है । आपने जागीर कमिश्नर को जागीरदारों का नुमायन्दा बैठा दिया, रेवेन्यू बोर्ड में जागीर-दारों को बैठा दिया है । नेहरू अवार्ड के अन्दर जागीरदारों ने जागीर कमिश्नर को अपना नुमायन्दा होना कबूल किया है और इन्हीं कारणों की वजह से सरकार के खजाने में इतना नुकसान हुआ है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस बैंचेज और सरकार से कि जिस तरह से आज सारे देश के अन्दर सारी पार्टियां आपसी मतभेदों को भुला कर राष्ट्र की रक्षा के लिए एक हुई हैं उसी तरह से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि चाहे किसी लीडर ने एग्रीमेंट किया हो या क्या कमिटमेंट किए थे उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बना कर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुसार आज सोचने की आप कोशिश करें । इसीलिए हम मांग करना चाहते हैं कि नेहरू अवार्ड को आज एब्रोगेट करने की जरूरत है । राजस्थान की आवश्यकताओं को देखते हुए, राजस्थान की आर्थिक जरूरतों को देखते हुए आपको नए इकोनोमिक मेजर्स ढूंढने पड़ेंगे: किन्हीं वर्गों पर टैक्स लगाने पड़ेंगे तो किन्हीं को रियायतें देनी पड़ेंगी । जहां तक छोटे जागीरदारों को राहत देने का प्रश्न है आप उनको राहत दें, इसमें मैं माननीय सदस्यों की भावना से पूरी तरह सहमत हूं । आप कहते हैं कि बहुत से मामले तय हो गए, तय हो गए हों तो भी क्या है, अभी बौंड दिए हुए हैं उनका पेमेन्ट नहीं हुआ है । डी-नोवो आप इन बातों को सोचिए । जिनका पेमेन्ट करना है उनके बारे में आप विचार करें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से एक केस और आपके नोटिस में लाकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा । बहुत से जागीरदारों को जमीन खुदकाश्त के लिए अलॉट हुई है, उनको मुआवजा दिया जाता है और वे जागीरदार खुदकाश्त के लिए दी हुई जमीन को फौरन बेच देते हैं, कैश में बेच देते हैं जब कि उम्मीद उनसे यह की जाती है कि इन जमीनों से वे रिहेबिलिटेट होंगे, खुदकाश्ती होंगे । ऐसे केसेज गवर्नमेंट के नोटिस में आए तो गवर्नमेंट को वह तमाम जमीन बेचने की कीमत उनके मुआवजे से काट लेनी चाहिए । अगर इस तरीके से वे लोग करेंगे तो जो सुविधाएं उनको दी गई हैं उनका दुरुपयोग ही होगा । एक ओर वे खुद कल्टीवेट नहीं करते और दूसरी ओर सरकार को मुआवजा देना पडता है ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसी तरह से आपने राजाओं की जमीनें एक्वायर करने का, रिज्यूम करने का कानून पास किया है लेकिन अभी भी उसमें ऐसी मशीनरी लगी हुई है जिससे मिल कर राजा लोग सरकारी जमीन को अपनी प्राइवेट प्रोपर्टी बना रहे हैं। इसी तरह का एक मामला हमारे अलवर राज्य के भूतपूर्व नरेश का है। अलवर के अन्दर राजर्षि कॉलेज के बाहर जमीन पडी हुई है। आप लोग भी जयपुर से दिल्ली जाते समय सर्किट हाउस के पास जो जमीन खाली पडी हुई है उसको देख सकते हैं। वहां पर एक नई दीवार आधा मील के करीब बनाई गई है; महाराजा किसी वकील की सलाह से अपनी प्राइवेट प्रोपर्टी क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कानून के पास होने के बाद उस जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से जो जमीन एक्चुअली रिज्यूम हो चुकी है, सरकारी हो चुकी है उसको प्राइवेट प्रोपर्टी में लेना चाहते हैं। कलेक्टर के नोटिस में भी हम इसको लाये हैं, जागीर कमिश्नर को भी लिखा है और मिनिस्टर साहब के नोटिस में भी लाए हैं। आज इस सदन में जब कि माननीय राजस्व मंत्रीजी यहां मौजूद हैं उनके नोटिस में भी लाना चाहता हूं कि वे फौरन इस बारे में एक्शन लें और उस जमीन को रिज्यूम करें। इसके अन्दर वहां के जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनकी कन्नाइवेन्स हो सकती है, कम से कम नेग्लीजेंस तो है ही।

मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो बाडमेर का मामला आपके सामने रखा है और यह मामला रखा है उसके अन्दर आप फौरन जांच करेंगे और जो दोषी पाये जावें उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मांग का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री कुम्भाराम आर्य (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने वाले सदस्यों में दो सदस्यों ने सैद्धान्तिक तौर से और हालात के तकाजे के तौर पर मुआवजे को नहीं दे करके इस समस्या को सदा के लिये समाप्त कर देने की सलाह दी है। कुछ-सदस्यों ने इस मुआवजे के काम को पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों और परेशानियों के बारे में कुछ बातें कही हैं। कठिनाइयों का और परेशानियों का जहां तक सवाल है वे नहीं रहनी चाहिए, इसमें कोई भी दो मत नहीं। इसलिए मैं सदस्य महोदयों को यही कहना चाहूंगा कि वे किसी समय, असेम्बली के टाइम में, एक दिन मेरे कक्ष में पधारने का कष्ट करें। मैं बैठ कर उनसे बात करूंगा और जितनी उनकी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करूंगा और उनको संतोष दिलाऊंगा।

रहा सवाल भरतपुर और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य महोदयों का। जहां तक जागीरदारों को मुआवजा नहीं देने का सवाल है, बिना मुआवजे के उनकी जागीरें जब्त करने का सवाल है, मैं भी दिमागी तौर से उसी तरह का इन्सान हूं। मेरा बस चलता तो शायद मुआवजा नहीं दिया जाता, लेकिन यह मेरे समय से पहले सब कुछ हो चुका है और आज जब कि अधिकांश लोगों को तो पैसा बंट चुका है और बहुत थोडे से लोग रहे हैं उस वक्त यह कहना कि अब आयन्दा के लिए इस समस्या को खत्म कर देना चाहिए, ठीक नहीं होगा।

(श्री कुम्भाराम आर्य)

इसके माने यह होंगे कि कुछ लोगों को तो पैसा दे दिया और कुछ लोगों के साथ हमने हार्डशिप बरती, सख्ती उनके साथ बरती। राज्य किसी के साथ सख्ती और नर्मी नहीं बरतता है।

इसलिये जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है इसको तो अब उसी तरह से पूरा उतारना चाहिये। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो मैं उनके भावों से खूब प्रभावित था, लेकिन उनकी वाणी मेरे गले नहीं उतरती थी। इसलिये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक समाजवाद लाने के उनके कदम हैं वहां पर मैं कोशिश करूंगा उनके कदमों से अपने कदम मिलाने की, लेकिन जहां तक वाणी का सवाल है हो सकता है कि हम लोग उनसे मेल न खायें। यह सोच कर चलना चाहिए। यह काम बडी समझदारी और जिम्मेदारी से किया गया है और इसको बडी जिम्मेदारी और सामझदारी से ही पूरा कर देना चाहिये। अगर ऐसा नहीं कर पायेंगे तो सरकार के बारे में जो विश्वास है वह नहीं रह सकेगा।

रहा सवाल इन हालात का तो इनको एक पक्ष से नहीं देखना चाहिये। जागीरदार का जब सवाल आता है तो ऑफिसरों के लिये यह कह देना कि कमिश्नर जागीरदार बनकर बैठ गया है, रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर जागीरदार बैठ गया है, इसलिये ये सारे अफसर जो जागीरदार हैं जागीरदारों के हक में फैसला करेंगे; यह वाजिब बात नहीं है, सही बात भी नहीं है। यह सारा निर्भर करता है आदमी के चरित्र पर और ऑफिसर जिनका नाम लिया जाता है उनके चरित्र पर। आज तक किसी को कोई शिकायत नहीं रही है इसलिये केवल विशेष जाति का होने से यह कहें तो हम बहुत बडी गलती करेंगे। आप दूसरी तरफ देखेंगे वे वफादारी में पीछे नहीं होंगे। हम पाकिस्तान से अभी लड ही रहे थे, तो क्या वहां जागीरदार नहीं हैं जो देश के लिये खून बहा रहे हैं? उनमें समाजवादी भावना या देशभक्ति नहीं है, यह कहकर नहीं चलना चाहिये। उनके हाथ में जागीरें थी तब तक हम यह समझते थे कि क्रान्ति लाने के लिये, समाजवाद लाने के लिए जागीरें इनके हाथ से हटा देनी चाहिये और आज देश के हित में उन्होंने जागीरें छोड दी हैं तो वे जागीरदार नहीं रहे। वे देश के साधारण नागरिक हैं और उनमें भी समाजवादी नागरिक हो सकते हैं और उनमें हम से भी ज्यादा देश भक्ति भी हो सकती है। उनकी पुरानी बात को सोचकर ऐसी बात न कहें।

हमने जागीरदारी का मुआवजा देने की एक बात का फैसला कर दिया और बहुत सारा मुआवजा अदा कर दिया और अब पीछे थोडा सा रहा है। जागीरदारी का हाथी तो निकल गया और अब पूंछ रही है जिसको पकड कर खींचा जा रहा है कि हम इसको नहीं निकलने देंगे, यह ठीक नहीं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मांग पास कर दी जाय। यह मेरी विनती है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ९४, मुख्य शीर्षक ६५-भूमिधर इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप हानि-पूर्ति देय के सम्बन्ध में संचनित निधि में से ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल

Page No 64

(श्री उपाध्यक्ष)
महोदय को ३४,५२,९८१) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ९४ स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या ९०।

अधिक अनुदान की मांग संख्या ९०–अन्य राजस्व व्यय जिनके लिये साधारण राजस्व से अर्थ प्रबन्ध किया जाता है

श्री नाथूराम मिर्धा (सिचाई मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ९०, मुख्य शीर्षक १८—अन्य राजस्व व्यय जिनके लिये साधारण राजस्व से अर्थ-प्रबन्ध किया जाता है, के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष के लिए किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु० ४६७,९०८ तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[इस मांग पर निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

कुं० श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : **मांग संख्या ९०, मुख्य शीर्षक १८-अन्य राजस्व व्यय जिनके लिए साधारण राजस्व से अर्थ प्रबन्ध किया जाता है, में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नहरों में से मिट्टी उठाने में किये गये अधिक खर्चे पर बहस करने के लिये ।**]

कुं० श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, अवसर यह देखने में आया है कि सरकार द्वारा कई मदों में मनमाने तौर पर बजट से अधिक पैसा खर्च कर दिया जाता है, और साल के दर्मियान में सरकार उन मदों के लिये, जिनमें कि पहले बजट से अधिक र्च हुआ है, उसके लिये हमारे पास मन्जूरी के लिये आती है। मैं जहां तक समझा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय बजट प्रस्तुत किया जाता है तो या तो सरकार उन मदों में जिनमें कि इतना खर्च करना जरूरी है उन सारे खर्चों के पूरे आंकडे उपलब्ध नहीं कर पाती है और जल्दी जल्दी में क्योंकि बाद में फिर अधिक खर्च हो जायेगा तो असेम्बली से ग्रान्ट पास करवा लेंगे, यह सोच कर बजट में उस समय असेम्बली से पास करवा लेते हैं।

जहां तक इस मांग का सवाल है कि नहरों से अधिक मिट्टी निकालने में अधिक पैसा लगा है उसके लिए है। यह एक ऐसी मद है कि इस मद में हर वर्ष पैसा खर्च करना पडेगा। मेरे खयाल से गत वर्ष में भी इस मद में सरकार ने पैसा खर्च किया है। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा मद है कि जिसके लिए असेम्बली से पास कराते समय किसी खास कारण से या किन्हीं विशष परिस्थितियों में अधिक खर्चा होने की जरूरत थी और इस जरूरी खर्चे को मद्दे नजर रखते हुए सरकार को अधिक खर्चा करना पडा तो उस बात को सामने रखते हुए अधिक पैसा सरकार बजट में रखती और उसकी मन्जूरी इस सदन से लेती तो मेरी, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जहां तक नहर से मिट्टी निकालने का प्रश्न है यह एक ऐसा मद है कि जो हर साल होने वाला है और इसमें कितना खर्चा होगा इसकी जानकारी सरकार को होनी चाहिये। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि मिट्टी निकालने में जो पैसा खर्च हुआ है वह व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ है। जहां तक खर्चे का सवाल है वह या तो डिपार्टमेन्टल कोई गेंग लगा कर खर्च किया गया है और जहां तक डिपार्टमेन्टल गेंग लगाकर मिट्टी निकालने का सवाल है तो उसमें लेबर अधिक लगा है और काम

(श्री महेंद्रसिंह)

कम हुआ है, देख-रेख में कमी रही है, लेबर कीमती अधिक हुई है और काम कम हुआ है; इस कारण अधिक खर्च होने की सम्भावना हो सकती है या किसी को ठेका दिया गया है ठेका देकर किसी नहर की सिल्ट को निकाला है तो उसमें ठेकेदार को शिड्यूल्ड रेट से एबव परसेन्टेज पर ठेका दिया है, और उस एबव परसेन्टेज पर ठेका देने के कारण यह अधिक खर्चा हुआ है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से मिट्टी निकालने में जो अधिक खर्चा हुआ है तो कितनी मिट्टी निकाली गई और किस रेट पर खर्च पडा, इस बात की जानकारी आज तक नहीं मिली है। आप जब जवाब दें तो जानकारी इसकी सदन को दें कि जो मिट्टी निकाली गई है नहर से उसका औसत रेट आज तक क्या आया है? मैं समझता हूं कि अगर मन्त्री महोदय डिटेल में जायेंगे तो जो शिड्यूल्ड रेट है मिट्टी, सिल्ट निकालने का उस रेट से एबव परसेन्टेज उसमें आता है और इसी कारण से वह खर्चा अधिक हुआ है। या फिर यह मानकर चलना चाहिये कि जितनी तादाद में मिट्टी निकालनी थी उसका अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सका और उसके कारण, कम अनुमान होने के कारण से कम बजट पेश किया गया और उस कारण से यह अधिक खर्च करने की नौबत आई है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मन्त्री महोदय का सवाल है मन्त्री महोदय अपने आपको किसानों का काफी हिमायती और उनका रिप्रेजेन्टेशन करने का दावा करते हैं। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह इस प्रकार से जो अधिक खर्चा कर देते हैं, मनमाने तौर पर सरकारी पैसा जो खर्च हो जाता है उस खर्चे का भार लोगों पर जाकर पडेगा। मैं समझता हूं कि जितना खर्चा अधिक होता है वह उन सारे किसानों पर पडता है। चाहे मन्त्री महोदय भले ही अपने आपको किसानों को रिप्रेजेन्ट करने वाला मानते हों, लेकिन इससे तो यही समझा जा सकता है कि अधिक से अधिक उनकी माली हालत खराब हो, उनकी आर्थिक व्यवस्था बिगडे, उनके ऊपर कर्ज के रूप में भार बढे जिससे कि उनकी आर्थिक अवस्था कमजोर हो, यही करते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जो नहर पर यह अधिक खर्चा हुआ है वह किसी तरह से भी ढंग से नहीं हुआ है। अगर उपयुक्त ढंग से हुआ होता तो अधिक खर्च होने की नौबत नहीं आती।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसींद): उपाध्यक्ष महोदय, नहरों की मरम्मत के सम्बन्ध में ....

श्री उपाध्यक्ष: कटौती प्रस्ताव तो एक ही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: नहरों की मरम्मत के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ......

श्री उपाध्यक्ष: आपने प्रस्ताव नहीं दिया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास: प्रस्ताव भी दिया है। वह यहां पर अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन पहले यह कहा गया था कि अगर न भी देंगे तो बोल सकेंगे। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि १-२ मिनट की बात है।

नहरों की मरम्मत के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि नहर की मरम्मत का सवाल

Page No 66

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

आता है और पानी देने का सवाल आता है तो काश्तकार को कहा जाता है कि नहरें ठीक कर लो तो पानी ले जा सकते हो। इस प्रकार की व्यवस्था से सरकार के नाम तो पैसा मंड जाता है और काश्तकार को मरम्मत करानी पडती है। सैकडों रुपये खुद खर्च करके वह मरम्मत करवाता है। इस अव्यवस्था के कारण सरकार को लाखों रुपयों की हानि होती है। बहुत सी नहरें ऐसी हैं जिनकी व्यवस्थित ढंग से मरम्मत करवाना आवश्यक है। बीच में पत्थर और मिट्टी आजाती है उनको भी ठीक करवाना आवश्यक है। ये समय पर ठीक हो जावें तो पानी की सुविधा मिलेगी और सरकार को भी हानि नहीं होगी।

(१.०० म. प.)

दूसरा प्रश्न ठेकेदारी प्रथा के सम्बन्ध में है। ठेकेदारों के जरिये जो काम करवाया जाता है वह न तो पूर्ण रूप से मजबूत होता है न इकोनोमिकल होता है। इसलिये इस बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था और अब फिर निवेदन करता हूं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिये। इससे भ्रष्टाचार होता है और आधा पैसा लोग खा जाते हैं। इसलिये इस प्रथा के बारे में पहले भी विचार किया था। अब जो भी काम कराया जाय वह डिपार्टमेन्ट की तरफ से कराया जाय और ठेकेदारों की मार्फत नहीं कराया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है उसमें अपने भाषण में शुरू में उन्होंने जो भावना व्यक्त की कि हमें बजट बनाते समय पूरा अन्दाज होना चाहिये कि किस मद में कितना खर्चा करने जा रहे हैं और उसका प्रोविजन उस वक्त करना चाहिये तथा नहरों से मिट्टी निकालने के काम का पहले से एस्टीमेट कर लेना चाहिये, बाद में मिट्टी निकाली गई, उसमें कई अनियमितताएं हो सकती हैं इसलिये खर्चा ज्यादा हुआ। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि ६१-६२ का साल हमारी अच्छी फसल का साल था। उस साल बहुत अच्छी बरसात हुई थी। जैसा कि आपको ख्याल है हम बजट पास करते हैं मार्च में और बरसात होती है जून, जुलाई में या अगस्त में। उसके बाद जब ज्यादा बरसात हो जाती है और उस साल हुई भी है, इस वजह से तालाबों में ज्यादा पानी आया और वह पानी नहरों की मार्फत खेतों में पहुंचाना जरूरी था। पानी ज्यादा होता है तो नहरों में सिल्ट आ जाता है, टूट जाती हैं, खराब हो जाती है। तो विशेष तौर से उनकी मरम्मत करवाने की आवश्यकता पडती है; उस साल में ऐसा ही हुआ। ज्यादा बरसात के कारण नहरों की मरम्मत बडे पैमाने पर करवाना लाजिमी हो गया। इसलिये जो मिट्टी निकलवाने का एस्टीमेट करके प्रावधान फोरसी (foresee) करके बजट में रखा था वह काफी नहीं था। बरसात ज्यादा होने से विशेष परिस्थिति पैदा हुई और इस विशेष कारण से नहरों की मरम्मत ज्यादा करवानी पडी। नहरों पर विभाग के कुछ गेंग काम करते हैं, कुछ टेम्पोरेरी लेबर रखना पडता है। नियम के नीचे जिस तरीके से काम करना चाहिये उसी तरीके से काम किया गया। यह कहना कि नियमित तरीके से काम नहीं हुआ, जब तक पर्टिकुलर इन्सटान्स उस साल की न बतावें तब तक मैं कुछ कहने की परिस्थिति

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में नहीं हूं। तालाबों में ज्यादा पानी आने के बाद पानी चलाना, नहरों की टूट-फूट ठीक करना, उनमें से मिट्टी निकालना जरूरी था इसलिये ४ लाख और कुछ हजार रुपये इस कार्य में ज्यादा खर्च हुए। खास तौर से गिरधारीलालजी ने प्रश्न रखा कि किसानों से नहर ठीक करवाते हैं, वे भी जानते हैं कि फील्ड चैनल के जरिये किसानों के खेतों में पानी जाता है······

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : किसानों की फील्ड चैनल्स के अलावा जो काम सरकार को करना चाहिये वह भी किसानों से करवाते हैं, उसके बारे में मैंने बताया।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कभी नहीं होता। जो काम किसान को करना है वही वह करता है। स्वयं की फील्ड चैनल्स को ठीक करके पानी लेने के लायक बनाना उसका काम है और यदि यह काम किसान करता है तो वह अपने ही फायदे के लिये करता है। इसके अलावा जितनी भी सरकार की ट्रिब्यूटरीज, मेन कैनाल्स और नहरें हैं उनको ठीक रखने का काम सरकार का है। ६१-६२ में बरसात ज्यादा हुई, प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ। उस साल हमारे यहां ५४ लाख टन अनाज हुआ था। ऐसे साल में जब कि विशेष परिस्थिति थी, जिसको फोर कास्ट नहीं कर सकते थे, बजट बनाते समय यह परिस्थिति नहीं थी, जून और जुलाई में बरसात हुई इसलिये उस साल विशेष खर्चा हुआ। इस एक्सेस खर्चे को ए. जी. ने प्रेस किया था, इसलिये सदन के सामने लाना जरूरी हो गया। इसलिये मैं कहता हूं कि जो कुछ आपने कहा है वह ठीक है, लेकिन विशेष परिस्थिति के कारण आवश्यकता पड़ी इसलिये यह मांग यहां लाई गई है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस मांग को आप स्वीकार कर लें।

कुं० श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : आप जब बजट बनाते हैं उस समय औसत बरसात का एवरेज निकालने का कोई क्राइटेरिया तो आपने बना रखा होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो है ही। नोर्मल बरसात में रिपेयर्स की ग्रान्ट मामूली होती है और विशेष परिस्थिति में विशेष प्रावधान करना पडता है।

श्री रामकिशन (वैर) : मेन्टेनेन्स का तरीका क्या है ? कितना पुराना हो उस पर परसेन्टेज क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ठीक तौर से तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेन्टेनेन्स ३ परसेन्ट होगा।

श्री रामकिशन : नयों पर ही तीन परसेन्ट है या पुरानों पर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : शुरू म मेन्टेनेन्स कम होता है, बाद में ज्यादा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ९०, मुख्य शीर्षक १८—अन्य राजस्व व्यय, जिनके लिये साधारण राजस्वों से अर्थ प्रबन्ध किया जाता है, के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,६७,९०८ रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग संख्या ९० स्वीकार की गई।

अधिक अनुदान की मांग संख्या ८८-स्टाम्प्स

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ८८, मुख्य शीर्षक ९-स्टाम्प्स के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष में किये गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३७,६६० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ८८, मुख्य शीर्षक ९-स्टाम्प्स के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष में किये गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३७,६६० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अधिक अनुदान की मांग संख्या ८८ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ८९--अन्य कर और महसूल

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ८९, मुख्य शीर्षक १३ - अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,००७ रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ८९, मुख्य शीर्षक १३-अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,००७ रु० तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८९ स्वीकार की गई।

अधिक अनुदान की मांग संख्या ९१-सामान्य प्रशासन

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ९१, मुख्य शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३२,९४१ रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ९१, मुख्य शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३२,९४१ रु० तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ९१ स्वीकार की गई।

अधिक अनुदान की मांग संख्या ६२— भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ५४-खा-भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ११,८७२ रु० तक की राशि प्रदान की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ५४-खा-भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ११,८७२ रु० तक की राशि प्रदान की जाये ।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : 'ना' पक्ष जीता ।

श्री रामकिशन (वैर) : जीता कहां ?

श्री उपाध्यक्ष : Too late.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नरेशों को इस स्थिति में पैसा हम उचित नहीं मानते ।

श्री रामकिशन : हमें सेनाओं के लिए ही पैसा चाहिए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और फिर जब बोण्ड्स दिये गये हैं तो भत्ता क्यों दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : Do you want division shall I put it to vote again ?

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ५४-खा-भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ११,८७२ रु० तक की राशि प्रदान की जाये ।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता ।

श्री रामकिशन (वैर) : अजी साहब, नहीं साहब ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ना की आवाज है ।

श्री उपाध्यक्ष : डिवीजन ?

श्री रामकिशन : डिवीजन इसलिए कि साहब इनकी तरफ बैठने वाले भत्ता वैसे ही वसूल करते हैं ।

(विराम)

मंत्रीजी दबाव डालने जा रहे हैं, इनको रोका जाय ।

(मत विभाजन घंटी)

(१.१२ म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ५४-खा-भारतीय नरेशों के

(श्री उपाध्यक्ष)
निजी व्यय और भत्ते के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ११,८७२ रु० तक की राशि प्रदान की जाये ।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : 'Noes' have it, Sir.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : दोनों कर दिये इन्होंने —'हां' और ना' ।

श्री रामकिशन (वैर) : नहीं भी जाते । हम पूछना चाहते हैं कि 'ना' इन्होंने किस वजह से कहा है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : We claim Division.

श्री उपाध्यक्ष : "ना" पक्ष वाले "ना" गैलेरी में जायं और "हां" पक्ष वाले "हां" गैलेरी में जायं ।

(१-१५ म. प.).

(विभाजन के पश्चात्)

विभाजन का निर्णय इस प्रकार है :—

हां पक्ष—७१

ना पक्ष—१९

मांग संख्या ९२ स्वीकार की गई ।

'हां' व 'ना' पक्ष के माननीय सदस्य—

"हां" पक्ष

श्री अलदाराम मीणा
श्री बालकृष्ण कौल
श्री भीखाभाई
श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
श्री भीमसेन
श्री भीमसिंह
महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल
श्री बृजसुन्दर शर्मा
श्री चन्दनमल वैद
श्री चन्द्रसिंह वर्मा
श्री चतुर्भुज उपाध्याय
श्री दलपतसिंह
श्री दौलतराम सारण
श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
श्री देवीलाल मीणा
श्री धर्माराम आर्य
श्री दिनेश राय डांगी
श्री गणेश लाल
श्री गणपतिलाल वर्मा
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री घासीराम यादव
श्री गिरधारी लाल व्यास
श्री गोकुल चन्द
श्री गोकुल प्रसाद शर्मा
श्री गोपीलाल गोठवाल
श्री गोविन्दसिंह (पिडावा)
श्री ज्ञानचन्द मोदी
श्री हनुमानसिंह चौधरी
श्री हरिकिशन
श्री हरिश्चन्द्र
श्री हरलाल
श्री हजारीलाल शर्मा
श्री जगनसिंह
श्री जयकृष्ण शर्मा

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री जेठमल बरवड
श्री जुझारसिंह
श्री ज्वाला प्रसाद
श्रीमती कमला बेनीवाल
श्री कानाभाई नुवाल
श्री किशनसिंह बाटड
श्री लालाराम
श्री ललितमोहन
श्री मजलिसखां
श्री मांगीलाल रिणवा
श्री मनफूलसिंह
श्री मोहरसिंह राठौड़
श्री मोतीलाल चौधरी
श्री मुक्तिलाल मोदी
श्री नत्थीलाल
श्री नाथूराम (बागीडोरा)
श्री नाथूराम मिर्धा
श्रीमती निर्मला देवी नाहर
श्री परसराम मदेरणा
श्री फूलचन्द जैन
डा. पोहूमल ईसरदास
श्री प्रभूलाल 'सैन्टर'
श्री दामोदर लाल व्यास
राव श्री रघुवीरसिंह (वाड़ी)
श्री रघुनाथ बिश्नोई
श्री रामप्रसाद लड्ढा
श्री रविशंकर याज्ञिक
श्री रावत राम
श्री रूपाराम पंवार
श्री बद्री प्रसाद गुप्ता
श्री शंकरलाल जाट
श्री शिवनारायण छाछिया
श्री कुम्भाराम आर्य
श्रीमती सुमित्रा
श्री स्वरूप नारायण पुरोहित
श्री बिरधा राम फुलवारिया

"ना" पक्ष

श्री ए. जब्बार
श्री दयाचन्द सोन
श्री दयाराम
श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)
श्री हीराभाई
श्री जयलाल
श्री जोधसिंह चौहान
श्री कृष्णकुमार गोयल
श्री लक्ष्मी चन्द
श्री मानिक चन्द सुराणा
श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल
श्री मुरली धर व्यास
श्री रामानन्द अग्रवाल
श्री रामकिशन
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री उमरावसिंह ढाबरिया
श्री विजयसिंह झाला
श्री विट्ठल
श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): १०० गधों से एक अरबी घोडा अच्छा ही होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास (चिकित्सा मंत्री): Such words shuld not be used.

अधिक अनुमान की मांग संख्या ६५-राजस्व लख के बाहर अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा।

श्री हरिश्चन्द्र (निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६५, मुख्य शीर्षक ८२-राजस्व लेखे से बाहर अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के संबन्ध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६२ को

Page No 72

(श्री हरिश्चन्द्र)
समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,०२१ रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जिन शब्दों को अभी माननीय सदस्य ने कहा है उनको मैं एक्सपन्ज करवाना चाहता हूं ।

श्री रामकिशन (वैर) : जब उनको किसी को एतराज नहीं है तो आपको क्या एतराज है ?

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६५, मुख्य शीर्षक ८२–राजस्व लेखे से बाहर अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के संबंध में संधनित निधि में से ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,०२१ रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(मतदान के पश्चात)

'हां' पक्ष जीता । हां पक्ष जीता ।

मांग संख्या ६५ स्वीकार की गई ।

(१.२३ म० प०)

राजस्थान विनियोग (सं० ३) विधेयक, १९६५ पुरःस्थापन विचार विमर्श एवं पारण

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १६६५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर बहस होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १६६५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १६६५ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे विचारार्थ लिया जावे ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर बहस होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : इसका जब थर्ड रीडिंग होगा आप बोल सकेंगे ।

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाए ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १६६५ को पारित किया जाए ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक हैं इसके बारे में लम्बी बहस करना नहीं चाहूंगा ।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

थोड़े से में ही यह बात कहना चाहता हूं कि जो रकम सन् ६१-६२ में खर्च हुई है और जिसमें से कुछ रकम ऐसी है कि जिसका तत्काल हिसाब आ जाना चाहिये था जैसे कि बन्ध के रिपेयर्स पर खर्च करने की रकम बताई है, जिसमें खास तौर से लिखा है कि सन् ६१-६२ में मिट्टी हटाई गई थी। यह रकम सन् ६२ में खर्च हुई है और आज सन् ६५ में उसको पास कराया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि देरी से चीजें हमारे यहां सामने लाई जाने का क्या कारण है और क्या कारण हो सकता है? यह छोटा सा काम सन् ६२ में खत्म हो गया था और सन् ६१-६२ की एक्सेस डिमान्ड्स इस हाउस में इससे पहले भी पास कराई गई उस वक्त इसको भी पास करा लेनी चाहिये थी। मगर उस वक्त नहीं करवा कर आज उस मांग को रखा जा रहा है। इस देरी का फाइनेन्स मिनिस्टर को कारण हाउस के सामने बताना चाहिये कि यह देरी क्यों हुई?

दूसरी बात, ११ लाख रुपयों का जागीरदारों को मुआवजा देने के बारे में है। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर मैं हमारे यहां पर हाउस की याचिका ने रिपोर्ट दी थी कि नेहरू अवार्ड के ६ लाख रुपये चार जागीरदारों को दे दिये गये वे उनसे वापिस वसूल किये जाकर उनको हमारे खजाने में वापिस जमा कराना चाहिये। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? कमेटी के सामने ऑफिसरों को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिन जागीरदारों को गैर-कानूनी तौर से ६ लाख रुपया दिया था वह वापिस ले लिया जावे। जब आपने ज्यादा रुपया गैर-कानूनी तौर से किसी को दे दिया है तो उस याचिका कमेटी ने उसके लिये सिफारिश की है कि वह रुपया ४ जागीरदारों से वापिस वसूल किया जाना चाहिये, इसके लिये फाइनेन्स मिनिस्टर क्या जबाब देना चाहते हैं?

जब यह गैर कानूनी तरीके से ६ लाख का पेमेंट हो गया, अब यह ११ लाख की एक्सेस मांग मांगते हैं पर आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया उसे वसूल क्यों नहीं करते, उसको वापिस जमा करवा कर क्षति पूर्ति क्यों नहीं करना चाहते, आप हमें यह बतायें? यह ऐसा मुद्दे का सवाल है, चूंकि ११ लाख दे दिये गये हैं, कृषि मंत्रीजी ने कहा कि अब क्यों बोलते हो, यह तो पेमेंट कर दिया। हम आपकी नीतियों को बताते हैं कि किस प्रकार गलत तरीकों से आप पेमेंट कर देते हैं और फिर जब हम कहते हैं तो कानों में अंगुलियां डाल लेते हैं। इस प्रकार जो गलत पेमेंट किया गया है, जिसके लिये प्राक्कलन समिति ने वापिस वसूल करने का कहा है, उसके लिये वित्त मंत्रीजी कहें कि यह ६ लाख रुपया वापिस वसूल किया जायगा।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि इतनी देरी से इस प्रकार की एक्सेस डिमाण्ड्स पेश करने का सरकार ने वतीरा अख्त्यार कर रखा है; पांच-पांच साल तक गवर्नमेंट अकाउन्ट्स समाप्त नहीं होते, यह आपके काम करने का तरीका है? एक-दो साल तक अकाउन्ट्स पूरे होने की इन्तजार की जा सकती है, पर पांच-पांच साल बाद एक्सेस डिमाण्ड्स ले आयें और इस प्रकार यहां एक्सेस डिमाण्ड्स पास कराने की कोशिश करें, यह उचित नहीं कहा जा सकता।

तो जो बातें मैंने यहां रखी हैं उनका उत्तर दें और वादा कीजिये कि आयन्दा दो

(श्री उमरावसिंह डाबरिया)
साल से ज्यादा की एक्सेस डिमाण्ड्स यहां नहीं रखी जायेंगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६५ को राज्य के वित्त मंत्री सदन द्वारा पास करा लेना चाहते हैं, जिसके जरिये ६१-६२ की राशि को आज रेगुलराइज कराना चाहते हैं । कागज की खरीद के सिलसिले में या उसकी क्वालिटी के संबंध में कुछ ज्यादा पेमेण्ट राज्य सरकार को करने पड़े, जहां ३३ लाख पेमेण्ट करना था वहां ४५ लाख का पेमेण्ट करना पड़ा और कागज की क्वालिटी के बारे में बड़ा भारी घोटाला हुआ, जिसके संबंध में मैंनन रिपोर्ट के कुछ बहुत गम्भीर तथ्यों को भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किया और एस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उन तथ्यों को बड़ी गम्भीरतापूर्वक रखा, आज उस मद को हमारे ऊपर थोप कर उसे वित्त मंत्री पास करा लेना चाहते हैं । जिस अधिक पेमेण्ट के कारण जिन लोगों को जेल के सींखचों के पीछे होना चाहिये था, जिस अधिक पेमेण्ट के कारण उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये थी, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की गई और उसको आज सरकार इस सदन के माननीय सदस्यों के गले उतार देना चाहती है । मैं एस्टीमेट्स कमेटी का वह पेरा जो कागजों की खरीद के संबंध में रखा है, सदन के समक्ष पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :—

"इस संबंध में दूसरी शिकायत यह देखने में आई है कि कागज की किस्म (क्वालिटी) निर्धारित विवरण के अनुसार नहीं होती । यह बात गत वर्ष एक मिल से प्राप्त कागज की किस्म के निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट हो जायगी :

(१) सफेद कागज १७" २७" (१८ पौंड) जिसके १८१ रीम खरीदे जाने चाहिये थे उनके स्थान पर केवल एक रीम खरीदा गया ।

(२) क्वालिटी पेपर सफेद १७" २७" (२० पौंड) ३०७ रीम खरीदा जाना चाहिये था वहां १ रीम खरीदा गया ।

(३) बादामी कागज १७" २७" (१८ पौंड) ९८ रीम खरीदे जाने चाहिये थे वहां ७४० रीम खरीदे गये ।

(४) बादामी कागज २०" १६" (२० पौंड) १५६ रीम खरीदना चाहिये था वह १५६ रीम ही खरीदा गया ।

पर क्वालिटी पेपर जहां ३०७ रीम खरीदने चाहिये थे वहां केवल एक ही रीम खरीदा गया ।"

एस्टीमेट्स कमेटी ने साफ लिखा है कि भारत सरकार ने जिन कम्पनीज़ से जिस किस्म का कागज खरीदने का कहा राजस्थान सरकार ने जिन कम्पनीज से कागज खरीदा, घटिया किस्म का खरीदा और लाखों रुपयों का घोटाला करके घटिया कागज खरीदा गया, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है । फिर लिखा है :—

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

"इस प्रकार कागज की किस्म के सम्बन्ध में भी शासन की वही मजबूरी बताई जाती जो कि कागज की मात्रा के सम्बन्ध में है। समिति को इस स्थिति से संतोष नहीं है। यदि भारत सरकार इस सम्बन्ध में लाचारी प्रकट करती है तो भी प्रत्येक मामले में भारत सरकार के सुझाव के अनुसार यदि कागज की किस्म में कमी दृष्टिगोचर हो तो उसे उप-नियन्त्रक, मुद्रण एवं निरीक्षण, कलकत्ता से परीक्षण करवा लेना चाहिये।"

लेकिन राज्य सरकार ने आज तक इस रिपोर्ट पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी। जो कागजों की खरीद वर्ष दर वर्ष की जाती है, ६१-६२ के मामलों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही का राज्य सरकार द्वारा किया जाना आज ६५ हो गया, फिर भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। क्वालिटी पेपर के पेटे रफ पेपर खरीदते चले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैनन कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान से पढ कर उस पर राज्य सरकार गौर करे और जिन अधिकारीगण को निश्चित् रूप से दोषी ठहराया गया है उनके सम्बन्ध में कडी कार्यवाही की जाय। इफ्तिखार अली इस सम्बन्ध में कई मामलों में बुरी तरह से उलझे हुए हैं। हमारे राज्य के सम्बन्धित मन्त्री उनका हर तरह का प्रोटेक्शन, पैरवी कर रहे हैं; शायद उन्हें भारतभूषण की पदवी प्रदान करदें, क्योंकि लाखों का घोटाला किया है।

तो राज्य सरकार से इतना ही कह कर मैं दूसरे मुद्दे पर आऊंगा कि इस सम्बन्ध में एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है, मैनन कमेटी की रिपोर्ट्स है, इन रिपोर्ट्स को पढ़ कर कड़ा कदम उठावें।

अब मैं सरकार का ध्यान जो ३४ लाख रुपया जागीरदारों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में है उस ओर दिलाना चाहूंगा। जागीरदारी और राजाओं को समाप्त करने के समय उनको ५० करोड देने की बात कही गई, पर वह ९० करोड तक पहुंच गई है। राजस्व मन्त्रीजी ने सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए कहा कि किन्हीं को दी है, किन्हीं को नहीं दी है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करदूं कि रूल १५४ के अनुसार जो मूल डिमान्ड है, उसके अन्दर जो बात कही जा चुकी है, उसके ऊपर न कहें......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं मूल डिमान्ड में नहीं जाते हुए, सिद्धान्त कबूल कर लिया तो कोई कठिनाई नहीं, बडों को पेमेन्ट रोक दें जिस प्रकार की स्थिति में से देश गुजर रहा है, जिस प्रकार की अलार्मिंग रिपोर्ट पार्लियामेन्ट में प्रस्तुत हुई है, यह सब देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि आज इन राशियों को क्यों दें? आज भारत सरकार ने स्पष्ट घोषणा करदी है कि भारतवर्ष के ३६ करोड लोग ६८ नए पैसे पर प्रति दिन गुजर करते हैं, दस करोड से अधिक आबादी ऐसी है जो ४२ न० पैसे प्रति दिन पर गुजर करती है। आज रूरल क्रेडिट सर्वे रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि देश के ७० प्रतिशत किसान मकरूज हैं और मकरूजता का भार १९४७ से आज ज्यादा अधिक है। साम्राज्यवादियों के कहने में आकर पाकिस्तान हमारे देश पर हमला करता है, एक तरफ हमारी सीमाओं के अन्दर चीन अपनी एक्सपेंशननिज्म और एग्रेशन को लगातार कायम रखता है। १५-२० दिन के युद्ध के अन्दर करोडों रुपयों

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
की राशि खर्च हुई। देश के अन्दर दारिद्र है। चौथी योजना में प्रवेश करने के समय भी हम योजनाओं के अन्दर अपने सार्वजनिक क्षेत्र का एक्सपेन्शन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी ऑइल कम्पनीज और बैंक्स कुछ लोगों के हाथों में खिलवाड बनी हुई हैं, ऐसी हालत में हम भारतवर्ष के राजाओं को यह राशि लगातार देते जायं, यह कोई सहन करने की बात नहीं है।

मैंने नागोर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को थोड़े दिन पहले पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि अब समय नहीं है कि राजाओं को यह राशि दी जाय। आज बैंकों के राष्ट्रीयकरण का समय आ गया है आज अनाज के थोक व्यापार को हाथ में लेने का समय आ गया है। आज संकट के समय जब कि करोडों रुपये युद्ध में हमारे जा रहे हैं उस वक्त ३४ लाख रुपए राजाओं को दे देना ठीक नहीं है। आज समय आगया है कि चन्द्रमहल के अन्दर सिविल डिफेन्स की ऑफिस खोली जाय। वह आतिश जहां घोडे बंधते थे और लीद किया करते थे वहां एक एक दूकान का ५००) रु० माहावार किराया हो गया है। यह सही है कि अयूब की मित्रता ने जयपुर पर बम्ब गिरने नहीं दिया.......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, मैं इस स्टेटमेन्ट का सख्त विरोध करता हूं। राजा की वजह से बम्ब नहीं गिरा, यह बिल्कुल गलत है और इसको ऐसा अर्थ देना इस सदन की शान के पक्ष में नहीं है। कौन कहता है कि एक आदमी की वजह से क्या हो सकता है? सारे देश की जो स्थिति है उसको लाइटली लेना बिल्कुल गलत है। एक प्राइवेट आदमी के लिए......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं क्षमा मांगता हूं। मेरा तात्पर्य यह था कि राजा मानसिंह ने घोषणा की थी कि अयूब मेरा मित्र है और महारानी गायत्री की घोषणाएं भी स्पष्ट आई थीं कि काश्मीर पाकिस्तान का है। तो मुझे क्षमा कर दिया जाय; मैंने सोचा शायद महाराजा मानसिंह की अयूब से मित्रता के कारण से यह बम्ब-रक्षा हुई, लेकिन....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जवानों की वजह से रक्षा हुई जो सीमा पर खड़े हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस संकट के समय एक व्यक्ति अपने आप को अयूब का मित्र घोषित करे, अगर सरकार में शक्ति है तो उसको जेल के सींखचों में डाल दे। आज देश की आजादी के लिये हर पार्टी का आदमी, हर व्यक्ति देश से प्यार करता है, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ लोगों को चोर-बाजारी और मुनाफाखोरी करने दी जाय। इसका मतलब यह नहीं कि उच्च सम्पत्ति के मालिक राजा ने अरबों रुपयों की जवाहरात जो विदेश में भेजते हैं; जोधपुर, कोटा या बीकानेर चले जाइये, गरीब किसान के पास जमीन का एक टुकडा भी नहीं, राजस्थान नहर के अन्दर लाखों दरख्वास्तें हुईं, रद्दी की टोकरी में पड गईं और उधर दस हजार की बढ़िया धरती आपने जागीरदारों को दे दी। आज रक्त देकर जवान के हौसले को बढ़ाने की जरूरत है और यह समय राजाओं की सम्पत्ति को जब्त करने का है। इनके भत्तों को रोका जाय, उनकी सारी पेन्शन्स को और सहूलियतों को रोका जाय। आपके राजस्थान में रतराम और चरतराम दो तीन पैसे यूनिट पर बिजली लेते हैं, महाराजः

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
मानसिंह और बडे बडे राजा आज भी रियायत पर बिजली-पानी का इस्तेमाल करें, यह मजाक उडाना है उस किसान के बेटे की जिसने पाकिस्तान के मुकाबले में पैटन टैंक्स को उडा दिया, उस बहादुर की मजाक उडाना है।

यह सही है कि इस सदन में १९ लोगों ने आज अपनी राय इस सम्बन्ध में दी। जन-संघियों ने, एस० एस० पी० वालों ने अपना दृढ़ मत निश्चित रूप से व्यक्त किया इस मांग पर डिवीजन करके; लेकिन यह डिवीजन कांग्रेस के सत्ताधारी दल के लोगों से क्लेम होना चाहिये। मुझे दुःख है कि वे लोग जो इस सिद्धान्त के अन्दर विश्वास करते हैं, जिला कांग्रेस कमेटीज के अन्दर प्रस्ताव पास करते हैं......

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (विलाडा) : हम अपने वायदे पर अटल हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे यहां आकर चुप क्यों हैं? क्यों नहीं ईमानदारी से स्वतन्त्र राय व्यक्त करते हैं? दिल्ली के कुलियों ने कैन्टीन खोल दी जवानों के लिये, क्लर्क व मजदूर ने एक एक दिन का वेतन दे दिया, कारखाने में १० घंटे के बजाय १२ घंटे काम किया, किसान ने एक हाथ बन्दूक के घोड़े पर रखा और दूसरा हल पर रखा, लेकिन अरबों की सम्पत्ति के महाराजा मानसिंह ने जिनका फोरेन एक्सचेन्ज जमा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस संकट के समय कितना फोरेन एक्सचेन्ज उन्होंने भारत सरकार को दिया, कितनी देशभक्ति उन्होंने दिखाई? हुक्मरानों, मैं जानना चाहता हूं कि यह रियायत क्यों कर रहे हो, कौनसा इश्क निभा रहे हो, कौनसा सम्बन्ध निभा रहे हो? यह ३४ लाख की मांग सदन में क्यों रखी गई?

एक माननीय सदस्य : इश्क क्या?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 'इश्क' मीन्स 'प्यार, मुहब्बत, लगाव, राजाओं और रानियों से प्रेम'।

अन्त में मैं बडी गम्भीरता से और बडे अदब से अर्ज करना चाहता हूं, "समाजवाद समाजवाद-समाजवाद" चिल्लाते चिल्लाते उसके असर को कम कर दिया। समाजवाद शब्द को इतना भ्रष्ट मत कीजिए कि कोई भूला-भटका आने वाली सदियों में अगर समाजवाद का नाम ले तो लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर जायं। "पब्लिक सैक्टर, पब्लिक सैक्टर" चिल्लाते-चिल्लाते इतना बदनाम कर दिया, कोआॅपरेटिव मूवमेन्ट को इतना बदनाम न करें कि अगर समाजवाद का एक कण हुकमरान में है तो ये भू-सम्पत्तियों के स्वामी, राजा, नरेश फोरिन एक्सचेन्ज के स्वामी, जो हिन्दुस्तान के ४४ करोड किसानों के दिल में कांटा हैं, उसको खींच कर बाहर निकालें। तब मानने की कोई चीज हो सकती है कि समाजवाद का कोई एक जर्रा भी तुममें है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,......

एक माननीय सदस्य : आप भी जनता में से चुन कर आये हैं, जरा सब की भ्रमता मिटा दें।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मामूली सी बात है।

(श्री मार्नासिह महार)

सन् १९६१ में जब हमारे हांडा साहब इस सदन में पैदा ही नहीं हुए थे, उनकी यहां पैदाइश ही नहीं थी....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : इस सदन में नहीं, दुनिया में तो आ गया था।

श्री मार्नासिह महार : राजाओं के जूते उठाते रहे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: राजाओं का बाप बनकर आया था।

श्री मार्नासिह महार : राजाओं के जूते उठाते रहे, मैं अधिक कहना नहीं चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, तो यह छोटी सी उस समय की बात है। उस समय क्या हुआ कि कुछ पैसे तो राजा लोगों के लिए ज्यादा खर्च हुए, कुछ पैसे जागीरदारों को बॉण्ड्स के रूप में ज्यादा दिये गये, कुछ शायद नहरों के सुधार के लिये दिये गये। यह सरकार की गलती है, मैं इसको मानता हूं कि ६१ में खर्चा किया गया उसको सन् ६५ में इस सदन में लाकर एप्रूव करायें, इसका तो मैं स्वयम् ही कट्टर विरोध करता हूं, लेकिन इस प्रकार के घृणित भाषण इस सदन में उस छोटी सी बात को लाकर हुए, उसका मैं विरोध करूंगा।

मैं समझता हूं अब भी कुछ लोगों के दिमाग में राजा और जागीरदारों का फोबिया बना हुआ है। मैं मानता हूं, रियासतों के जमाने में जिनको ऊंटों के खूंटों से बांध दिया और जिनको जेलों में डाल दिया और वे वहां सडे हों उनके दिमाग में ऐसा फोबिया हो लेकिन जो राजाओं के पैसे से पढे हैं, जो इस लायक हुए हैं, इन्सान बने हैं वे इस सदन में लम्बे-चोडे भाषण देकर.....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे कौन हैं जो राजाओं के पैसे से पले हैं? मानसिंह महार या योगेन्द्रनाथ हांडा?

श्री मार्नासिह महार : मैं तो इस पर गर्व करता हूं, मैं तो उस जमाने का हूं और रहूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमने तो रजवाडे शाही की खिलाफत की है।

श्री मार्नासिह महार : वे दिन भूल गये जब स्वतन्त्र पार्टी का झंडा निकलता था तो अपनी झंडी को मोडकर अपनी जेब में डाल ली थी और कहा था कि मैं तो कम्युनिस्ट नहीं हूं। क्या राजाशाही का मुकाबला करोगे?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उनमें क्या ताकत है?

श्री मार्नासिह महार : मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। मैं कोई ओछी बात करके नहीं कहना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराजा जयपुर पर लांछन लगाया गया वह भारतवर्ष पर एक लांछन है। चीन का हमला हुआ तो उन्होंने स्वयं ने मोर्चे पर जाकर सिपाहियों से कहा कि मुकाबला करो, डरो मत। पाकिस्तान का हमला यहां पर होता है उस रोज महाराजा जयपुर ने १॥ लाख रुपया डिफेन्स फन्ड में दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : खतम हो गया।

श्री मार्नासिह महार : खतम क्या हुआ? अभी उन्होंने १॥ लाख रुपया दिया है। वे

(श्री मानसिंह महार)

देश के साथ हैं। जिसमें थोडी बहुत भी अक्ल है, जो आदमी अपने आप में यह कहे कि मेरे बुद्धि है वह यह नहीं कह सकता, लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि कुछ ऐसे तबके हैं जो पाकिस्तान को गाली देंगे, चीन को भी गाली देंगे, लेकिन जो आस्तीन के सांप हैं, देश को देख लेना है इन आस्तीन के सांपों को, चाहे राइट हो या लैफ्ट हो, ये सारे जासूस हैं, मैं कहता हूं। कुछ लेफ्टिस्ट्स को पकड कर सरकार ने जेल में डाल दिया, क्या बहाना किया हम तो राइटिस्ट हैं, हम चीन के साथ नहीं है। चीन के साथ नहीं हैं वह समय बतायेगा। चीन का हमला हुआ, राइटिस्ट कहां गये? उनकी जबान के ताला क्यों लगा रहा? इस सदन में उनके लीडर ने वक्तव्य दिया तो ऐसा गोलमाल दिया जो लोगों के समझ में नहीं आया। उन दिनों कहां चले गये थे? आज देश के वफादार और देश की योजनाओं के पुजारी बनना चाहते हैं। पाकिस्तान का हमला हुआ तो योजनाओं के पुजारी हुए, कम्युनिस्ट समाजवाद के पुजारी बनें इससे अधिक विधि की विडम्बना और क्या हो सकती है? मैं आप से पूछता हूं देश में तोड-फोड कर देश को बरबाद करना चाहें, बाहरी शक्तियों को आमन्त्रित करके देश की आजादी को खतरे में डालें वे गद्दार आज सदन में खडे होकर, जो देश के लिये जान देने वाले राजपूतों के शिरोमणि महाराजा मानसिंह हैं, आज कितने राजपूतों ने जाकर देश के लिये बलिदान दिया है और दे रहे है, उनके लीडर के लिये इस तरह बातें आज सदन में कही जाती हैं, जो भी इस तरह की बातें कहता है वह देश का गद्दार है और देश के प्रति उसकी गद्दारी है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजपूत रेजीमेन्ट है या जितनी रेजिमेन्ट्स हैं वे कहेंगी कि महाराजा जयपुर जैसा देश का कोई वफादार दूसरा हो नहीं सकता। जिन राजा-महाराजाओं ने भारत के एकीकरण के लिये अपनी रियासतें दे दीं, उनके सम्बन्ध में दस हजार की छोटी मोटी रकम को लेकर भाषण देते हैं, क्या पडा है तुम्हारी ११ हजार रुपल्ली में। यह तो बात का सवाल है। भारत में आज वह सरकार है जो बात जो कायम रखना चाहती है। इसलिये चल रही है। हम जानते हैं कि जिस दिन भारतवर्ष का दुर्भाग्य होगा इस प्रकार की विचारधारा के लोग शासन में आ जावेंगे इस देश की आजादी कायम नहीं रहेगी और उनको गाइडेन्स बाहर से आवेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं थोडा टाइम लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। मैंने अभी शुरू ही किया है।

मैं कह रहा था कि वे लोग हैं जो आज देश में वफादारी की दुहाई देते हैं। मैं आपसे यह कहता हूं और खासकर मुख्य मन्त्रीजी से, वे आज यहां नहीं किसी कारण से, नहीं तो उनसे प्रार्थना करता कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो देश द्रोही हैं, किसी भी जामे में हों वे देश के जो वफादार और इन्फ्लुएन्शियल आदमी हैं उन लोगों को बदनाम करना चाहते हैं जिससे देश कमजोर बने। इस देश में ऐसे इन्फ्लुएन्शियल आदमी हैं जो कांग्रेस सरकार के विरोध में नहीं जाते हैं तो इनको दुःख होता है, वे समझते हैं यह क्या हो रहा है। वे चाहते हैं महाराजा जयपुर कांग्रेस सरकार की मदद नहीं करें, भारतवर्ष की मदद न करें, वे तो

Page No 80

(श्री मानसिंह महार)

चाहते हैं देश में अन्दरूनी बगावत पैदा हो। वह नहीं हो सकती। राजपूत देश के प्रति बफादार हैं। मैं कम्युनिस्ट मित्र, मा० श्री हांडा से कहना चाहता हूं हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे हमारी बोटी बोटी खत्म हो जाय, यह नहीं कर सकते कि हम दूसरे देश के खातिर गद्दारी करें। इस सरकार ने हमारी जागीरें क्या लीं, हमारी रियासतें क्या लीं, मैं तो कहता हूं कि इस सरकार को तौर-तरीके बदलने पड़ेंगे, नहीं बदले तो मैं आज राजपूत कौम की तरफ से, जिसके महाराजा जयपुर बहुत बड़े नेता हैं, जिस कौम का उनमें पूर्ण विश्वास है, उनकी तरफ से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम भारतवर्ष के लिये जान देने के लिये तैयार हैं ? आज भी सरकार चाहे तो, चाहे हमारे भाई-भतीजे, रिश्तेदार मोर्चों पर लड रहे हों हम हमारी सेवाएं देश के लिए अर्पित करते हैं और इस देश के लिये लडते लडते मरना पसन्द है, बजाय इसके कि कुछ कुत्ते हमें गालियां देते रहें और उनकी गालियां सुनें, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।

(२.०० म० प०)

फिर भी सरकार को यह चेतावनी देता हूं कि ये जो इस प्रकार के तत्व हैं, जो इस देश के अन्दर बगावत फैलाना चाहते हैं, देश को खत्म करना चाहते हैं उनकी ओर ध्यान देना चाहिये। यह नहीं हो सकता कि जो देश के बफादार लोग हैं, जिन्होंने देश के लिये हमेशा बलिदान किया है, जो रेस मार्शल रेस रही है उस रेस के प्रति आज लोग इस प्रकार की गन्दी बातें कहें और ट्रेज़री बेन्चेज सुनती रहें, यह दुर्भाग्य की बात है।

कौन कहता है कि हम पाकिस्तान के मकाबले नहीं लड़े ? जो कोई राजपूत कौम के लिये या महाराजा जयपुर के लिये, जो इस कौम के शिरोमणि हैं, इस प्रकार की बात कहता है....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संविधान में जातीयता का प्रचार या धार्मिक साम्प्रदायिकता का प्रचार, जिससे आपस में विष फैले, करना मना है। आपस में पार्टियों के मतभेद हो सकते हैं। माननीय आमेर से आने वाले सदस्य को हमारी पार्टी की आलोचना करने का अधिकार है जैसा कि हमको है। न तो राजपूत जाति के बारे में मेरी पार्टी के सहयोगी सदस्य ने कोई बात कही है और न हमारी पार्टी की तरफ से कोई बात कही गई है। राजपूत जाति की बहादुरी परम्परा रही है. इस समय भी है और भविष्य में भी रहेगी, यह हम सबने स्वीकार किया है। इस जाति की देशभक्ति के बारे में किसी भी देशवासी को कभी भी शक-शुबहा नहीं है और यही हमारे दल की धारणा इस जाति के बारे में है। जो बात यहां नहीं कही गई उसकी आड लेकर जातीय भावना के उभारने के दृष्टिकोण से कोई भी बात कहने का माननीय सदस्य प्रयत्न न करें।

राजाओं के बारे में हमारी पार्टी का दृष्टिकोण रहा है। महाराजा जयपुर के भाषण के बारे में जो कुछ कहा गया आप उसके बारे में कोई सफाई दें, लेकिन इसको जातीय प्रश्न बनाने का प्रयत्न न किया जाय। चेयर से भी यही निवेदन करूंगा कि वे भी इस तक ही सीमित करवाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि राजस्थान विनियोग विधेयक में जो सब्जेक्ट हैं, उन्हीं तक अपने आपको सम्बन्धित रक्खें और उसी से सम्बन्धित वादविवाद चले तो ज्यादा उत्तम होगा।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जातीयता उभारना नहीं चाहता और न आक्षेप मेरी पार्टी पर ही है। महाराजा जयपुर स्वतन्त्र पार्टी के मेम्बर भी नहीं हैं। महाराजा जयपुर राजपूत सभा के अध्यक्ष हैं, जयपुर राजपूत सभा के अध्यक्ष होने के नाते, इस सदन में उनको अयूब का दोस्त बताया जाता है, मैं फिर कहूंगा ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजपूत सभा के अध्यक्ष होने के नाते उन पर आरोप नहीं लगाया गया। महाराजा जयपुर होने के नाते जो कुछ उन्होंने स्टेटमेन्ट दिया था उसकी आलोचना अखबारों में हुई। मुख्य मन्त्री की ओर से भी उस वक्तव्य की आलोचना हुई। सारे राजस्थान में इसकी आलोचना हुई। इसके बारे में पालियामेन्ट में भी क्वेश्चन्स उठे हैं। वहां भी लोगों ने इस वक्तव्य को दुर्भाग्यपूर्ण माना है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का स्टेटमेन्ट दिया जाय जब कि काश्मीर का इश्यू उठने वाला था। अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर जहां इम्पीरियलिस्ट्स हमारे पर दबाव डाल रहे थे यहाँ के राजा इस प्रकार के वक्तव्य दें जिसकी आलोचना सभी जगह हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने राजपूत सभा के अध्यक्ष की नहीं, बल्कि महाराजा मानसिंह की आलोचना की है। उस वक्तव्य की बहुत से राजपूत नेताओं ने आलोचना की है। राजस्थान कांग्रेस के प्रधान ने भी आलोचना की, मेरे दल ने भी आलोचना की।

श्री मानसिंह महार : मैं जो बात निवेदन कर रहा था उससे लोगों को तिलमिलाहट होती है। मैं जो कहूंगा उससे लोग घबरायेंगे, वे यह सोचते थे कि जो बात कह दी उसका कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। यहां जो बात कही जाती है वह सही नहीं उसको तोड मरोड कर कहा जाता है ..

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था का सवाल है, जो मांगें रखी गई हैं, उसके ऊपर थर्ड रीडिंग पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं। जिनके सम्बन्ध में मांगी थी उस पर न बोल कर और चीजों को बीच में ले आयें उसको आपने बहुत प्रश्रय दिया। विषयान्तर होकर के एक आदमी की बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। आप अगर इतना प्रश्रय देंगे तो हमारे कान ये बातें सुनने के लिये नहीं हैं। मैं समझता हूं कि आपको कन्ट्रोल करना चाहिये।

श्री मानसिंह महार : अगर आप उपाध्यक्ष महोदय, जो शब्द माननीय सदस्य ने महाराजा जयपुर के बारे में कहे चूंकि वे यहां जवाब देने के लिये उपस्थित नहीं हो सकते अतः उनका नाम लेकर जो कुछ भी कहा गया उन शब्दों को प्रोसीडिंग में से निकाल दिया जाय तो मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। लेकिन जब उनको इतनी छूट देते हैं तो हमको जवाब देना पड़ता है क्योंकि मजबूरी का नाम खुदा होता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको दसियों चान्स् मिलेंगे सफाई देने के । उपाध्यक्ष महोदय, यदि सदन की कार्यवाही चलानी है तो इनको विषयान्तर नहीं होने दिया जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो स्टेटमेन्ट वाकयादा उनके द्वारा दिया गया हम चाहते हैं कि उस पर बहस की जाय । इसको लाइटली नहीं लिया जाय that is a serious statement and we take a serious objection to it. आज संकटपूर्ण स्थिति के अन्दर भारत का कोई नागरिक और जिम्मेदार नागरिक इस प्रकार का स्टेटमेन्ट दे, उसके बारे में अलग से दिन मुकर्रर कर विचार किया जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य विषयान्तर न हों । इस विषय पर आप काफी कह चुके हैं । जो विनियोग विधेयक हमारे सामने है उस पर कुछ कहना हो तो शीघ्र कहें ।

श्री मानसिंह महार : जो बात अधूरी रह गई थी उसको तो पूरा करने दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : जो कुछ बातें बिल से संबन्धित हैं वही रखें ।

श्री मानसिंह महार : जो जागीरदारों के मुआवजे की बात कही उसके बारे में मैं भी कुछ तथ्य सदन के सामने रखना चाहूंगा । जहां तक जागीरदारों के मुआवजे का प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं यह एक ऐसी समस्या है जिस प्रकार से मेरे मित्र साम्यवादी सदस्य ने कहा इसके लिये अलग से कमेटी बिठायी जाय, उसके लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं, एक कमेटी जरूर बिठायी जानी चाहिये । मुआवजे का क्या हाल हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय; आप देखिये जागीरदारों की विधवा स्त्रियां, नाबालिग बच्चे थे उनके मुआवजे को बीच में लोग हड़प कर गये और वे रोते ही रह गये । उपाध्यक्ष महोदय, आज से दस रोज पहले की बात है मैं चौमूं गया था वहां पर एक क्षत्राणी मेरे पास आयी और मेरे सामने रोने लगी और कहने लगी कि मुझे सात सौ या सात हजार के बौंड मिलने वाले थे, एक वकील साहिब थे उन्होंने सौ या एक हजार रुपया देकर के मेरे से दस्तखत करा लिये और कह दिया कि सारे रुपये आ चुके । इस प्रकार के जयपुर जिले के हजारों केसेज हैं । उन बेचारों को भी मुआवजा सही ढंग से नहीं मिला । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि एक कमेटी बिठायी जानी चाहिये और उसके द्वारा इन सारे मामलों की जांच करवायी जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, कागजों की खरीद के बारे में इस सदन में बड़े जोरों से बातें कही गईं; मैं उनसे कहना चाहता हूं सभी जगह यही चलता है केवल स्टेशनरी विभाग को कड़ी निगाह से क्यों देखते हैं ? सारे महकमों को ले लीजिये, सिवाय विधान सभा को छोड़ कर, आप बतलाइये कहां गबन नहीं है ? राजस्थान का एक भी महकमा ऐसा नहीं जहां इस प्रकार के मामले न होते हैं । विधान सभा सचिवालय में यह नहीं होता है, लेकिन अन्य सब विभागों में यह चलता है, आप सबको इस बारे में एक लकड़ी से हांक सकते हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : इससे आपकी बातों का असर खत्म हो जायगा ।

श्री मानसिंह महार : इसलिये मैं निवेदन करूंगा ये तो छोटी-मोटी बातें हैं । इस

(श्री मानसिंह महार)

मांग को जरूर पास करना है, छोटी सी मांग है और सन् ६१ की है जब माननीय सदस्य सदन के सदस्य नहीं थे और वित्त मंत्री महोदय उन दिनों भूख हड़ताल कर रहे थे उस समय की यह मांग है ।

मैं एक बार फिर इस सदन में जो गलत परम्परा डाली है उसका विरोध करूंगा । वह यह कि इस सदन में महाराजा जयपुर जैसे आदमियों पर गैरजिम्मेदाराना ढंग से लांछन लगाये जाते हैं वे, मैं कहता हूं, कि इस सदन के लिये भी अपमानजनक हैं । जो व्यक्ति यहां पर खड़ा होकर जवाब नहीं दे सके उसके लिये ऐसी बातें कही जावें यह शर्म की बात है । और मैं पुरजोर शब्दों में कहूंगा कि महाराजा जयपुर जैसे सुपूत इस भारतवर्ष में पैदा हो जावें तो यह भारतवर्ष एक पाकिस्तान को नहीं चार-चार पाकिस्तान को खा सकता है । लेकिन इस भारतवर्ष में तो कहीं राइट....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे कन्क्लूड तो कर लेने दीजिये साहब । और कहीं लेफ्ट के नाम से पैदा होते हैं । राइट अगर आगे आते हैं तो लेफ्ट को जेल में डाल दिया जावेगा । राइट अगर खुले हैं तो लेफ्ट का सैबोटेज करने का राइट हो गया । मैं यह दुबारा कहना चाहता हूं कि अगर भारतवर्ष को आजाद रखना है आपको और हमको और इस देश को अगर अखंड बनाना है और देश को बाहरी चीन वगैरा के हमले से बचाना हो तो आपको इन राइट वालों को भी जोधपुर जैसी जेलों में डालना चाहिये ताकि उनका वहीं सफाया हो जावे । मैं ये शब्द कह कर समाप्त करता हूं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा । मैं इस समय यह कर्तव्य समझता हूं कि कि दो शब्द निवेदन कर दूं । मैं यहां पर नहीं था, पर मैंने सुना कि एक-दो माननीय सदस्यों ने महाराजा जयपुर के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें कहीं कि जिनके बारे में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा । मैं उनको कन्ट्राडिक्ट करना चा .ूंगा ।

एक तरफ तो यह कि देश के अन्दर भावनात्मक एकता रखना बड़ा आवश्यक है और खास करके इस सदन के मेम्बरों को कुछ हद तक अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिये । मैं महाराजा जयपुर का वकील नहीं हूं । लेकिन एक माननीय नागरिक जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में तरह-तरह की बातें कहना इस बारे में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि बहतर हो कि राज्य सभा में जो आपके साथी हैं उनको कहें कि वे ये बाते वहां कहें । वहां पर यह बातें कही जावें और यह प्रश्न उठाया जावे तो उनको उत्तर देने का भी अवसर मिल सकता है ।

अभी कुछ सालों पहले तक ये दोनों देश, जो आज पड़ोसी देश हैं, एक ही देश थे । अब विभाजन से पूर्व की किसी की कोई जान-पहचान हो तो उस सन्दर्भ में अगर कोई बात कह दी हो तो उसको यहां पर लेकर गलत-फहमी पैदा करना, मेरे ख्याल में उचित बात नहीं है । वैसे मैं नहीं कहता कि किसी को कुछ कहने की आजादी नहीं हो । यहां आजादी ऐसी है कि जो कुछ भी कहना चाहें वह यहां कह सकता है । पर आज के सन्दर्भ में इस तरह की अनर्गल बातें कहना मेरे ख्याल

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

में इस सदन की परम्परा के लिये शोभनीय नहीं है। और माननीय सदस्य, जो मेरे दल के हैं वे भी अगर कुछ अनर्गल बातें कहते हैं तो वे भी मेरे ख्याल में आज की समस्या को लेकर अच्छी परम्परा कायम करने को नहीं जा रहे हैं। मैं महाराजा मानसिंह जी की दोस्ती के सम्बन्ध में तो नहीं कह सकता, पर इतना तो जरूर कहूंगा कि महाराजा मानसिंहजी एक पेट्रियोटिक नागरिक हैं। उन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर की हैं देश को। वे तन, मन, धन से देश की सेवा करने को तैयार हैं। वे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। पर वे शायद आज कांग्रेस में नहीं हैं। पर कांग्रेस की सरकार के द्वारा उनको ऊंचा पद प्राप्त है और वे आज भी एक सम्माननीय नागरिक के नाते देश के अन्दर रहने का हक रखते हैं। मेरे ख्याल में उनकी अगर किसी व्यक्ति विशेष, जो पाकिस्तान में बहुत बड़े ओहदेदार हैं, उनकी दोस्ती है तो वे पाकस्तानी इसी से नहीं हो गये और देशद्रोही नहीं हो गये। अगर वे देशद्रोही हैं तो चाहिये कि खुले आम उन पर मुकदमा चलाया जावे और कानूनी कार्यवाही की जावे। जो कुछ भी करना हो, कर सकते हैं। पर इस तरह की अनर्गल बातें सदन में सीजफायर के दूसरे ही दिन कहना अशोभनीय और भद्दी बात है। इतना ही बाई वे ऑफ कन्ट्राडिक्शन में निवेदन करूंगा।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विनियोग विधेयक पेश किया है सदन के सामने, यह समझकर कि यह कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिस पर बहस हो और हुआ भी ऐसा ही। इस निवियोग विधयक के बारे में तो बातें यहां नहीं हुई, पर दूसरी बातें ऐसे मसलों पर होने लग गई कि जो इससे सम्बन्धित नहीं थीं, और जो बातें मैं समझता हूं कि यहां नहीं होनी चाहिये थीं। यह इस सदन के लिये भी कोई शान की बात नहीं हुई। लेकिन हर सदस्य यहां कहने के लिये स्वतन्त्र है। जो जी में आता है वह कह लेता है। पर यह उसके सोचने की बात जरूर है कि कौनसी बात कहनी चाहिये और कौनसी बात नहीं कहनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग के तीसरे रीडिंग के वक्त बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें उठाई। मैं निवेदन कर दूं कि यह कोई आरजी बजट नहीं है। यह कोई सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड भी नहीं है। यह तो एक्सेस डिमाण्ड है। यह ठीक है कि ये ६१-६२ की हैं। इसमें चूंकि किसी आइटम में कुछ पैसा ज्यादा खर्च हो गया उसको रेगुलराइज करना है। आइटम तो आपकी पास की हुई है। अब उसको यह सदन जो मालिक है जब तक पास न करदे तब तक इर्रेगुलर खर्चा माना जावेगा। इसलिये यह चीज आपके सामने आई।

यह ठीक है कि इसमें देर हुई। मैं नहीं कह सकता कि क्यों देर हुई? पर जहां तक सरकार············

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा?

श्री बालकृष्ण कौल : मुख्य बात तो यह है कि देर क्यों हुई? कुछ आदत हो गई है कि पूरा सेन्टेन्स बोलने ही नहीं देना चाहते।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सेन्टेन्स क्या पूरा नहीं हुआ, आप कह तो चुके कि मैं नहीं कह सकता कि क्यों देर हुई।

श्री बालकृष्ण कौल : आप शान्ति से पूरा सुनें । इस मांग को रखने के लिये कुछ प्रोसीजर हैं । पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी जब तक इसको पास करके रिपोर्ट न दे और हमारे पास ए. जी. की रिपोर्ट न आ जावे, तब तक हम इसको नहीं रख सकते । अप्रेल के महीने में यह रिपोर्ट हमें मिली उस वक्त बजट अधिवेशन चल रहा था उस वक्त हम इसको नहीं रख सकते थे, क्योंकि सरकार ने रिपोर्ट देखी नहीं थी । अब उसके बाद अधिवेशन होने का यह पहला मौका है और इस बार हमने इसे आपके सामने रख दिया । अब पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने क्यों नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, वह इस सदन की है, मेरी नहीं है । इसलिये जो देरी हुई यह देरी इस सदन की ही कही जा सकती है न कि गवर्नमेन्ट की कही जा सकती है . .

श्री भैरोंसिंह : एक बात समझ नहीं पाये । आपने कहा कि रिपोर्ट अप्रेल में आ गई थी और सेशन चल रहा था, लेकिन हम सदन में पेश नहीं कर पाये तो इसके लिए कोई कारण तो बतायें ।

श्री बालकृष्ण कौल : कारण यह है कि बजट सेशन में हम बिजी थे और हम बगैर देखे नहीं रख सकते थे ।

श्री भैरोंसिंह : इस रिपोर्ट के आने के बाद में भी देखने की जरूरत रहती है क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : गवनमेन्ट को फार्मली देखना पड़ता है और फिर बाद में रखना होता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उसका क्या देखना बाकी रह जाता है ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह मैटर ऑफ ओपीनियन है कि देखना चाहिए या नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट की जिम्मेदारी है ।

श्री बालकृष्ण कौल : यों तो सारी चीजों की जिम्मेदारी गवर्नमेन्ट की है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लरीफिकेशन, सर . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम यह समझना चाहते हैं कि १९६१-६२ का बजट बनाया, जो खर्चा हुआ १९६१-६२ में और ६२-६३ में फाइनल अकाउन्ट होकर ६३-६४ का साल अंत हुआ और एक्चुअल आपके सामने आ जाता है; तो जो एक्सेस हुआ नेक्स्ट ईयर १९६३-६४ में 'एट दी लेटेस्ट' उसमें जो भी एक्सेस था, एक्चुअल आने के बाद में वह आ जाना चाहिए था । उसमें दो-तीन साल लगते हैं, यह क्यों ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिये कि कोई चीज पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के उपरान्त सरकार नहीं रख सकती और यह पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के अधिकार में है इसलिये ऐसा हुआ ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : ओन ए पोइट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर, यह इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है कि इसका क्लेरीफकेशन होना जरूरी है । यह कोई कानून, कोई प्रोसीजर या एक्सेप्टेड बात बतायें । पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी जो कि इस सदन की कमेटी है वह काम करे १९६१-६२ का करे, १९६२-६३ का करे, कोई चीज इम्पोर्टेन्ट हो उसको ले और अनइम्पोर्टेन्ट हो उसको नहीं लें । पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की बात

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
कह कर सदन के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है ।

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, एक्सेस के बाद में ए० जी० अपनी रिपोर्ट देता है उस वर्ष की उस रिपोर्ट को पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी देखती है और जब तक पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी उस एक्सेस को स्वीकार नहीं करती है अर्थात् उसको रेगुलराइज करने के लिए रिपोर्ट नहीं करती है तब तक गवर्नमेंट उसको नहीं रख सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट आ गई, फिर पेश करने में क्यों देरी हुई ?

श्री बालकृष्ण कौल : अगर अप्रेल में आये और वह भी अप्रेल के आखिर में आये और उस समय हमारा अधिवेशन चल रहा हो, वह भी बजट जैसा, उसमें हम इतनी जल्दी नहीं रख सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न जो उठाया जागीरदारों के कुछ रुपयों के ऊपर उसमें एक्सेस का जहां तक सवाल है उसको देखें तो वह सिर्फ ११,००० है राजाओं का इसलिए वह भी चीज दी जा चुकी है । वह तो जितना पेमेण्ट हो चुका है, उसे रेगुलराइज करने के लिये यह चीज सामने है । इसलिए यह बहस करना कि यह नहीं दिया जाये या कायदों को तोड़ दिया जाये, वह तो पेमेण्ट हो चुका है और जब तक सदन उसको बाकायदा रेगुलराइज करने की स्वीकृति नहीं दे, वह नहीं हो सकता । इतनी सी टेक्नीकल चीज है जिसके कारण यह मांग आपके सामने रखी गई है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है इस विधेयक को पारित किया जाये ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हमने पूछा है कि ९ लाख रुपयों के लिए सदन की कमेटी ने सिफारिश की है कि उसको वसूल किया जाये या नहीं, तो इसके बारे में सरकार की क्या ओपीनियन है कि वसूल करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस सदन की कमेटी ने रिकमण्डेशन की है उसके बारे में सदन का क्या स्टेण्ड है ? पिटीशन कमेटी ने रिकमण्ड किया है कि ९ लाख रुपये वापिस वसूल करने चाहिए जागीरदारों से ।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें इतना ही निवेदन करना है कि डिटेल की चीजें थर्ड रीडिंग में नहीं होती हैं । यह डिटेल की बात है । जिस समय मांग के ऊपर बहस हो रही थी उस समय आप रखते तो जवाब दिया जा सकता था ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उस समय भी कहा था ।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहा है कि थर्ड रीडिंग में डिटेल की बात नहीं होती है; यह रूल्स के अन्दर इनकार्पोरेट कर लिया जाये, ऐसी बढ़िया बात कभी कभी ही यह निकालते हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : यह रूल्स में ऑलरेडी है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पारित किया जाये ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

(२.२५ म. प.)

नेक्स्ट, मांग संख्या ७२।

अधिक अनुदानों की मांगें १९६२-६३ पर मतदान

अधिक अनुदान की मांग संख्या ७२—सामान्य प्रशासन

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ७२, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ५ लाख ७३२ रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ७२, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ५ लाख ७३२ रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७२ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ७३-जन स्वास्थ्य

श्री **दामोदरलाल व्यास** (चिकित्सा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ७३, मुख्य शीर्षक ३०—जन स्वास्थ्य के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष में किये गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १७ लाख ३२,८९१ रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन, आप अपना कटौती प्रस्ताव रखना चाहेंगे ?

श्री रामकिशन (बैर) : [इस मांग पर श्री रामकिशन ने अपना यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया : मांग संख्या ७३, मुख्य शीर्षक ३०—जन स्वास्थ्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में फैले हुए भ्रष्टाचार पर बहस करने के लिए)]। मलेरिया के बारे में, मुझे भरतपुर के बारे में कुछ कहना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में एक मेरा कटौती प्रस्ताव है। जहां तक मैंने प्रस्ताव भेजा है और उसकी जो मंशा है वह दो तरह से है। एक इस विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार के संबंध में और दूसरे भ्रष्टाचार से पहले इस विभाग ने जो इसमें सफलता प्राप्त की है, उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं, शायद हिन्दुस्तान की सरकार के टाइम में और आजाद हिन्दुस्तान में यही एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें सरकार को कुछ सफलता मिली है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि १७ साल में सरकारी बेंचेज कहीं भी प्रशंसा प्राप्त कर सकती हैं तो मलेरिया उन्मूलन में ७०-८० प्रतिशत सफलता मिलने के कारण प्रशंसा प्राप्त कर सकती है। मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि सारे राजस्थान

(श्री रामकिशन)

और सारे देश में जिसके कारण से हजारों लोग अकाल मृत्यु के गाल में चल जाते थे या हर साल फसल के टाइम पर काश्तकार बीमार होते थे, उसमें सरकार ने काफी सफलता प्राप्त की है । मैं इस रूप में कम से कम इसका समर्थन करता हूँ और पुनः सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के ही वास्तविक कार्यक्रमों को सरकार अपने हाथ में ले, क्योंकि जो काम कल्याणकारी होते हैं उनको कभी नहीं भूल सकते । उपाध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम के तहत हमें विदेशों से बहुत बड़ी सहायता मिली है । कई तरह की मशीनरी, कई तरह की दवाइयां और कई तरह की चीजों का यहां बहुत आदान-प्रदान हुआ है, लेकिन मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि शायद उन्होंने तो यह नया विभाग ही सभाला है, लेकिन आज तक इस विभाग को पता नहीं कि इसमें कितनी जीपें आई, कितने पार्ट्स आये और कितने टायर आये और वह कहां चल जाते हैं । इनका उपयोग होता है या नहीं, इसका भी पता नहीं । मैं किसी बुराई के रूप में यह नहीं कहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस विभाग में सरकार के जो छोटे कर्मचारी हैं, जिनको तरह तरह की पोस्टों पर रखा जाता है, उनके बारे में मैं कहूंगा कि वह कहीं भी स्थायित्व नहीं हैं । उन लोगों को जब चाहें विभाग के लोग हटा सकते हैं, रख सकते हैं और रखने और हटाने के क्रम के पीछे कोई सिद्धान्त नहीं है, कोई रोजगार देने का प्रश्न नहीं है या योग्यता और अयोग्यता का मापदण्ड नहीं है । उसके पीछे केवल एक ही मापदण्ड है कि जो वर्कर्स गांव में काम करने वाले हैं, उनको हटा कर उनकी जगह सौ, दो सौ रुपये ले कर दूसरे को नियुक्त कर दें । ५ महीने के बाद उसको हटा दें और दूसरे को नियुक्त कर दें । यह बात विभाग के उच्चाधिकारियों की जानकारी में है । यह दूसरी बात है कि मंत्रीजी इसे स्वीकार नहीं करेंगे । यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सरकार की खामियों को नोटिस में लाया जाता है, तो भी सरकार इसे स्वीकार नहीं करती है और इसीलिए सरकार पतन के अधिक नजदीक पहुंचती जाती है । मंत्रीजी ने अपने इस विभाग को कुछ समय पहले ही संभाला है और उनकी इस विभाग के लोगों से बहुत अधिक जान-पहिचान भी नहीं हुई है । जब लोग अधिक सम्पर्क में आते हैं तो उनके साथ ममता उत्पन्न हो जाती है और उस ममता के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही करने में बाधा पैदा हो सकती है । ममता और मोह होना मनुष्य की प्रकृति है । आप अभी नए नए आए हैं और इसी आशा से कि आप इस संबंध में कुछ कार्यवाही करेंगे, मैं अपनी बात को यहां रख रहा हूं । आप इसकी जानकारी करिए कि पिछले पांच सालों में कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया और कितनों को हटा दिया गया और उनको हटाने का क्या कारण है ? मैं आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर बतलाता हूं कि भरतपुर के अन्दर ऐसे कितने ही मामले हुए हैं । यह कहा जा सकता है कि जब तक कोई खास मामला नहीं बताया जाए कार्यवाही करना संभव नहीं होगा, मैं आपको भरतपुर के बारे में विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं । आप इस मामले को गम्भीरता से लेंगे और

(श्री रामकिशन)

देखेंगे कि इस तरह के जो छोटे छोटे कार्य-कर्ता रखे जाते हैं और बदले जाते हैं तो क्यों बदले जाते हैं ?

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो विभाग में सामान आया है, उसका ऑडिट हुआ है या नहीं ? उसके स्टोर को देखें तो आपको जानकारी होगी कि उस विभाग की जीपें जो आई हैं तो जीपें तो नई खड़ी हुई हैं और उनके टायर घिस गए हैं । एंजिन बताता है कि जीप तीन हजार मील चली है और टायर बिल्कुल घिस गए हैं । इसमें कोई एन्टीकरप्शन की रिपोर्ट का प्रश्न नहीं है, किसी प्रकार की इन्क्वायरी की आवश्यकता नहीं है । मंत्रीजी कह सकते हैं कि लोकतन्त्र के अन्दर कायदे-कानून के अनुसार कार्य करना पड़ता है । यह ठीक है कि कायदे–कानून के अनुसार कार्य करना चाहिय, लेकिन सामान्य विवेक पर पाबन्दी किसी भी लोकतन्त्रीय सरकार के अन्दर नहीं लगाई जाती । आप उनके स्टोर को देख सकते हैं । आपको मालूम हो जाएगा कि वहां कितने कल–पुर्जे रखे हुए हैं । इस विभाग को बहुत सी चीजें विदेशी सरकारों से मदद में मिलती हैं । विदेशों से प्राप्त होने वाला सामान स्टोर में जाने से पहले ही मोटर पार्ट्स की दूकानों में पहुंच जाता है । शायद मंत्रीजी यह कह कर टाल दें कि उनके पास किसी तरह की शिकायत नहीं पहुंची । मैं आपको यहां भरतपुर के संबंध में निवेदन कर रहा हूं, आप उनके संबंध में जानकारी करें । आप कार्यवाही करें या नहीं करें मैं इस पर ज्यादा आग्रह नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी यह धारणा है कि संगीन से संगीन मामले सदन के सामने रखते हैं उन पर भी कार्यवाही नहीं होती है । लेकिन चूंकि मंत्रीजी ने अभी नया नया ही विभाग संभाला है इसलिए उनसे इस संबंध में कार्य-वाही होने की आशा से मैंने ये बातें यहां रखी हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को बराबर जारी रखें । यह कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है । इसका मैं पूर्ण समर्थक हूं और मैंने पहले भी निवेदन किया था और अब फिर दुबारा दोहरा देता हूं, देश में इन सत्तरह साल में अगर जनता को किसी से राहत मिली है तो इसी कार्य से मिली है । लेकिन अगर इस विभाग में भ्रष्टाचार रहता है जिसकी चर्चा भरतपुर में रहती है, जयपुर में रहती है, डाइरेक्टर के यहां रहती है तो इससे नुकसान हो सकता है । आप इस विभाग की ऑडिट रिपोर्ट मंगावें, आप इस विभाग के स्टोर की जांच करावें, आप देखें कि फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं । इन चीजों की जांच करें कि कितनी जीपें वहां पड़ी हुई हैं, उनमें कितनी नई हैं और उनके टायर कैसे घिस गए हैं ? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको विभाग का नियंत्रण ज्यादा अच्छी तरह से करने का मौका मिलेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जवाब दें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : दो–तीन मिनट बोलने का मौका दें ।

श्री उपाध्यक्ष : जब विचारार्थ लिया जाए तब बोल लें ।

Page No 90

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह निवेदन कर रहा हूं . . . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मांग सं० ७२ ली गई है ?

श्री उपाध्यक्ष : ७३ है । जिस वक्त विचारार्थ लें तब थोड़ा बहुत विचार कह सकते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जन-स्वास्थ्य से संबंधित बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : उस वक्त ले लेंगे । अलग-अलग लेने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप एक एक मिनट ही दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : I hope, you will not take more time.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : No, no. I shall not take more than two minutes

श्री उपाध्यक्ष : Then that's all right.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय. .

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद ज्वालाप्रसादजी बोलेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा । मैं दो बातों की ओर स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इससे पहले कि यह मांग पास की जाय । सबसे पहले मैं आपका ध्यान बीकानेर के अन्दर फैली हुई गन्दगी की ओर आकर्षित करूंगा । बीकानेर के अन्दर जो गन्दा नाला है वह सारी बीकानेर की जनता के लिए बहुत बड़ा मीनेस हो गया है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उसका इस मलेरिया से क्या संबन्ध है ? मलेरिया का तो एक ही आइटम है ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : गन्दे नाले में मच्छर नहीं होते ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गन्दे नाले में मच्छर नहीं तो क्या भैंस पैदा होती है ? उस नाले से मलेरिया के मच्छर नहीं तो क्या गाय–भैंसें उत्पन्न होती हैं ? जब तक वह नाला खत्म नहीं किया जाता वहां बडी एपेडेमिक डिजीज पैदा हो सकती हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : गन्दे नाले में मलेरिया के मच्छर पैदा नहीं होते, यह आपको पता नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह नया एक्सपीरियन्स है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मच्छर के काटने से नहीं मच्छरी के काटने से मलेरिया होता है यह शायद आपको विदित नहीं है ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि इस संबंध में मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान मलेरिया विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं । गोमेक्सीन के बेग्स के बारे में जो रेफरेंस ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है, डी. डी. टी. के बेग का रेफरेंस सन् ६३ और ६४ की ऑडिट रिपोर्ट्स में किया गया है और उसके लिए बड़ा ड्रास्टिक नोट लिया गया है कि बहुत से बेग्स बरसात के जरिए वाश-आउट बता दिए गए हैं । वहां के जो मलेरिया इन्सपेक्टर हैं उनके खिलाफ

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बाकायदा इस संबंध में इन्क्वायरी हुई, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कॉग्नीजेंस नहीं लिया गया है। न उनको सस्पेंड किया गया है और न ही उनके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन लिया गया है। इस चीज के संबंध में मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूं कि इस प्रकार से जो गेमेक्सीन और डी.डी.टी. मलेरिया के मच्छर मारने के काम में आता है उसका दुरुपयोग हो और उसका बाकायदा महालेखापाल नोट लें और नोट लेने के बाद वह ऑडिट रिपोर्ट में मंजूर भी किया जाय तो भी उस संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। यही मुझे अर्ज करना है.........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं उपाध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान १,३४,८७६ रु० की जल प्रदाय योजना जो अजमेर के लिए है..........

श्री उपाध्यक्ष : यह केवल मलेरिया के विषय में है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह ग्राण्ट तो आई ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में आप जब इसे विचारार्थ लें तब बात करें। इस समय तो मलेरिया की बात होगी। इस समय केवल मलेरिया का सवाल है।

(श्री ज्वालाप्रसाद बैठ गए)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय,.........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ऑन ए पोइण्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर, यह ७३वीं डिमाण्ड जो चल रही है तो क्या ७२ और ७३ साथ चल रही हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ७२ ले ली गई है। यह ७३ पास हो रही है। Yes please.

श्री दामोदरलाल व्यास (स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस डिमाण्ड के ऊपर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें सदन के समक्ष कहीं मलेरिया विभाग के लिए। मैं आपके जरिए उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों से अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे लिए ही क्या किसी के लिये भी शायद यह मुमकिन नहीं कि कोई भी ऐसे करप्शन के या भ्रष्टाचार के आरोप मोहमिल तरीके से लगाये जावें तो उनका जवाब इसी समय सदन में दिया जा सके। उन्होंने कुछ ऐसी गम्भीर बातें कही हैं इस डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में, खास तौर पर इस डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट होता है, उसके लिए कहा गया है कि इस डिपार्टमेंट के अन्दर जो सर्विस में लिए जाते हैं, उनको जब चाहा तब नियुक्त कर दिया जाता है और जब चाहा तब उनकी सर्विस टर्मिनेट कर दी जाती है और उसमें पैसे का लेन–देन होता है। मुझे यह जान कर बहुत दुख हुआ। माननीय सदस्य मेरे से पहले से परिचित हैं और यह विभाग भी मेरे पास तीन महीने से है। उसके बाद वे कई बार मुझ से मिल चुके हैं लेकिन उन्होंने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। आज उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं यही कह सकता हूं इस मामले में पूरी छानबीन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

की जाएगी। मुझे जरा सा भी पता लगा कि विभाग में लोगों को काम पर लगाने के लिए पैसे का लेन-देन होता है या बिना किसी कारण के लोगों को हटा दिया जाता है और फिर पैसे के लेन-देन से उन्हें नियुक्त कर दिया जाता है, तो मैं आपको यह अर्ज कर सकता हूं कि इसके लिए सख्त से सख्त-कार्यवाही इसे रोकने के लिये की जायेगी। परन्तु यह भी मैं चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्य की जानकारी में इस प्रकार के मामलात आये हों वे कम से कम मुझे उसकी जानकारी दें और मेरी मदद करें इस बात में, ताकि उस बुराई को मैं दूर कर सकूं और उनको इस केस के लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा।

इसी तरह से उन्होंने स्टोर्स जो आता है, सामान जो आता है उसका फिजीकल वेरीफिकेशन नहीं हुआ है, नये टायर की जगह पुराने टायर बदल दिये जाते हैं, इनके बारे में कहा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वेग एलिगेशन्स पर छान-बीन करना या जांच करना मुमकिन नहीं है सिवाय इस बात के लिए जानकारी करूं और इस तरह की पाबन्दी करूं कि फिजीकल वेरिफिकेशन भी हो और नये टायर्स रिप्लेस किये जाते हैं या नहीं किये जाते है और हर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर जो विहिकल रखती है उसकी जानकारी करने की कोशिश की जाय। परन्तु मैं चाहता हूं कि अगर किसी माननीय सदस्य की जानकारी में इस प्रकार के केसेज हों तो मुझे जानकारी दें, ताकि एक्शन लेने में सुविधा हो।

उन्होंने एक बात यह भी कही, इस बात की तसल्ली देते हुए, महसूस करते हुए कि इस डिपार्टमेंट ने राजस्थान के अन्दर बहुत अच्छा काम किया है, जिससे कि मलेरिया की बीमारी बहुत कम हो गई है और काफी इरेडिकेशन हुआ है। कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां मलेरिया ज्यादा है। यह बात ठीक है। कहीं कुछ मलेरिया के अंश पाये जाते हैं तो प्रोग्राम को ज्यादा स्ट्रेन्थन करके ज्यादा काम करते हैं।

अब रहा सवाल रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं डी. डी. टी. और गैमेक्सिन के बैग्स के बारे में, तो इसके लिए मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि इसके लिए कुछ ऑफिसर जो जिम्मेदार थे इस महकमे के, उनको चार्जशीट दी जा रही है और उनके खिलाफ कोई महकमाना कार्यवाही की जा रही है। यह जो उनका ख्याल है कि कोई कार्यवाही नहीं की गई है यह गलत है। इन्क्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट का इन्तजार है। उसके आने पर कार्यवाही की जायगी।

बीकानेर के नाले के लिए वे महसूस करते हैं कि मच्छर पैदा नहीं होते हैं। उसका मलेरिया से संबंध नहीं है क्योंकि वहां मलेरिया के मच्छर पैदा नहीं होते हैं, दूसरे मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए वह डी. डी. टी. के स्प्रेइंग के प्रोग्राम में नहीं हैं और ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाला जाता है, फिर भी उनको हिदायत कर दी जायगी कि नाले पर खास तौर से एन्टी–मलेरिया के मेजर्स लेने की आवश्यकता हो तो वे लिये जायं।

जहां तक डिपार्टमेंट के जनरल वर्किंग का सवाल है। माननीय सदस्य खुद महसूस

(श्री दामोदरलाल व्यास)

करेंगे कि इस डिपार्टमेंट ने मलेरिया इरेडिकेशन में पूरी कामयाबी हासिल की है, और संक्षिप्त रूप में मैं बता सकता हूं तो एक ही फिगर में अर्ज करूंगा कि जिससे मालूम पड़े कि मलेरिया प्रोग्राम के अन्दर कितनी कामयाबी हासिल की गई है। सन् ६४ के अन्दर कुल १५,८३,४८० बीमार जो बुखार से हुए तो उनका ब्लड टैस्ट करने के लिये लिया गया तो पोजिटिव ९९८ का आया। सिर्फ इसी बात से अन्दाजा लगा सकते हैं कि मलेरिया का इरेडिकेशन कितना हो गया कि १५ लाख में से सिर्फ ९०० केसेज मलेरिया के थे। टैस्ट नेगेटिव आया है पोजिटिव नहीं आया है। सब इस बात को महसूस करेंगे कि मलेरिया जो पहले इतना था वह बिल्कुल नहीं है। कहीं पर कुछ हो तो हरएक गांव और शहर में हमारे सर्वेलियन वर्कर्स और इन्सपेक्टर्स जाते हैं और बुखार वालों का ब्लड लेकर उनकी स्लाइड्स भेजते हैं और उनका टैस्ट किया जाता है और जानकारी की जाती है। जहां कहीं इन्सीडेन्स मलेरिया के ज्यादा होते हैं तो हमारे प्रोग्राम को ज्यादा इण्टेन्सीफाई करते हैं।

जहां तक और बातें माननीय सदस्य ने बतलाई उसके लिए मैं अर्ज कर दूं कि वे इस बात की मुझे सूचनाएं देंगे तो मैं उनका आभारी हूंगा और इससे ज्यादा मुझे उनका सहयोग मिलेगा। वेग एलिगेशन पर मेरे लिए कोई एक्शन लेना मुमकिन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७३, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य के संबंध में संचनित निधि में से ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष में किये गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १७,३१,८९१) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७३ स्वीकार की गई।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ७३ पर मैं बोलना चाहता था, लेकिन आपने कोई मौका नहीं दिया। आपने जवाब दे दिया और मांग मन्जूर हो गई। मन्जूर होने के बाद मैं बैठा रहूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करूंगा कि विचारार्थ लिया जाय तो सारे तथ्यों पर बोला जा सकता है। इस वक्त केवल मलेरिया पर कटौती-प्रस्ताव था इसलिए वह संकेत किया गया था और इस पर अगर आपको बोलना है तो जब विचारार्थ लिया जाय बिल तो जरूर अवसर दिया जावेगा।

अधिक अनुदान की मांग संख्या ७४ मुख्य शीर्षक ६५--निवृत्ति वेतन तथा अन्य निवृत्ति लाभ

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक ६५–निवृत्ति वेतन तथा अन्य निवृत्ति लाभ के संबंध में संचनित निधि में से ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,३४,८७९ रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक ६५–निवृत्ति वेतन तथा अन्य निवृत्ति लाभ के संबंध

Page No 94

(श्री उपाध्यक्ष)
में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,३४,८७६ रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७४ स्वीकार की गई ।

अधिक अनुदान की मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक ७२—निवृत्ति वेतनों का समराशिकरण

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक ७२—निवृत्ति वेतनों का समराशिकरण के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६२,४३४ रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक ७२—निवृत्ति वेतनों का समराशिकरण के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ६२,४३४ रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक ७२ स्वीकार की गई ।

अधिक अनुदान मांग संख्या ७५—भूमिधारकों आदि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षति-पूर्ति की देय

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक ९२—भूमिधारकों आदि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षति-पूर्ति देय के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,७०,८८३ रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक ९२—भूमिधारकों आदि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,७०,८८३ रु० तक राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७५ स्वीकार की गई ।

अधिक अनुदान की मांग संख्या ७६—निवृत्ति वेतनों की समराशिकृत मूल्य का भुगतान

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ७६, मुख्य शीर्षक १२०—निवृत्ति वेतनों के समराशिकृत मूल्य के भुगतान के संबंध में संघनित निधि में से ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६२,४३४ रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७६, मुख्य शीर्षक १२०, निवृत्ति वेतनों के समराशिकृत मूल्य के भुगतान के संबंध में संचनित निधि में से ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६२,४३४ रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७६ स्वीकार की गई ।
(२.५१ म० प०)

राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६५
(पुरःस्थापन, विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६५ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६५ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई इसके ऊपर इस मांग के मूलरूप से विरोध के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन एक विषय ऐसा आया है जिसको फाइनेन्स मिनिस्टर भी जानते हैं। अजमेर की जो जल-प्रदाय योजना है वह इस तरह लंबी होती चली जा रही है जिसका कोई ठिकाना नहीं है । १,३४,८८९ रु० की एक्सेस डिमान्ड हमसे पास करवाई गई उसका मकसद इतना ही है कि उस वक्त केवल पाइप खरीदे गये और २ साल से वे बराबर सडक के किनारे पडे हैं । योजना का मतलब यह है कि जब तैयार की जाय उस समय से मालूम होना चाहिये कि कब तक इसको पूरा करने का टार्गेट है, कब तक खत्म हो जायगा और किस मौके पर किस चीज की जरूरत होगी । लेकिन यह सरकार ऐसी है कि घोडे से पहले तांगा और तांगे के पीछे घोडा रखती है और चाबुक मिल जाय तो घोडा चलने लग जाता है । केवल चाबुक के ऊपर यह सरकार चलना चाहती है । आप लोगों को सरकार के निकम्मेपन के कारण उसका प्रदर्शन हो रहा है । अजमेर जल प्रदाय योजना को चार साल से ज्यादा हो गये, हर साल पानी के लिये नसीराबाद और अजमेर के लोग तरसते हैं वे यह आशा लगाये हुए बैठे हैं कि पानी आने वाला है। वहां पानी के लिये आपस में इतने झगडे होते हैं कि पिछले साल खून तक हो गया, मौतें तक हो गई । वहां पर पानी की इस तरह की किल्लत है । चार, साढे चार साल पहले १ लाख ३९ हजार रुपयों की एक्सेस डिमान्ड इस बात के लिये है कि उस समय पाइप खरीदे गये । यह कोई योजनाबद्ध कार्य नहीं हुआ । चार साल तक नल पडे रहे और गडे नहीं । कुल मिलाकर ३४ लाख के नल खरीदे गये और वे ३४ लाख के नल यों ही पडे रहे । जो इन्वेस्टमेन्ट हुआ वह योजनाबद्ध नहीं हुआ । पैसा वैसे ही नहीं जाना चाहिये था, जब नल आये तो सबने

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

का काम शुरू करना था, खोदने वाले खोदने का काम करेंगे और बिजली वाले बिजली लगाने का काम शुरू कर देंगे, कूआ खोदने वाले भी काम शुरू कर देंगे, इस तरह की आशा थी। इस इलेक्शन से पहले यह कहा गया था कि नल लगने की योजना जल्दी ही पूरी होने वाली है। जब सम्माननीय मिनिस्टर वहां पहुंचे तब बहुत से लोगों को लेकर गये और कहा कि जल्दी ही काम हो जायगा। कितनी बार इस सदन के सम्मुख सम्माननीय मंत्रीजी, आपको पायलोट कहा है सदन का। आपने भी कहा था कि यह काम जल्दी ही कर दिया जायगा, लेकिन जल्दी का मतलब क्या है? यहां के मंत्री उधर से जब निकलते हैं उद्घाटन करने के लिये तो कहते हैं कि जल्दी ही आ जायगा। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की तो कॉन्स्टि-ट्युएन्सी है वे हर तरह से बात जानते हैं सरकार की पंचवर्षीय योजना का इस तरह का नमूना और कहीं नहीं देखा। राजस्थान सरकार पानी की योजना के लिये यह नहीं कह सकती कि हम फलां महीने में, फलां तारीख को इसे पूरा करके पानी दे देंगे। द्रोपदी के चीर की तरह यह बढ़ती ही जा रही है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। न फाइनेन्स मिनिस्टर जिम्मेदारी लेते हैं। यह पैसा लिया जाता चाहिये। यह पैसा कोई दान में नहीं मिला है इसके पीछे राज है। राज यह है कि हमने १ करोड़ रुपया रखा था इसलिये कि वहां पर जो पॉवर हाउस है उसको ले लिया जाय। पॉवर हाउस के लिये ऐसा मामला इस सरकार में चला .. ..

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : मुझे क्षमा किया जाय क्योंकि मुझे जवाब देना है इसलिये जानना चाहता हूं कि पब्लिक हैल्थ के किस आइटम पर आप फरमा रहे हैं?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मांग संख्या ७३ पर बोलने का मुझे मौका नहीं मिला। मंत्री महोदय को जवाब देना है यह उन्होंने महसूस किया, मैं समझता हूं मुझे जवाब मिल जायगा क्योंकि काफी देरी हो गई है। इस योजना का इतिहास आपको बता दूं। एक कम्पनी है बम्बई की। इस कम्पनी का नाम है एलाइड इलेक्ट्रिकल कम्पनी। कौल साहब जिस समय अजमेर में फाइनेन्स मिनिस्टर थे उस समय इस कम्पनी को लेने के लिये उन्होंने आदमी भेज दिये थे, हमने खरीद ली थी, इस कम्पनी को ..

श्री बालकृष्ण कौल : पुरानी बात आप फरमा रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नोटिफिकेशन चला गया था। उसके बाद वह हाई कोर्ट में गया। वहां पर भी हम जीते और हमको मुकदमे की कोस्ट तक दिलवाई गई। लेकिन उसके बाद ३० लाख रुपये देने का मामला था। यह कह कर कि ३० लाख रुपये देने पड़ेंगे। और यह समझ कर कहा कि पानी की हमको ज्यादा जरूरत है इसलिये इस बनिये ने, जिसने ३० साल तक हमारा खून चूसा उसका टाइम फिर १० साल के लिये बढ़ा दिया और हम अब तक पानी के लिये तरसते हैं। यह कहा गया था कि वह रुपया पानी के लिये लगाया जायगा। आज पानी नहीं मिल रहा है और वह इलेक्ट्रि-सिटी कम्पनी वाला हमारा शोषण उसी तरह से कर रहा है। उसके साथ जो एग्रीमेन्ट हुआ है वह जनता के हित के खिलाफ हुआ है। सरकार ने आंख मूंद कर उसके साथ

Page No 97

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

राजीपा किया है । वह अगर बिजली नहीं देता है तो सरकार उसको फोर्स नहीं कर सकती । उद्योग बढ़ाने का काम भी उसके कारण नहीं होता । और क्या किया है कि सरकार ने जो बिजली की अपनी योजना बनाई है उसके अनुसार इसको लंम्पसम बिजली देती है और यह रिटेल सेलर हो गया है । आज अगर सीधी बिजली मिलती तो जनता को संतोष हो सकता था कि हम टैक्स देते हैं उससे सरकार को मुनाफा होता है, लेकिन इन्होंने तो बिचोलिया पैदा कर दिया है और उसका शोषण उसी तरह से कायम रखा है और रहमो-करम इस कम्पनी पर इस डेमोक्रेसी में किया जा रहा है । ऐसा समझौता जो जनता के विरुद्ध जाने वाला है । जो अजमेर एक दिन अपनी हस्ती रखता था वही आज इसके रहमो-करम पर गिरवी रख दिया गया है एक बनिये के पास जो बम्बई का है । मैं इसका विरोध करता हूं । जो पानी की योजना थी उसके अनुसार हमको पानी नहीं मिलता है । आप कहते हैं कि संतोष कर लें, खाली संतोष से काम नहीं चलने वाला है । मंत्रीजी ऐलान करें कि यह पानी की योजना कौनसी तारीख को पूरी होगी और कौनसे महीने में पूरी होगी । यदि आप महीना नहीं बता सकते तो मत बताइये, किस साल में होगी यह बता दीजिये मैं इसमें संतोष कर लूंगा । आप पर रहम करूंगा, यदि २ महीने इधर-उधर हो जायं तो आपको माफ किया । इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

(१.०० म० प०)

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करूंगा क्योंकि न तो इस पर कोई कट मोशन है और न कोई प्रसंग है जिसके बारे में मुझे कुछ कहना हो । मगर जहां तक अजमेर जल योजना का सवाल है उसके बारे में मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर जल-योजना राजस्थान की ही नहीं, हिन्दुस्तान की बड़ी और अच्छी जल योजनाओं में से एक है । बम्बई की जल योजना में काफी दूर से पानी आता है लेकिन उसके अन्दर और राजस्थान की इस जल-योजना में फर्क है । वहां पर तो साधारण पुलों से पानी आ जाता है लेकिन इस योजना में लिफ्ट करके पानी लाना पड़ेगा । उसके अन्दर बहुत धन लग रहा है और बहुत इन्जीनियर काम कर रहे हैं । यह भारत वर्ष में अपनी तरह का एक ही काम है । इस थोड़े अर्से में जो हम योजनाओं के बारे में तय कर चुके हैं वह यह है कि हर योजना का एक फेज प्रोग्राम बना लिया गया है और फेज प्रोग्राम के अनुसार ही सरकार की यह कोशिश रही है कि वह काम फेज प्रोग्राम के अनुसार पूरे हों । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं और सदन को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे सामने कोई बहुत बड़ी कठिनाई पैदा नहीं होगी हम यह देखेंगे कि यह योजना निश्चित अवधि में पूरी हो और अजमेर के लोगों को इस सम्बन्ध में कठिनाई न हो ·········

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कोई है अवधि, कोई क्लीअर अवधि है ?

श्री हरिदेव जोशी : अब रहा सवाल यह कि क्या क्या कठिनाइयां रहीं ? इसको थोड़ा समझने की जरूरत है । इसमें सबसे बड़ी कठिनाई थी फोरिन एक्सचेंज की,

(श्री हरिदेव जोशी)

स्टील प्लेट्स की और दूसरे उपकरणों की। स्टील प्लेट्स और वे सारी चीजें हमें मिल चुकी हैं। केवल रूस से जो स्टील मिलना था वह आना बाकी है और यहां का स्टील मिल चुका है और उसे फेब्रोकेटर को दे चुके हैं। जो बिजली जहां जहां लगानी थी वह हमारे प्रोग्राम के अनुसार लगाई जा चुकी है और जो पाइप लाइन डालने का प्रोग्राम बनाया था उसमें से करीब तीन चौथाई लग चुकी है। इसके अलावा जो वैल्स बोर करने थे वे हो चुके हैं और उसकी फिजिबिलिटी की जांच की जा चुकी है। पिछली बार जब मैं अजमेर गया था तो मैं वहां के लोगों को साथ लेकर गया था। मेरा मतलब कोई यह नहीं था कि वहां पर प्रदर्शन किया जाय, बल्कि यह मतलब था कि लोगों में एक कॉन्फीडेन्स पैदा किया जाय कि काम हो रहा है। सिवाय माननीय सदस्य के बाहर के लोग भी थे, कुछ पढ़े-लिखे लोग थे, कुछ प्रोफेसर्स थे, कुछ प्रेस के लोग थे यानी काफी लोग थे जो दो तीन बसेज में आये थे और उन्होंने देखा। मैं ऐसा समझता हूं कि वह उसको देख कर प्रभावित हुए कि राज्य सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। इसके अलावा एक चीज जो रास्ते में बाधक थी वह यह थी, और उसकी व्यवस्था और उसकी भी योजना मैं समझता हूं, हो चुकी है। अब उनको फैब्रिकेट करके सीमेन्ट कंक्रीट से वह करने का था पाइप का, उस काम को भी मुस्तैदी से पूरा करने की जरूरत है। अब तक हमें प्रति माह वहां दो सौ पाइप देने को था। उसके स्थान पर अब आठ सौ पाइप चाहिये। मिस्टर तलवार, जो इस कम्पनी के मालिक हैं और जो नसीराबाद में काम कर रहे हैं, से मैं स्वयं मिला था और मैंने निवेदन किया था कि आपका और हमारा एग्रीमेन्ट कुछ भी हो, लेकिन अजमेर की जनता की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए हमें इतने पाइप दे दीजिये उन्होंने उदारतापूर्वक इस बात को स्वीकार किया है। उनकी क्षमता में मुझे विश्वास है। मैं समझता हूं कि इस कम्पनी की कैपिसिटी को बढ़ा देंगे तो टाइम पर, जैसा वायदा किया है, उसके अनुसार वह दे देंगे। तो जैसा मैंने म्युनिसिपल कॉन्सिल, अजमेर में कहा था, मैं आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली गर्मियों में जो अजमेर के अन्दर कठिनाई रही है, मैं समझता हूं कि अगली गर्मियों में वह कठिनाई नहीं होगी। और जहां कि तक हो सकेगा, मई के एण्ड तक इस वाटर वर्क्स के काम को पूरा कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६५ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

सदन की बैठक कल प्रातःकाल १० बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ३.५ बजे, शुक्रवार दिनांक २४ सितम्बर, १९६५ के म. पू. १० बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट १

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

कॉमन टिकिट द्वारा चन्दे की वसूली, बूंदी

७४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या वर्ष, ६४ के अप्रेल या मई माह में कलेक्टर बूंदी व प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट बूंदी ने डिस्ट्रिक्ट क्लब बूंदी व पुलिस वेलफेयर फंड के लिये एक कॉमन टिकट से चन्दा वसूल किया? यदि हां, तो कुल कितना चन्दा वसूल किया तथा उसे किस अनुपात में परस्पर बांटा गया और कब?

(२) क्या राज्य सरकार जिले के प्रमुख अधिकारियों द्वारा इस प्रकार से कॉमन टिकट द्वारा चन्दा वसूल करना व करवाना उचित समझती है? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(१) जी हां। कुल ७३६२) रु० का चन्दा एकत्रित हुआ। खर्चा ५५१०) रु० व ४५ न. पै. का हुआ। बाकी रकम १८५१) रु. ५५ न. पै. पुलिस वेलफेयर फंड व डिस्ट्रिक्ट क्लब, बूंदी में ३:२ के अनुपात से १११११) रु. ७४०) रु. ५५ न. पै. बांटे गये।

(२) पुलिस वेलफेयर एवं केन्टीन फंड के नियमों में पुलिस वेलफेयर फंड के लिये इस प्रकार से चन्दा एकत्रित करने का प्रावधान है। डिस्ट्रिक्ट क्लब, बूंदी के लिए इस प्रकार से चन्दा एकत्रित करने के बाबत सम्बन्धित जिलाधीश एवं प्रथम श्रेणी दंडनायक से पूछताछ की जा रही है।

सरचार्ज की वसूली

७५. **श्री गोविन्द सिंह** (पिडावा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान सरकार ने ५०) रु० से अधिक लगान देने वाले काश्तकारों पर सरचार्ज कब से लगाया? इस सरचार्ज की वसूली किस साल से प्रारम्भ हुई?

(२) उपरोक्त सरचार्ज की लिमिट ५० रु० से ७५ रु० तक की घोषणा कब हुई और इसके अनुसार कार्यवाही कब से प्रारम्भ हुई?

(३) क्या यह सही है कि ५० रु० से ७५ रु० तक लगान देने वाले काश्तकारों को सिर्फ एक ही साल सरचार्ज देना था और बाद में सरचार्ज की हद ७५ रु० हो जाने से उनसे कोई सरचार्ज नहीं वसूल होना चाहिये था?

(४) क्या यह सही है कि जिला झालावाड के काश्तकारों से जिनका लगान ५० रु० से ७५ रु० तक का था एक साल से अधिक साल का सरचार्ज वसूल किया गया? यदि हां, तो इस प्रकार कितना सरचार्ज वसूल किया गया और इस प्रकार अधिक सरचार्ज को सरकार कब तक सम्बन्धित काश्तकारों को वापस कर देगी?

(५) इस प्रकार सरचार्ज वसूल करने में जो अनियमितताएं हुई हैं उनके लिये कौन

(श्री गोविन्द सिंह)

जिम्मेवार हैं और सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने की सोचती है ?

उत्तर

(१) १ अप्रेल, १९६३ से।

(२) पहली अप्रेल, १९६३ को अथवा उसके पश्चात् देय भू-राजस्व की समस्त किश्तों पर। १४ मई, १९६४ को, जिस दिन कि राजस्थान भू-राजस्व अधिभार (संशोधन) अधिनियम, १९६४ सर्व प्रथम राजकीय राज-पत्र में प्रकाशित हुआ।

(३) इसके लिए कृपया धारा २, राजस्थान भू-अधिभार (संशोधन) अधिनियम, १९६३ तथा धारा २ राजस्थान भू-अधिभार (संशोधन) अधिनियम, १९६४ को देखें।

(४) जिला झालावाड में ३ तहसीलों में कुछ काश्तकारों से अधिक भू-अधिभार वसूल होना बताया गया है जिसके लिये छानबीन कर आइन्दा एडजस्ट करने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(५) सरकारी आदेशों के बावजूद इस प्रकार अधिक वसूली के लिये कौन जिम्मेवार है, इसके सम्बन्ध में सम्बन्धित कलेक्टर को छान-बीन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है।

प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जावेगा।

सारांखुर्द का बांध—अलवर जिला

७६. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)**; क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि अलवर जिले की टपूकड़ा सब-तहसील में सारां खुर्द का बांध अगस्त, १९६४ में टूट गया था जिसके फलस्वरूप बांध की ८० फुट दीवार वेस्टवेयर की टूट गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस बांध के टूटने की विभाग को कोई रिपोर्ट नहीं की गई ?

(३) क्या यह सही है कि बांध पर १९६४-६५ में कैनाल रिपेयर्स के नाम से काम कराया गया है ? यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

(४) क्या यह सही है कि सारां खुर्द के लोगों ने इस बांध पर श्रमदान किया है ?

उत्तर

(१) जी नहीं, बांध नहीं टूटा था, कुछ लम्बाई में नहर तथा वेस्ट-वियर टूटा था।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं, केवल नहर की साधारणतः मरम्मत करवाई गई थी जिस पर लगभग १८००) रु० खर्च हुए।

(४) इसकी विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

तहसील मांगरोल में भूमि का अलॉटमेन्ट

७७. **श्री लक्ष्मीचन्द (पीपल्दा)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील मांगरोल, जिला कोटा में सन् १९६२ से सन् १९६५ तक कितने भूमिहीन काश्तकारों को, कितने सरकारी कर्मचारियों को तथा कितने अनुसूचित जाति

(श्री लक्ष्मीचन्द) एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को क्रमशः कितनी कितनी भूमि एलॉट की गई ?

उत्तर

तहसील मांगरोल जिला कोटा म सन् १९६२ से सन् १९६५ तक ३१३ भूमिहीन व्यक्तियों को १२९६ एकड भूमि अलॉट की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

	संख्या	रकबा
(१) सरकारी कर्मचारी	..	..
(२) अनुसूचित जाति	१०२	४२२
(३) अनुसूचित जन-जाति	६७	२५६
(४) दीगर भूमि हीन	१४४	६१८
योग ..	३१३	१२९६

जय समुद्र की मछलियों का ठेका

७८. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या मन्त्री, पशुपालन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जय समुद्र के मछलियों का ठेका प्रारम्भ से लेकर आज तक एक ही व्यक्ति को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो जयसमुद्र के मछलियों का ठेका गत १५ वर्षों में कितनी धनराशि में नीलाम किया गया ?

उत्तर

जी हां।

सन् १९५३ से ५८ तक पांच वर्ष	१,५०,०००) रु०
सन् १९५८ से ६३ तक पांच वर्ष	१,५०,०००) रु.
सन् १९६३ से ६८ तक पांच वर्ष	२,५०,०००) रु.
कुल धन-राशि	५,५०,०००) रु.

निम्बाहेडा तहसील में खदान पत्थरों पर खनिज और राजस्व विभाग द्वारा दोहरे सर्फेस रेन्ट की वसूली

७९. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेडा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि निम्बाहेडा तहसील में खदान पत्थरों पर सर्फेस रेन्ट खनिज विभाग द्वारा ही लिया जाता रहा है ? तथा भविष्य में भी इसी विभाग द्वारा ही लिये जाने की व्यवस्था है ?

(२) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग भी सर्फेस रेन्ट मांग रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस दोहरे कर की वसूली को तुरन्त रोकने का विचार रखती है ? यदि हां, तो आदेश कब तक जारी होंगे ?

उत्तर

(१) निम्बाहेडा तहसील में खदान पत्थरों पर सर्फेस रेन्ट खनिज विभाग द्वारा नहीं लिया जाता रहा है और न भविष्य में ही खनिज विभाग द्वारा लिया जायगा क्योंकि रेन्ट कम रॉयल्टी लीजेज पर सर्फेस रेन्ट वसूल करने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

(२) जी हां। खनिज विभाग द्वारा इसकी मांग नहीं की जा रही है जैसा कि

(श्री खनिज मंत्री)
प्रश्न १ के उत्तर में निवेदन किया जा चुका है। अतः दोहरी मांग का सवाल ही नहीं उठता। इसके अतिरिक्त यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि भविष्य में सर्फेस रेन्ट खनिज विभाग द्वारा ही वसूल हो। यह निर्णय हो जाने के पश्चात् रेन्ट कम रोयल्टी लीज होल्डर्स से सर्फेस रेन्ट की मांग करने का प्रश्न नहीं उठेगा। राजस्व अधिकारियों को भी ऐसे मामलों में सर्फेस रेन्ट वसूल नहीं करने के लिये लिखा जा रहा है।

राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया चोर विरोधी पुलिस अभियान

८०. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा—सु०): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सन् १९६० व ६१ में राजस्थान पुलिस ने चोर विरोधी पुलिस अभियान चलाये थे ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त चोर विरोधी अभियान के फलस्वरूप चोरों से ३ लाख ८३ हजार ९ आने का धन प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसको पुलिस विभाग ने किस खाते में जमा कराया है, और इन अभियानों में क्या क्या हथियार पकड़े गये थे ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त कैम्पों में चोरों के बिजली के करेन्ट लगाने व महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में जांच करने के लिये भारत सरकार ने श्री भोगीलाल जी पंड्या को नियुक्त किया था ? यदि नहीं, तो श्री पंड्या जी ने किस के आदेश से जांच करके रिपोर्ट कहां पर भेजी है ?

(४) उपरोक्त कैम्पों पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई थी ?

(५) इन कैम्पों के परिणामस्वरूप कितने चोरों पर केस चलाये गये और उनमें से कितने को क्या सजायें दी गई ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

मछलियों के फार्म और नर्सरी स्थापित करने की योजना

८१. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत** (भीम): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मच्छियों के १८ फार्म और २० नर्सरी स्थापित करने की राजकीय योजना थी ?

(२) क्या यह सही है कि यह योजना पूरी नहीं की जा सकी और केवल एक मच्छी फार्म और पांच नर्सरी ही कायम की जा सकी ?

(३) यदि हां, तो यह योजना पूरी क्यों नहीं की जा सकी ?

उत्तर

(१) जी, हां।

(२) जी, हां।

(३) भूमि का अलाटमेंट न होने के कारण धनराशि की कमी होने के कारण, तकनिकी अधिकारियों की कमी होने के कारण, तथा टारजेट्स तकनिकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण नहीं होने के कारण यह योजना पूरी नहीं की जा सकी।

कच्चे सिंचाई बांधों के लिय जन सहयोग और राज्य सहायता देने का प्रावधान

८२. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि कच्चे सिंचाई बान्धों के लिए २।३ हिस्सा जन-सहयोग एवं १।३ हिस्सा राज्य-सहायता देने का प्रावधान रखा गया है ? अगर हां, तो क्या सरकार उत्पादन बढाने हेतु १।३ जन-सहयोग एवं २।३ राज्य-सहयोग देने का प्रावधान करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

तहसील रामगंज मंडी के डिगसी तथा पामा खेडी गांव में विस्थापितों के लिए आरक्षित क्षेत्र

८३. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि तहसील रामगंजमंडी के गांव पामा खेडी तथा डिगसी में स्थानीय काश्तकारों को आवंटन समिति द्वारा पहले आवंटित की गई कृषि योग्य बंजर भूमि राणा प्रताप सागर के विस्थापितों के लिये पृथक रक्षित तथा आरक्षित कर दी गई है ?

(२) क्या यह सही है कि विस्थापितों के लिये आरक्षित भूमि स्थानीय व्यक्तियों को आवंटित किये जाने हेतु तहसील द्वारा नहीं दी जानी चाहिये थी तथा एक बार उन्हें आवंटित हो चुकने के बाद उनसे भूमि वापिस नहीं लेनी चाहिये थी ?

(३) तहसील रामगंज मंडी के डिगसी तथा पामा खेडी गांव में विस्थापितों के लिये कितना क्षेत्र आरक्षित किया गया है और क्या इसके बजाय अन्य स्थानों पर इतना ही क्षेत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन गांवों की भूमि पहले से ही स्थानीय व्यक्तियों को आवंटित की जा चुकी है ?

उत्तर

(१) आवंटित समिति ग्राम पामा खेडी के काश्तकारों को २१६ बीघा तथा डिगसी के काश्तकारान को १६८ बीघा भूमि वंजड़ आवास के आवंटन के आदेश दि० १५-१२-६२ को हुए थे इस प्रकार इसके अन्तर्गत उन्हें कब्जा दिया गया न पट्टे इजरा किये गये बाद में ये भूमि राणा प्रताप सागर के विस्थापितों को बसाने की दृष्टि से उनको आवंटित कर दी जिस पर वे काबिज हैं।

(२) भूमि का कब्जा उन्हें नहीं दिया गया था इसलिये उनसे वापस लेने का सवाल नहीं उठता ।

(३) नहीं किया गया। प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ये भूमि स्थानीय काश्तकारों को सुपुर्द नहीं की गई विस्थापितों के कब्जे में है इसलिये स्थानीय काश्तकारों को देना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता ।

दूधवाखारा एवं उसके पास के गांवों में पेय जल अभाव को दूर करने की योजना

८४. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तहसील चूरू के दूधवाखारा एवं उसके पास के गांवों में पेय जल के अभाव को दूर करने के लिये सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो इस योजना का कार्य कब शुरू होगा ?

(२) यदि कोई योजना नहीं है, तो कब तैयार होगी और उस पर कब तक कार्य शुरू होगा ?

उत्तर

(१) जी हां, मीठा पानी उपलब्ध होने पर योजना बनाई जावेगी ।

(२) मीठे पानी के साधन की तलाश जारी है ।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६८ का उत्तर देखिये)

सूची

प्रधान, पंचायत समिति	बांसवाडा	२ बोरी
,, ,, ,,	घाटोल	३ ,,
,, ,, ,,	पिपलघुट	१ ,,
,, ,, ,,	गढी	३ ,,
,, ,, ,,	बागीडोरा	३ ,,
,, ,, ,,	सज्जनगढ	१ ,,
,, ,, ,,	कुशलगढ	१ ,,
,, ,, ,,	मुखिया	१ ,,
विकास अधिकारी	घाटोल	१५ ,,
,, ,,	बागीडोरा	१४ ,,
,, ,,	तलवाडा-बांसवाडा	१२ ,,
,, ,,	सज्जनगढ	१० ,,
,, ,,	गढी	२४ ,,
अध्यक्ष, नगरपालिका	बांसवाडा	३० ,,
सब-डिवीजनल अधिकारी	कुशलगढ	६ ,,
विकास अधिकारी	मुखिया	८ ,,
,, ,,	कुशलगढ	८ ,,
,,	पिपलघुट	८ ,,
	योग	१५० बोरी

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक २३ सितम्बर, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
४२६	शीर्षक	सितम र,	सितम्बर
४३१	१६	आवटन	आवंटन
४३४	अन्तिम से २	स ी	समझी
४३६	१	नहीं	—
४४०	८	एस्टेब्लिस्ड	एस्टेब्लिश्ड
४४२	अन्तिम से १२	श्रा	श्री
४४८	१६	जानन	जानना
,,	अन्तिम से ५	सीटिजन	सिटिजन
४४६	१६	इन्फोमेशन	इन्फोर्मेशन
४५३	१०	समती	समझती
४६३	२	मआवजे	मुआवजे
,,	१४	इश्य	इश्यू
४६४	५, ६	सोरियली	सीरियसली
४६५	६	दिन	दिन वे
४७१	अन्तिम से १०	लिए ?	लिए।
४७४	,, ६	डट	डेट
४८०	३	य	ये
४८७	६	थी ?	थी।
४६५	अन्तिम से ७	न-राशि	धन-राशि
४६७	१३	नेको	करने को
,,	अन्तिम से ६	स ी	सूची
४६८	४	ह	है
५००	शीर्षक	अ. अ. तु. मांग मा. सं. ६३	अतारांकित प्रश्नोत्तर
५०२	अन्तिम	उ	उत्तर
५०४	२२	रिप्रजेंटेशन	रिप्रेजेन्टेशन
५०६	८	लय तैयार	लि. तैयार
५०६	६	श्री चौर्रासह	श्री चौसरसिंह
,,	१२	मेर	मेरा
५१०	शीर्षक	६३ ले०	६३-ले०

स्कम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्धि	शुद्धि
५११	शीर्षक	१९६४	१९६५
,,	शीर्ष	(श्री भैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिंह)
५१२ से ५२२	शीर्षक	९३ ले०	९३–लें०
५१६	,,	ल०	लें
५२१	१	धक भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
,,	अन्तिम से ७	श्री नाथूराम मिर्धा ०००) रु.	श्री नाथूराम मिर्धा) : ३,५५,०००) रु०
५२३	१	भूमीधर	भूमिधर
,,	३	देय।	देय
,,	२१	श्री चौसरसिंह बावल	श्री चौसरसिंह बावेल
५३०	अन्तिम से १०	सकेंगें	सकेंगे
५४५	१०	रेग्युलराइजेशन	रेग्युलराईज़ेशन
५५१	२०	सामझदारी	समझदारी
५५३	अन्तिम से ७	कु. श्री महेंन्द्रसिह (दोगोद):	कुं. श्री महेन्द्रसिंह :
५५५	शीर्ष	(श्री महेंन्द्रसिह)	(कुं. श्री महेंन्द्रसिंह)
५५७	अन्तिम से ११	भ्रष्टाचार	भ्रष्टाचार
५६०	,, १०	म	में
,,	,, ८	श्री उपाध्य	श्री उपाध्यक्ष
५६७	८ और ९ के मध्य में		श्री माधोलाल खानपुरिया
,,	अन्तिम	श्री स्वरूपनारायण पुरोहित	श्री स्वरूपनारायण पुरोहित
५६८	अन्तिम से ७	लख	लेख
५७३	शीर्ष	(श्री उमरावसिंह डाबरिया)	(श्री उमरावसिंह डाबरिया)
५८०	अन्तिम	बात।	बात है।
५८६	२	मका।बले	मुकाबले
५८८	१६	ाय	प्रश्रय
५८९	अन्तिम से ९	श्री मानसिंह	श्री मानसिंह
५९२	स्कम्भ	[	[५९२
,,	६	चा ूगा	चाहूंगा
,,	१२	सदन के	सदन के मेम्बरों को
,,	अन्तिम	वा कहना मे ख	बातें कहना मेरे ख्याल
५९४	१२	क वक्त	के वक्त
,,	१३	न कुछ	ने कुछ

स्कम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्धि	शुद्धि
५६६	११	जा	जो
५६८	अन्तिम से ४	श्री वालकृष्क	श्री वालकृष्ण
६०५	१४	I hop, yu wll	I hope, you will
,,	१५	tim	time
,,	१७	han	than
,,	१८	The h's rig	Then that's all right.
६११	शीर्षक	अनदानों	अनुदानों
६१२	अन्तिम से १५	७४	७४,
६१४	२	समप्ति	समाप्ति
६१५	अन्तिम से ६	श्री बालकृग	श्री बालकृष्ण
६१६	१५	ीछे	पीछे
६१७	अन्तिम से ७	हमे ा	हमने
६२३	१	कामन	कॉमन
६२७	१	लिय	लिये